SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-2

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	**--**	**vii**
कार्यकारी सारांश	**--**	**ix-xiii**
अध्याय-I: सामान्य	**--**	**1-6**
प्रस्तावना	1.1	1-3
केन्द्रीय सड़क निधि एवं उसका उपयोग	1.2	3-4
संगठनात्मक ढांचा	1.3	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	5
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.5	5
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	1.6	5-6
अभिस्वीकृति	1.7	6
अध्याय-II: नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन	**--**	**7-12**
नियोजन	2.1	7
कार्यों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण आवधिक यातायात गणना पर आधारित न होना	2.1.1	7-9
अवरोध-मुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना सड़क का चयन	2.1.2	9-10
वित्तीय प्रबंधन	2.2	10
आवश्यकता से अधिक बजट का प्रावधान	2.2.1	10-12
भारत सरकार को व्यय का त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन	2.2.2	12
निष्कर्ष	-	12
अध्याय-III: प्राक्कलनों का गठन एवं प्राविधिक स्वीकृति	**--**	**13-27**
प्रस्तावना	3.1	13-14
पेवमेंट डिज़ाइन	3.2	14
डिज़ाइन ट्रैफ़िक का आकलन	3.3	14-15
यातायात गणना के डाटा की प्रामाणिकता में कमी	3.3.1	15-17
आईआरसी मानदण्डों के अनुसार यातायात गणना नहीं की गयी	3.3.2	17-18
आईआरसी मानदण्डों के विरुद्ध डिजाइन ट्रैफिक की गणना में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किया जाना	3.3.3	18
यातायात गणना एवं एक्सल लोड सर्वेक्षण न करने के कारण सांकेतिक मान का अंगीकरण	3.3.4	19-20

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	**पृष्ठ**
सबग्रेड की सीबीआर प्रामाणिक परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित नहीं होना	3.4	20-22
विद्यमान क्रस्ट के प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य प्राक्कलन के साथ संलग्न न किया जाना	3.5	22-23
आवश्यक क्रस्ट ओवरले की गणना में त्रुटिपूर्ण आईआरसी विशिष्ट का अपनाया जाना	3.6	23-25
विस्तृत प्राक्कलनों की प्राविधिक स्वीकृति	3.7	25
प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने में समय-सीमा का पालन	3.7.1	25-26
भारत सरकार को प्रेषित कार्यों की प्रस्तावित लागत प्राक्कलनों पर आधारित नहीं होना	3.7.2	26-27
निष्कर्ष	-	27
अध्याय-IV: निविदा, कार्यों का प्रदान किया जाना एवं निष्पादन	**--**	**29-39**
प्रस्तावना	4.1	29
निविदा प्रक्रिया	4.2	29-30
प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदाएं आमंत्रित किया जाना	4.2.1	30-32
बिडदाताओं को बिडें जमा करने हेतु दी गयी समयावधि	4.2.2	32-33
तकनीकी बिड मूल्यांकन	4.3	33-34
तकनीकी बिडों का अनुचित मूल्यांकन	4.3.1	34-35
अनुबंध प्रदान करना	4.4	35
एकल निविदाओं की स्वीकृति	4.4.1	35
बिल ऑफ़ क्वांटिटी का पुनरीक्षण	4.4.2	35-36
ठेकेदारों द्वारा बीमा कवर उपलब्ध नहीं कराया जाना	4.4.3	37
कार्य पूर्ण होने में विलम्ब	4.5	38-39
निष्कर्ष	-	39
अध्याय-V: कार्यों का भुगतान एवं व्यय का लेखांकन	**--**	**41-52**
प्रस्तावना	5.1	41
अग्रिम भुगतान	5.2	41
मोबिलाइजेशन अग्रिम	5.2.1	41-42
उपकरण/मशीनरी अग्रिम	5.2.2	42-43
सुरक्षित अग्रिम	5.2.3	43-44

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कार्य सम्पादन हेतु भुगतान	5.3	44
बिना मापन के भुगतान	5.3.1	44-45
निर्धारित विधि के अनुसार मापन न किया जाना	5.3.2	45-46
श्रम उपकर की कम/नहीं कटौती करना	5.3.3	46-47
व्यय का लेखांकन	5.4	47
वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को वास्तविक कार्यों पर लेखांकित न किया जाना	5.4.1	48-49
वित्तीय वर्ष में कार्यों पर किये गये वास्तविक व्यय से अधिक का लेखांकन	5.4.2	49-50
आपूर्ति हेतु अग्रिम	5.4.2.1	50-51
शासकीय खाते से बाहर रखी गई धनराशि को वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया जाना	5.4.2.2	51-52
निष्कर्ष	-	52
अध्याय-VI : आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली	--	**53-61**
प्रस्तावना	6.1	53
महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव	6.2	53
कार्य-सार	6.2.1	53-54
कार्य-पंजिका	6.2.2	54
ठेकेदार खाता बही	6.2.3	54
वाउचरों के साथ प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाणपत्र (सीआरसी) सुनिश्चित न करना	6.2.4	55
महत्वपूर्ण पत्राचारों का अभिलेखीकरण	6.3	55-56
गुणवत्ता नियंत्रण	6.4	56
अनिवार्य परीक्षणों को प्राक्कलनों में सम्मिलित न किया जाना	6.4.1	56-57
सामग्री के अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन न किया जाना	6.4.2	57
कार्यों का निरीक्षण	6.5	58
सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा	6.6	59-60
सड़क सुरक्षा मदें	6.7	60
निष्कर्ष	-	61

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखाओं के अनुसार व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता विवरण	2.1	63-64
विभिन्न सड़कों पर समान ट्रैफ़िक डाटा को दर्शाता विवरण	3.1	65-77
यातायात गणना द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण	3.2	78
यातायात गणना में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण	3.3	79
प्रति-दिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय को दर्शाता विवरण	3.4	80-81
सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण	3.5	82-83
सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण	3.6	84-87
सड़कों के विद्यमान क्रस्ट के साक्ष्य से समर्थित आगणनों को दर्शाता विवरण	3.7	88
प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब को दर्शाता विवरण	3.8	89-90
भारत सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण	4.1	91
उत्तर प्रदेश शासन की वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण	4.2	92-94
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण	4.3	95-99
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व खोली गयी वित्तीय बिडों को दर्शाता विवरण	4.4	100-102
ठेकेदारों को निविदा हेतु निर्धारित समय सीमा से कम समय दिये जाने को दर्शाता विवरण	4.5	103-107
एकल बिड की स्वीकृति को दर्शाता विवरण	4.6	108
ऐसे प्रकरणों को दर्शाता विवरण जिनके अनुबंध गठित करते समय निविदा दस्तावेजों के अनुसार बीओक्यू का 50 प्रतिशत या उससे अधिक नीचे की ओर पुनरीक्षण हुआ	4.7	109-110
कार्य पूर्ण होने में विलम्ब को दर्शाता विवरण	4.8	111-115
ठेकेदारों को भुगतान किए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम को दर्शाता विवरण	5.1	116-119

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
क्रय के साक्ष्य के बिना उपकरण अग्रिम भुगतान को दर्शाता विवरण	5.2 अ	120-122
उपकरण अग्रिम भुगतान जिसके लिए टैक्स इन्वाइस/प्रोफ़ार्मा इन्वाइस प्रस्तुत किए गए, को दर्शाता विवरण	5.2 ब	123
ठेकेदारों को भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम को दर्शाता विवरण	5.3	124
कार्यों के लिए सामग्री एकत्रीकरण हेतु किए गए अनियमित भुगतान को दर्शाता विवरण	5.4	125
बिना मापन किये गए भुगतान को दर्शाता विवरण	5.5	125
श्रम उपकर की कटौती को दर्शाता विवरण	5.6	126-127
कटौती किये जाने के पूर्व श्रम उपकर देयकों में जोड़े जाने को दर्शाता विवरण	5.7	128
व्यय को दर्शाता विवरण जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया	5.8	129-132
अन्य कार्यों पर किये गए व्यय को दर्शाता विवरण जिसे केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों पर लेखांकित किया गया	5.9	133-137
कार्यों की सूची दर्शाता हुआ विवरण जिनके विस्तृत प्राक्कलनों में सड़क सुरक्षा मदों का पृथक रूप से प्रावधान नहीं किया गया था	6.1	138-139
संक्षेपणों की सूची		141-142

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

केन्द्रीय सड़क निधि

केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) भारत सरकार द्वारा पेट्रोल एवं हाई-स्पीड डीजल की बिक्री पर लगाए गए उपकर/कर से, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य राज्य सड़कों के विकास एवं रख-रखाव के लिए, जिसमें अंतर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़कें, ग्रामीण सड़कों का विकास, सेतुओं के माध्यम से रेलवे के नीचे या ऊपर सड़कों का निर्माण आदि सम्मिलित हैं, सीआरएफ अधिनियम की धारा 6 के अधीन सृजित एक गैर-व्यपगत निधि है। एकत्र किए गए उपकर को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है एवं तदुपरान्त सीआरएफ में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

देश में सबसे अधिक जनसँख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सड़क की लंबाई के मामले में दूसरे स्थान पर है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु राज्य भर में विस्तारित सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सड़क नेटवर्क का विद्यमान होना पूर्व-अपेक्षित शर्त है।

राज्य में कुल 4,42,907 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क में से, 2,98,242 किलोमीटर का नेटवर्क जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकार-क्षेत्र में था। राज्य सरकार द्वारा, वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान में सड़कों के उन्नयन पर केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत ₹ 7,257.86 करोड़ का व्यय किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए यह जाँच करने के लिए की गई थी कि (i) क्या सड़कों की पहचान, चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए पर्याप्त योजना विद्यमान थी; (ii) क्या योजना को मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से परियोजनाएं तैयार की गई थीं; (iii) क्या परियोजनाएं लागू नियमों/विनियमों के अनुसार क्रियान्वित की गयी थीं; एवं (iv) क्या गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली पर्याप्त थी तथा सड़क निर्माण एवं रख-रखाव में किए गए सड़क सुरक्षा उपाय प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा में क्या पाया गया तथा हम क्या संस्तुति करते हैं?

लेखापरीक्षा में सीआरएफ के अधीन कार्यों के नियोजन एवं निष्पादन में कमियाँ पाई गईं। लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई कमियाँ आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

सड़क निर्माण कार्यों के व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारण हेतु यह वांछनीय था कि विभाग द्वारा दीर्घ, मध्यम एवं अल्पकालिक योजनाएँ तैयार की जाएं।

केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावों को तदर्थ ढंग से स्वीकृत कराया गया क्योंकि राज्य में सीआरएफ के अन्तर्गत सड़कों के उन्नयन के लिए 2021-22 तक कोई व्यापक योजनाएँ नहीं बनाई गयीं। तथापि, 2022-23 से वार्षिक कार्य-योजना तैयार की गई। अग्रेतर, आवधिक यातायात सर्वेक्षण नहीं किए गए, जिसके कारण उन्नयन के लिए सड़कों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण का कार्य समुचित रूप से नहीं किया जा सका।

बजट प्रावधान तथा वास्तविक आवश्यकता के मध्य महत्वपूर्ण अंतर पाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान, ₹ 6,492.09 करोड़ की लागत वाले केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 20,730 करोड़ (319 प्रतिशत) धनराशि का प्रावधान किया गया था।

प्राक्कलनों का गठन एवं प्राविधिक स्वीकृति

यातायात गणना भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के अनुसार नहीं की गयी। अग्रेतर, सड़कों के पेवमेंट डिज़ाइनिंग के लिये डिज़ाइन ट्रैफ़िक के आकलन हेतु आवधिक यातायात गणना तथा एक्सल लोड सर्वेक्षणों के आधार पर वास्तविक यातायात वृद्धि दर एवं वेहिकिल डैमेज फैक्टर (वीडीएफ) की गणना करने के स्थान पर विभाग द्वारा सांकेतिक मानों को अपनाया गया।

सबग्रेड की क्षमता के आकलन हेतु मृदा के अपेक्षित कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो (सीबीआर) परीक्षण या तो नहीं किए गए या अपर्याप्त थे, जिसके आधार पर पेवमेंट डिजाइन अनुमोदित किए गए तथा सड़क कार्यों हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई।

निविदा एवं कार्यों का निष्पादन

वित्तीय नियमों एवं निविदा मानदण्डों के विपरीत, कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गईं थी। अल्प-कालीन निविदा सूचना देते हुए बिडें आमंत्रित की गयीं थी।

वित्तीय बिडें खोलने के बाद सड़क कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक बुनियादी एवं अनिवार्य मदों को हटाकर 111 में से 15 निविदाओं की बिल ऑफ़ क्वांटिटी (बीओक्यू) को पुनरीक्षित (50 प्रतिशत से अधिक) किया गया, जिन्हें बाद में अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया। बीओक्यू में परिवर्तन के बाद नए सिरे से एनआईटी आमंत्रित किए बिना कार्य आवंटन उचित नहीं

था तथा इससे बिडदाताओं को परिवर्तित बीओक्यू के अनुसार बिड में प्रतिभाग करने के अवसर से वंचित कर दिया गया।

गौतम बुद्ध नगर में एकमात्र अनुबंध के अतिरिक्त, अन्य किसी भी नमूना जाँच किये अनुबंध में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक बीमा कवर, सुनिश्चित नहीं किया गया।

नमूना जाँच किए गए कार्यों में से 78 प्रतिशत कार्य उनको पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि से 59 से 1,474 दिनों तक के विलंब से पूर्ण हुए।

भुगतान तथा व्यय का लेखांकन

खण्डीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि ठेकेदारों को 74 अनुबंधों में भुगतान की गई मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं 66 अनुबंधों में उपकरण अग्रिम की धनराशि का उपयोग वास्तव में अभीष्ट प्रयोजनों के लिए ही किया गया था। अनुबंध की शर्तों के विपरीत आठ कार्यों में सुरक्षित अग्रिम तथा नौ कार्यों की बिल ऑफ़ क्वांटिटी में सम्मिलित नहीं की गई मदों हेतु भुगतान किए गए थे।

खण्डीय अधिकारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आठ निष्पादित कार्यों की माप अंकित करने के पूर्व ठेकेदारों को ₹ 45.68 करोड़ का भुगतान किया गया था।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि तथा सम्बन्धित वित्तीय वर्षों कि लेखा पुस्तकों में खण्डों द्वारा लेखांकित व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अंतर के उद्धरण पाए गए। लेखाओं में अंतर के कुछ कारण आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम और सरकारी खातों के बाहर धन जमा करना था।

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

किसी भी चयनित खण्डीय कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा- कार्य-सार, कार्य-पंजिका, ठेकेदार खाता बही आदि का रख-रखाव नहीं किया गया था। इन आवश्यक अभिलेखों के अभाव में कार्य पर किए गए वास्तविक व्यय एवं लेखा पुस्तकों में इनके लेखांकन/वर्गीकरण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम एवं अन्य भुगतानों के सापेक्ष वसूली का उचित अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

राज्य की सड़कों को सुरक्षित और सड़क सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप बनाने के लिए सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा की आवश्यकता को विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया।

उत्तम परिपाटियाँ

(i) विभाग द्वारा डाटा के विश्लेषण एवं परिकल्पना के लिए सड़कों के विवरण, दशा, यातायात डाटा एवं मार्ग-वृत्तान्त आदि के संग्रह हेतु एक सड़क सूचना प्रणाली (सृष्टि) विकसित की गई थी।

(ii) जैसा कि लेखापरीक्षा ने पाया, विभाग कार्यों का आवंटन ई-निविदा प्रणाली के द्वारा करता है।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा संस्तुति की जाती है कि:

- **विभाग को आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार डिजाइन ट्रैफिक के आकलन हेतु आवधिक यातायात गणना और एक्सल लोड सर्वेक्षण करना चाहिए एवं इसे सृष्टि वेब पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए तथा पेवमेंट डिजाइन किए जाने में उपयोग करना चाहिए।**
- **सड़कों के उन्नयन के लिए उनकी उचित पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण की सुविधा हेतु सृष्टि पोर्टल पर डाटा अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- **केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अवरोधमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही शासन द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिए।**
- **प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किए जाने से पूर्व मानदण्डों के अनुसार सबग्रेड की मृदा का सीबीआर परीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सीबीआर परीक्षण से सम्बन्धित पूर्ण घटनाक्रम का अभिलेखीकरण किया जाना चाहिए।**
- **निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मकता एवं निष्पक्षता में सुधार हेतु विभाग को अल्पकालिक निविदा सूचनाओं की प्रथा से बचना चाहिए।**
- **विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निविदाएँ खुलने के पश्चात बिल ऑफ़ क्वांटिटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन न किया जाए।**
- **शासन द्वारा अनियमित अग्रिमों के प्रकरणों की जाँच की जानी चाहिए एवं दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।**
- **अधिकारियों द्वारा सम्पादित कार्य का विधिवत मापन अभिलिखित किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जाना चाहिए। अग्रेतर, शासन द्वारा, श्रम उपकर की कम कटौती अथवा कटौती न किये जाने के प्रकरणों की जाँच के उपरांत दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।**

- **उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने हेतु, विभाग द्वारा सामग्री के अनिवार्य परीक्षण, उच्च अधिकारियों द्वारा सड़कों का निरीक्षण तथा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सुनिश्चित किये जाने चाहिए। गुणवत्ता परीक्षणों में किसी भी कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।**

अध्याय-I
सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

प्रस्तावना

1.1 सड़क परिवहन, आबादी वाले क्षेत्रों में इसकी पहुंच के स्तर को ध्यान में रखते हुए, भारत में माल-ढुलाई एवं यात्रियों दोनों के लिए परिवहन का सर्वाधिक लागत-प्रभावी साधन है। राष्ट्र के सामाजिक एकीकरण एवं तीव्र आर्थिक वृद्धि हेतु, सम्पूर्ण देश में फैले हुए सुव्यवस्थित, सुदृढ़ सड़क नेटवर्क का होना एक पूर्व-आवश्यक शर्त है।

देश के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग[1] (एनएच), राज्य राजमार्ग[2] (एसएच), जिला मार्ग[3], ग्रामीण मार्ग[4], नगरीय मार्ग[5] एवं परियोजना मार्ग[6] सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख-रखाव का अधिदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के अधीन है। राज्य मार्गों का कार्यान्वयन राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से किया जाता है। जिला मार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है जबकि ग्रामीण मार्गों का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा किया जाता है। शहरी सड़कों का कार्यान्वयन नगर पालिकाओं एवं परियोजना सड़कों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

---

1 राष्ट्रीय राजमार्ग का तात्पर्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में निर्दिष्ट राजमार्ग से है तथा ये देश की लम्बाई और चौड़ाई में चलने वाले मुख्य राजमार्ग हैं जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, रेल जंक्शनों, औद्योगिक एवं पर्यटन केन्द्रों तथा पड़ोसी देशों की सीमा सड़कें और राजमार्ग के साथ लिंकअप को जोड़ते हैं।

2 राज्य राजमार्गों का अर्थ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा "राज्य राजमार्गों" के रूप में अधिसूचित राज्य की मुख्य सड़कें हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य के जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण शहरों, पर्यटन केन्द्रों और लघु बंदरगाहों को जोड़ती हैं।

3 जिला मार्गों में प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर) और अन्य जिला मार्ग (ओडीआर) सम्मिलित हैं जो राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जिला और तालुक मुख्यालयों के मध्य सम्पर्क प्रदान करती हैं।

4 ग्रामीण मार्गों या ग्राम सड़कों का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाली सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों के अतिरिक्त अन्य मुख्य मार्गों और ग्रामों अथवा ग्रामों के समूह को एक दूसरे से जोड़ने वाली और उच्चतर वर्ग की निकटतम सड़क को जोड़ने वाली सड़कें।

5 नगरीय मार्गों में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नगर विकास विभागों के अधीन नगर निकायों की सड़कें, रेलवे जोन की सड़कें, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एमईएस) द्वारा निर्मित सड़कें एवं प्रमुख तथा लघु बंदरगाह सड़कें सम्मिलित हैं।

6 वन, सिंचाई, बिजली, कोयला, गन्ना, इस्पात, आदि जैसे संसाधनों के दोहन के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण की विकास परियोजना के क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत सड़कें।

विश्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है तथा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद सड़क की लम्बाई के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की 4,42,907 किलोमीटर[7] लम्बी सड़कों का नेटवर्क था (1,225 किलोमीटर परिचालित एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त) जैसा कि निम्नवत **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: राज्य में सडकों के विविध प्रकार

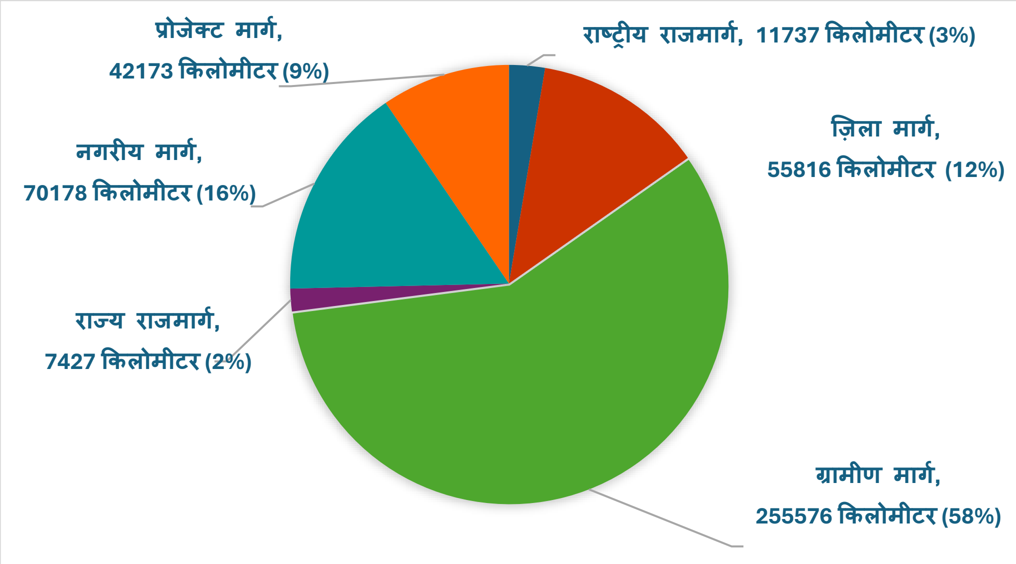

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बेसिक सड़क सांख्यिकी

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (विभाग) उत्तर प्रदेश में सड़कों और सेतुओं के निर्माण, सुधार, सुदृढ़ीकरण और रख-रखाव का कार्य करता है। विभाग, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव भी करता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं आते हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान विभाग के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की विद्यमान लम्बाई की स्थिति निम्नवत **तालिका 1.1** में दी गई है:

[7] भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रकाशित भारत की बेसिक सड़क सांख्यिकी के अनुसार।

तालिका 1.1: राज्य में विभिन्न श्रेणी की सड़कों की संचयी स्थिति

क्र. सं.	सड़क की श्रेणी	31 मार्च तक सडक की लम्बाई (किलोमीटर)						
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023[8]**
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	8,328	8,488	11,384	11,487	11,455	11,590	11,766[9]
2	राज्य राजमार्ग	7,202	6,892	6,593	8,322	11,060	10,901	11,105
3	प्रमुख ज़िला मार्ग	7,486	7,377	7,201	5,550	5,550	6,749	6,749
4	अन्य ज़िला मार्ग	47,576	49,405	48,616	49,476	50,316	54,244	57,025
5	ग्रामीण मार्ग	1,69,051	1,68,692	1,69,512	1,80,135	1,82,626	2,04,148	2,11,597
योग		**2,39,643**	**2,40,854**	**2,43,306**	**2,54,970**	**2,61,007**	**2,87,632**	**2,98,242**

स्रोतः विभाग का निष्पादन बजट वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24

केन्द्रीय सड़क निधि एवं उसका उपयोग

1.2 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) अधिनियम[10] (जिसे पहले केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम कहा जाता था) 1 नवम्बर 2000 को लागू हुआ। केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राज्य सड़कों, जिसमें अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें, ग्रामीण सड़कों का विकास, सेतुओं के माध्यम से रेलवे के नीचे या ऊपर सड़कों का निर्माण आदि सम्मिलित हैं, के विकास और रख-रखाव हेतु पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की बिक्री पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए उपकर/कर से केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम की धारा 6 के अधीन बनायी गई एक गैर-व्यपगत निधि है। एकत्र किए गए उपकर को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तत्पश्चात इसे केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरित किया जाता है। इसे 31 मार्च 2018 तक तीन मंत्रालयों यथा- ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मध्य वितरित किया जाता था। केन्द्रीय सड़क अधिनियम के अप्रैल 2018 में, केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम के रूप में संशोधन के उपरान्त, केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में एकत्रित धनराशि का वितरण केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना अधिनियम, 2000 की धारा 7अ के अनुसार माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए, केन्द्रीय सड़क निधि के आवंटन को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अंतिम रूप दे दिया जाता है। राज्य सड़कों (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के विकास के लिए, राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में ईंधन खपत के 30 प्रतिशत भार एवं

[8] 31 जनवरी 2023 तक।

[9] इसमें 7,218 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार तथा 314 किलोमीटर परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मोर्थ के अधीन एवं 176 किलोमीटर उभयनिष्ठ है।

[10] 27 दिसम्बर 2000 को अधिसूचित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 को वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) अधिनियम द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया गया।

भौगोलिक क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत भार के आधार पर निर्धारित धनराशि राज्यों को आवंटित की जाती है।

राज्य सरकारें आवश्यक विवरण के साथ कार्य प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रेषित करती हैं जिसके पश्चात्, वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य का निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा बजट प्रावधान के माध्यम से किया जाता है तथा केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

1.3 प्रमुख सचिव शासन स्तर पर विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए दो प्रमुख अभियंता[11], मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता होते हैं। मुख्य अभियंता अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं एवं ₹ एक करोड़ से अधिक लागत के विस्तृत प्राक्कलनों की प्राविधिक स्वीकृति, अनुबंधों को अंतिम रूप देने तथा कार्यों के निरीक्षण आदि से सम्बन्धित कार्य करते हैं। अधीक्षण अभियंता, वृत्त के प्रभारी होते हैं तथा ₹ एक करोड़ तक के प्राक्कलनों की प्राविधिक स्वीकृति तथा अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृत्तों को अग्रेतर खण्डों में विभाजित किया गया है, जिनका प्रभार अधिशासी अभियंता के पास होता है जो कार्यों के निष्पादन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में 18 क्षेत्र, 42 वृत्त और 175 खण्ड हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत **चार्ट 1.2** में दिया गया है:

चार्ट 1.2: लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का संगठनात्मक ढांचा

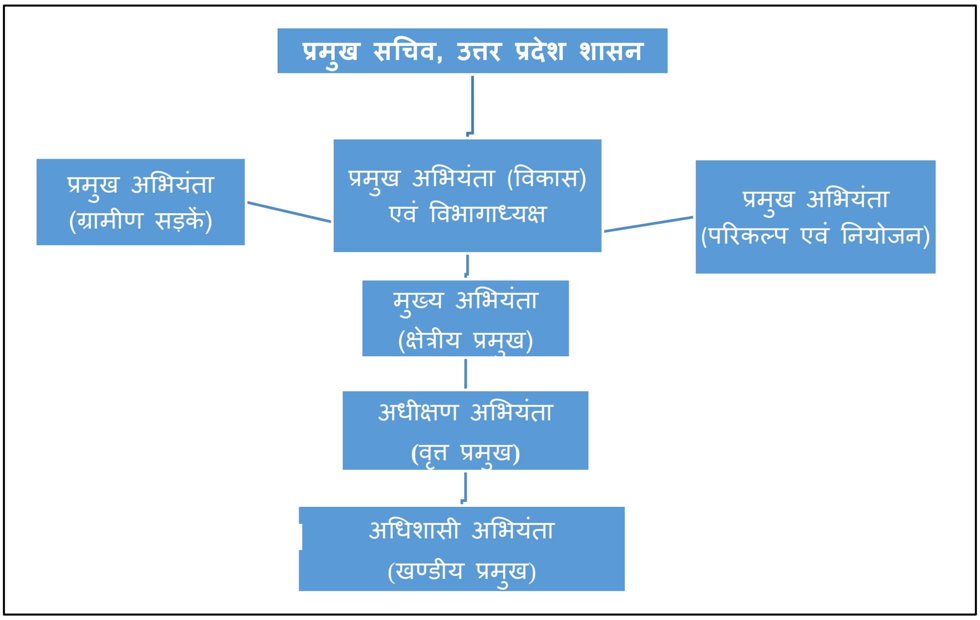

[11] प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) और प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़कें)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- सड़कों की पहचान, चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए पर्याप्त योजना विद्यमान थी;
- योजना को मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से परियोजनाएं तैयार की गई थीं;
- परियोजनाएं लागू नियमों/विनियमों के अनुसार क्रियान्वित की गयी थीं; एवं
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली पर्याप्त थी तथा सड़क निर्माण एवं रख-रखाव में किए गए सड़क सुरक्षा उपाय प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत निम्नवत थे:

- समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) अधिनियम 2000;
- केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) नियम, 2014 (2016 और 2017 में यथासंशोधित);
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देश एवं प्रासंगिक भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) संहिता;
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लेखा नियमावली (वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI);
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विभागीय परिपत्र/आदेश; एवं
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं दिशा-निर्देश।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

1.6 वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अधीन स्वीकृत कार्यों को आच्छादित करते हुए जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक निष्पादन लेखापरीक्षा संपन्न की गयी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016-2022 की अवधि में ₹ 6,492.09 करोड़ की स्वीकृत लागत के 234 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई जिनका निष्पादन 107 खण्डों द्वारा किया गया था।

इसमें से, 27 खण्डों[12] द्वारा निष्पादित ₹ 3,390.26 करोड़ (52 प्रतिशत) की स्वीकृत लागत वाले 109 कार्यों[13] (47 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच[14] की गयी। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ 19 अक्टूबर 2022 को आयोजित एन्ट्री कॉन्फ्रेंस में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्डों, कार्यक्षेत्र, पद्धति आदि पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा हेतु 17 अक्टूबर 2023 को शासन/विभाग के साथ एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। शासन/विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

अभिस्वीकृति

1.7 लेखापरीक्षा में आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

[12] प्रांतीय खण्ड झाँसी, प्रांतीय खण्ड सीतापुर, निर्माण खण्ड-1 बाराबंकी, प्रांतीय खण्ड एटा, निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज, प्रांतीय खण्ड गौतमबुद्ध नगर, प्रांतीय खण्ड कानपुर, निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थ नगर, प्रांतीय खण्ड गोरखपुर, निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट, प्रांतीय खण्ड ललितपुर, प्रांतीय खण्ड आगरा, निर्माण खण्ड-3 झाँसी, प्रांतीय खण्ड जौनपुर, निर्माण खण्ड ललितपुर, निर्माण खण्ड चंदौली, प्रांतीय खण्ड देवरिया, प्रांतीय खण्ड कौशांबी, प्रांतीय खण्ड प्रतापगढ़, निर्माण खण्ड सोनभद्र, प्रांतीय खण्ड कुशीनगर, प्रांतीय खण्ड वाराणसी, निर्माण खण्ड-2 बिजनौर, निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर, निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर, प्रांतीय खण्ड महाराजगंज तथा निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज।

[13] इन 109 कार्यों को निष्पादित करने हेतु, 111 अनुबंधों का गठन किया गया था।

[14] खण्डों द्वारा किए गए व्यय के आधार पर आइडिया सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक नमूना विधि (रैंडम सैम्पलिंग) के माध्यम से खण्डों का चयन किया गया था।

अध्याय-II
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-II

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के उन्नयन के लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी, तथापि वर्ष 2022-23 से वार्षिक कार्य-योजना बनाई गयी थी। उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान के लिए कोई आवधिक यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, आवश्यकता के आधार पर उचित पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारित किए बिना, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रस्तावों की तदर्थ रूप से स्वीकृतियाँ प्राप्त की गयीं। विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित बजट का मात्र 35 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। लेखा-पुस्तकों में अंकित व्यय और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के माध्यम से सूचित व्यय में अंतर पाया गया।

नियोजन

2.1 राज्य में सड़कों का समुचित ढांचा उपलब्ध कराये जाने के लिए यह वांछनीय था कि विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दीर्घ, मध्यम एवं अल्पकालिक योजनाएं तैयार की जाएं तथा सुव्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन हेतु सड़क कार्य की प्राथमिकता निर्धारित की जाए।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए व्यवस्थित एवं व्यापक योजना का अभाव था। विभाग ने सड़क कनेक्टिविटी एवं उन्नयन आवश्यकताओं की व्यापक रूप से पहचान करने के लिए, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान कोई दीर्घ, मध्यम या अल्पकालिक योजना तैयार नहीं की और न ही कोई कोर नेटवर्क[1] विकसित किया। लेखापरीक्षा आपत्ति को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2022-23 से वार्षिक कार्य-योजना तैयार की जा रही है।

कार्यों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण आवधिक यातायात गणना पर आधारित न होना

2.1.1 केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 (सीआरएफ नियम, 2014) के नियम 5 में सड़कों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारित किए जाने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख है। चूँकि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क कार्यों के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार धन का आवंटन/उपार्जन वित्तीय

---

[1] राज्य में चयनित राज्य मार्ग और प्रमुख ज़िला मार्ग से युक्त नेटवर्क, जिसमें राष्ट्रीय मार्ग के रूप में उन्नत किए जाने की क्षमता हो। केन्द्रीय सड़क निधि नियम, 2014 के नियम 5 में प्रावधान है कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु कोर नेटवर्क के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

वर्ष[2] के प्रारम्भ में ज्ञात होता है, इसलिए एक व्यापक सड़क योजना तैयार की जा सकती है।

अग्रेतर, नियम 5 में यह भी प्रावधानित है कि केन्द्र सरकार को योजनाओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण में सहयोग प्रदान किये जाने के आशय से, कार्यकारी एजेंसियों द्वारा, इन नियमों में उल्लिखित निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जायेगा एवं परियोजनाओं, योजनाओं एवं क्रियाकलापों के आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए जायेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से, विभाग में सड़कों का विवरण, दशा, यातायात डाटा एवं वृतांत आदि के संग्रह के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित सड़क सूचना प्रणाली (सृष्टि[3]) विकसित की गयी। सृष्टि पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का उपयोग, विश्लेषण एवं परिकल्पना (डिज़ाइन) हेतु डाटा प्राप्त किये जाने हेतु किया जाना था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि सृष्टि पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का उपयोग, सड़कों के चौड़ीकरण या/और सुदृढ़ीकरण के लिए यातायात भार के आधार पर आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके सड़कों की पहचान के लिए नहीं किया जा सका था क्योंकि इस डाटाबेस में मात्र सड़कों के नाम, लम्बाई, चौड़ाई, मार्ग की क्रस्ट एवं उसकी श्रेणी तथा उसके निर्माण/उन्नयन/नवीकरण के वर्ष एवं माह का अंकन किया गया था। खण्डीय अधिकारियों द्वारा डाटाबेस में यातायात डाटा प्रविष्ट करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2023), अग्रेतर, सड़कों से सम्बन्धित डाटाबेस में उपलब्ध अन्य आकड़ों के विवरण यथा-क्रस्ट की मोटाई, कैरिजवे की चौड़ाई और निर्माण/नवीनीकरण का वर्ष नियमित रूप से अद्यतन नहीं किये गये थे।

यह भी पाया गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा आईआरसी:9-1972 में परिकल्पित, आवधिक यातायात सर्वेक्षण नहीं कराया गया जिसके कारण उन्नयन के लिए सड़कों की पहचान और प्राथमिकता का निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया जा सका था। विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन करने के स्थान पर, जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत विचार हेतु प्रस्तावित किया गया था।

इस प्रकार, विभाग के पास, सम्पादित किए जाने वाले उन्नयन कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ नियोजन की सुविधा हेतु, सड़कों का कोई पूर्ण एवं अद्यतन डाटाबेस नहीं था। अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा

[2] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार धन का आवंटन किया जाता है।

[3] इस पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि/अद्यतन करने का कार्य वर्ष 2013 से प्रारम्भ हुआ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की पूरी प्रक्रिया समुचित नियोजन पद्धति के अभाव में सम्पादित की गयी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि वर्तमान में धन की उपलब्धता के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य-योजना के अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा आश्वस्त किया गया कि पंच-वर्षीय योजना तैयार करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। सृष्टि पोर्टल पर डाटा अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया अनवरत की जा रही है।

संस्तुति 1:

सड़कों के उन्नयन के लिए उनकी उचित पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण की सुविधा हेतु सृष्टि पोर्टल पर डाटा अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अवरोध-मुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना सड़क का चयन

2.1.2 सीआरएफ नियम 2014 के नियम 6 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रस्तावों में केवल वह कार्य सम्मिलित किए जाएंगे जहाँ बिना किसी अवरोध के भूमि उपलब्ध है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकरणों में इस नियम का उल्लंघन पाया गया:

- वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 121.59 करोड़ के प्रस्ताव पर अवरोध-मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना स्वीकृति प्राप्त की गयी (मई 2018)। इसके परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण होने में नियत तिथि से दो वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।
- जनपद चित्रकूट में "मानिकपुर से धारकुंडी आश्रम वाया कल्याणपुर" मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 40.37 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मई 2018)। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व अवरोध-मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी जैसा कि वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने से स्पष्ट था। इसके परिणामस्वरूप, कार्य सम्पादन के समय चार किलोमीटर की लम्बाई में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर की मूल प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष 1.54 मीटर कम हो गयी।
- जनपद कानपुर में 'गुमटी नम्बर-9 से एनएच-2 वाया ज्ञानप्रकाश रोड एवं दादानगर क्रॉसिंग मार्ग' के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु ₹ 38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (दिसम्बर 2017)। विभागीय अधिकारियों ने प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व अवरोध-मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की थी क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना

सुनिश्चित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य पूर्ण होने में नियत तिथि से चार वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

उत्तर में, शासन द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) कि प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के समय भूमि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी तथा कहा गया कि वर्तमान में सभी आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सड़क यातायात हेतु सुलभ है। शासन द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही सड़क का कार्य किया जायेगा।

संस्तुति 2:

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अवरोधमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही शासन द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिए।

वित्तीय प्रबंधन

2.2 वित्तीय प्रबंधन में, किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग समाहित है। इसमें संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, लागत का अनुकूलन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संसाधनों का आवंटन तथा अभिलेखों का उचित रख-रखाव सम्मिलित है।

केन्द्रीय सड़क निधि के वित्तीय प्रबंधन में विभाग द्वारा की गयी त्रुटियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

आवश्यकता से अधिक बजट का प्रावधान

2.2.1 जैसा कि **प्रस्तर 1.2** में चर्चा की गयी है, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्य-प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात्, राज्य के बजट में प्रावधान के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा कार्य का निष्पादन किया जाता है एवं उसके पश्चात् किये गये व्यय की केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान, विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों पर ₹ 7,257.86 करोड़ व्यय किया गया था। इस अवधि में बजट प्रावधान तथा किए गए व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 2.1** में प्रदर्शित है:

तालिका 2.1: केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन बजट प्रावधान तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उ. प्र. शासन द्वारा प्रावधानित धन			उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियाँ	भारत सरकार को प्रतिवेदित व्यय	प्रावधानित धन के सापेक्ष बचत (प्रतिशत)
	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोग	योग			
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7) = (4)-(6)
2016-17	20.00	477.00	497.00	1,630.90	459.00	38.00 (08)
2017-18	8,000.00	00.00	8,000.00	3,034.71	2,377.76	5,622.24 (70)
2018-19	2,200.00	257.00	2,457.00	1,332.53	2,451.53	5.47 (0.22)
2019-20	2,010.00	00.00	2,010.00	0.00	1,251.63	758.37 (38)
2020-21	2,080.00	00.00	2,080.00	0.00	236.88	1,843.12 (89)
2021-22	2,836.00	00.00	2,836.00	493.95	166.22	2,669.78 (94)
2022-23	2,850.00	00.00	2,850.00	0.00	314.84	2,535.16 (89)
योग	**19,996.00**	**734.00**	**20,730.00**	**6,492.09**	**7,257.86**	**13,472.14(65)**

स्रोत: स्वीकृति आदेश, बजट अभिलेख तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 6,492.09 करोड़ लागत के कार्यों के निष्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान ₹ 20,730 करोड़ (319 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया तथा भारत सरकार द्वारा मार्च 2018 में स्वीकृत ₹ 493.95 करोड़ की लागत के मात्र 23 कार्यों[4] को, वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्वैधीकृत किया गया।

अग्रेतर, वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान ₹ 7,766 करोड़ था जबकि विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय मात्र ₹ 717.94 करोड़ था, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक था।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि बजट प्रावधान से कम व्यय होने का कारण यह है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बजट में प्रावधानित धनराशि से कम थी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) में विभाग द्वारा भविष्य में अधिक यथार्थवादी बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

कम संख्या में कार्यों की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹ 9,977.38 करोड़ की लागत के 389 कार्यों को अनुमोदित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा उस वर्ष ₹ 8,000 करोड़ का बजट प्रावधान होने के

[4] भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित चार माह की अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत न किए जाने के कारण, इन कार्यों की स्वीकृति व्यपगत हो गयी थी।

उपरान्त भी मात्र ₹ 2,377.76 करोड़ का व्यय किया था। अग्रेतर, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए भारत सरकार को कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था, अपितु वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित 195 कार्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत न किए जाने के कारण व्यपगत हो गये थे।

भारत सरकार को व्यय का त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन

2.2.2 केन्द्रीय सड़क निधि नियम 8 (1) (ब) में यह परिकल्पित है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली के अधीन नियुक्त व्यक्ति की प्रेक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो, का संज्ञान लेते हुए, अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष, राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र वास्तविक व्यय अर्थात खण्डों द्वारा सूचित किए गए तथा लेखा-पुस्तकों में अंकित व्यय पर आधारित होने चाहिए। तथापि, नमूना जाँच किए गए खण्डों में केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में आठ खण्डों द्वारा 19 कार्यों के निष्पादन पर, किए गए व्यय के लिए प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा-पुस्तकों में अंकित व्यय पर आधारित नहीं थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1** में वर्णित है।

उत्तर में शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) तथा आश्वासन दिया गया कि जिन खण्डों के आंकड़ों में अन्तर है, उन्हें संशोधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए व्यापक नियोजन के अभाव में, विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत उन्नयन हेतु सड़कों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के मानदण्डों का पालन नहीं किया गया था। सड़कों के उन्नयन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए न तो आवधिक यातायात सर्वेक्षण किए गए और न ही खण्डों में उपलब्ध यातायात डाटा को सृष्टि पोर्टल पर अपलोड किया गया। केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन अवरोध-मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना सड़कें स्वीकृत की गयीं।

वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निष्पादन हेतु आवंटित बजट का मात्र 35 प्रतिशत ही विभाग द्वारा उपयोग किया गया। लेखा-पुस्तकों में अंकित व्यय एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के माध्यम से सूचित किये गए व्यय में अन्तर था।

अध्याय-III

प्राक्कलनों का गठन एवं प्राविधिक स्वीकृति

अध्याय-III

प्राक्कलनों का गठन एवं प्राविधिक स्वीकृति

यह अध्याय उन लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बन्धित है जिससे यह आकलन किया जा सके कि क्या विस्तृत प्राक्कलन विद्यमान नियमों और मानकों के अनुसार तैयार किए गए थे। विभागीय अधिकारियों ने आवश्यक क्रस्ट ओवरले के आकलन हेतु पेवमेंट डिजाइनिंग में आईआरसी मानदण्डों का पालन नहीं किया था। यातायात गणना, एक्सल लोड सर्वे, मृदा परीक्षण एवं अन्य आवश्यक परीक्षण मानकों के अनुरूप नहीं किये गये थे।

प्रस्तावना

3.1 प्राक्कलन तैयार किये जाने और तत्पश्चात उस पर प्रदत्त स्वीकृति का, कुल परियोजना लागत, निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता एवं सड़क कार्यों के पूर्ण होने की समयबद्धता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्राक्कलन तैयार किये जाने एवं प्राविधिक स्वीकृतियाँ प्रदान किये जाते समय, इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों और मानकों/मानदण्डों का कठोरता से पालन किया जाये।

सड़क संरचना के अवयव: सड़क की संरचना विभिन्न परतों से बनी होती है जैसा कि नीचे **चित्र 3.1** में दर्शाया गया है:

चित्र 3.1: सड़क संरचना का क्रॉस सेक्शन

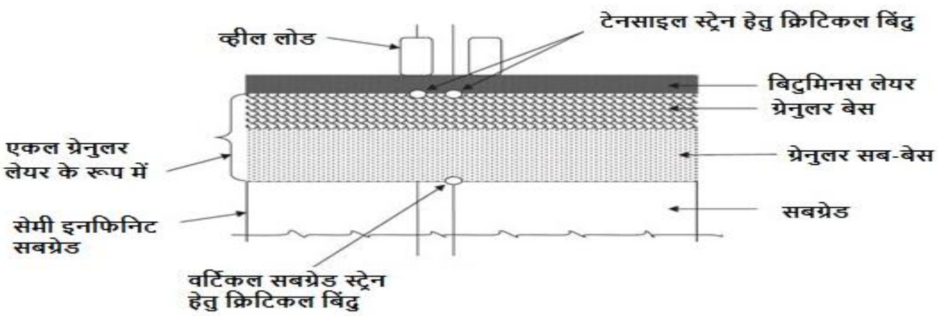

सबग्रेड: पेवमेंट के तल के ठीक नीचे एम्बैंक्मेन्ट का शीर्ष 500 मिलीमीटर भाग सबग्रेड कहलाता है, और यह स्थलीय सामग्री, चयनित मिट्टी या स्टैबलाइज्ड मिट्टी से बना होता है जो पेवमेंट का आधार बनाता है।

सब-बेस: ग्रेनुलर सामग्री से बनी हुई सब-बेस परत तीन कार्य करती है, यथा- सब-ग्रेड को अति-तनाव से बचाना, निर्माण हेतु यातायात के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना तथा जल निकासी एवं फिल्टर परत के रूप में कार्य करना।

बेस: अनबाउंड बेस लेयर में वेट मिक्स मैकडम और वॉटर बाउंड मैकडम जैसी ग्रेनुलर परत सम्मिलित हो सकती है। बाउंड बेस लेयर में बिटुमिन इमल्शन या फ़ोम्ड बिटुमिन से उपचारित ग्रेनुलर सामग्री सम्मिलित हो सकती है।

बिटुमिनस लेयर (ब्लैक टॉपिंग): बिटुमिनस सतह में यातायात भार के आधार पर या तो वेयरिंग कोर्स[1] या बाइंडर कोर्स[2] के साथ वेयरिंग कोर्स सम्मिलित होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में प्राक्कलनों को तैयार करने तथा प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने में कमियाँ पायी गयीं। खण्डीय प्राधिकारियों द्वारा यातायात गणना, मृदा परीक्षण, डिजाइन यातायात आकलन, पेवमेंट डिजाइनिंग आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित नियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

पेवमेंट डिज़ाइन

3.2 सड़क कार्यों में पेवमेंट[3] डिज़ाइन प्राक्कलन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सड़क की आवश्यक पेवमेंट संरचना और उसकी मोटाई समग्र रूप से मानक एक्सेल[4] के रूप में डिज़ाइन ट्रैफ़िक तथा कैलिफ़ोर्निया बियरिंग रेशियो (सीबीआर)[5] के रूप में मूल्यांकित, सबग्रेड स्ट्रेन्थ पर निर्भर करती है।

डिज़ाइन ट्रैफ़िक का आकलन

3.3 इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) की अनुशंसित विधि के अनुसार डिजाइन ट्रैफ़िक, पेवमेंट की डिजाइन लाइफ में उस पर चलने वाले मानक एक्सेल

---

[1] सड़क की सबसे ऊपरी परत जिस पर यातायात चलता है।

[2] फाउंडेशन एवं वियरिंग कोर्स के मध्य बिटुमिन मिश्रित कोर्स एग्रीगेट की परत।

[3] पेवमेंट एक कठोर सतह होती है जो कंक्रीट या बिटुमिन से ढकी होती है, जैसे सड़क या मार्ग।

[4] मानक ऐक्सल लोड को दोहरे पहिये वाले एकल ऐक्सल लोड के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 80 किलो न्यूटन (8,160 किलोग्राम) भार वहन करता है।

[5] सीबीआर सड़क के सबग्रेड की मज़बूती की माप है तथा इसे 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्ताकार प्लंजर के साथ 1.25 मिलीमीटर/मिनट की दर से मिट्टी के द्रव्यमान को भेदने के लिए आवश्यक बल के प्रतिशत में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है, जो मानक सामग्री में प्रवेश के लिए आवश्यक है।

(8,160 किलोग्राम) की संचयी संख्या होती है। डिज़ाइन ट्रैफ़िक के अनुमान के लिए आवश्यक सूचनाओं में सम्मिलित हैं:

- यातायात गणना के आधार पर आकलित प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों (सीवीपीडी) की संख्या के रूप में निर्माण के पश्चात् यातायात भार, तथा डिज़ाइन लाइफ में यातायात वृद्धि दर;
- एक्सल लोड सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित अथवा आईआरसी मानदंड के अनुसार लिए गए वेहकील डैमेज फैक्टर (वीडीएफ) का डिफ़ॉल्ट मान; और
- आईआरसी मानदण्डों के अनुसार कैरेजवे की डिजाइन लाइफ तथा उस पर वाणिज्यिक वाहनों का वितरण।

डिज़ाइन ट्रैफ़िक के उचित आकलन के लिए, आवधिक यातायात गणना पर आधारित सटीक एवं प्रामाणिक डाटा की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा जाँच में यातायात गणना और डिजाइन ट्रैफ़िक के आकलन में निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईं:

यातायात गणना के डाटा की प्रामाणिकता में कमी

3.3.1 चूँकि पेवमेंट की आवश्यक मोटाई और संरचना सीधे डिज़ाइन ट्रैफ़िक पर निर्भर करती है, इसलिए यातायात गणना वास्तविक एवं सुप्रलेखित होनी चाहिए ताकि इसकी शुचिता और विश्वसनीयता स्थापित हो सके।

आईआरसी-9:1972 परिकल्पित करता है कि वर्ष में कम से कम दो बार यातायात गणना की जानी चाहिए। प्रमुख अभियंता द्वारा भी फील्ड ऑफिसों को सड़कों पर नियमित रूप से यातायात की गणना करने तथा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में इसके परिणाम प्रेषित करने हेतु निर्देशित करते हुए आदेश निर्गत किये गये थे (नवम्बर 2005), जिसे विभाग के यातायात अध्ययन और सर्वेक्षण खण्ड द्वारा संकलित और सुरक्षित रखा जाना था। अग्रेतर, सृष्टि वेबसाइट पर यातायात डाटा अद्यतन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट खण्ड को सॉफ्ट कॉपी में यातायात डाटा प्रेषित किए जाने हेतु फील्ड ऑफिसों को निर्देश निर्गत किए गए थे (फरवरी 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 27 खण्डों में से किसी के भी द्वारा नियमित यातायात गणना नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, सड़कों की क्रस्ट डिजाइन हेतु प्रयोग किए गए यातायात डाटा को किसी भी खण्ड द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था और न सृष्टि वेबसाइट पर अद्यतन किया गया था। क्रस्ट की अपेक्षित मोटाई की गणना हेतु डिजाइन यातायात के आकलन में उपयोग किए गए यातायात गणना के आकड़ों की अग्रेतर जाँच से परिलक्षित हुआ कि नमूना जाँच किए गए 27 खण्डों में से आठ खण्डों द्वारा बिल्कुल एक समान प्रकार एवं समान

संख्या में वाहनों को अलग-अलग सड़कों पर चलते हुए प्रदर्शित किया गया था **(परिशिष्ट-3.1)** जैसा कि नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.1 विभिन्न सड़कों पर प्रदर्शित किया गया एक समान यातायात

क्र. सं.	खण्ड का नाम	विभिन्न सड़कों पर बिल्कुल समान संख्या में चलते हुए दिखाए गए वाहनों के प्रकार
1	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	सभी प्रकार के वाहनों की संख्या दो अलग-अलग सड़कों पर एक समान चलती हुई दर्शायी गयी।
2	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	ट्रेलरों, हाथ गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की संख्या तीन सड़कों पर तथा एलसीवी, ट्रैक्टर, ट्रक, साइकिल, रिक्शा और बैलगाड़ी (बड़ी और छोटी) दो अलग-अलग सड़कों पर एक समान चलती हुई प्रदर्शित की गयी थीं।
3	निर्माण खण्ड चंदौली	एक सड़क के दो अलग-अलग स्थानों/बिन्दुओं पर ट्रक, ट्रेलर, रिक्शा, हाथगाड़ी, घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी (बड़ी और छोटी) की एक समान संख्या चलते हुए दर्शायी गयी।
4	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	दो अलग-अलग सड़कों पर एक समान संख्या में ट्रैक्टर, साइकिल और घोड़ागाड़ी चलती दर्शायी गयी थीं।
5	प्रांतीय खण्ड देवरिया	एलसीवी, बसें, ट्रक, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी (बड़ी और छोटी) और ट्रैक्टर दो अलग-अलग सड़कों पर समान संख्या में चलते हुए दिखाए गए थे। इसी प्रकार तीन अलग-अलग सड़कों पर समान संख्या में हाथ गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई गयी थीं।
6	निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट	सभी प्रकार के वाहनों की एक समान संख्या चार अलग-अलग सड़कों पर चलती हुई दर्शायी गयी थी।
7	प्रांतीय खण्ड महाराजगंज	साइकिल रिक्शा, हाथगाड़ी और घोड़ागाड़ी दो अलग-अलग सड़कों पर एक समान संख्या में चलती हुई प्रदर्शित की गयीं थीं।
8	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	तीन अलग-अलग सड़कों पर समान संख्या में साइकिल, रिक्शा, हाथगाड़ी, घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी (बड़ी और छोटी) चलती दिखाई गयी। इसी प्रकार दो अलग-अलग सड़कों पर समान संख्या में बिना ट्रेलर के ट्रैक्टर चलते हुए प्रदर्शित किए गए थे।

अग्रेतर, चूँकि यातायात गणना सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, प्रमुख अभियंता द्वारा यह निर्देशित किया गया था (सितम्बर 2018) कि सड़क के चौड़ीकरण और/या सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तुत यातायात डाटा केवल तभी स्वीकार्य होगा जब यातायात गणना मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) के संदर्भ में डिजाइन यातायात के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय आदेश के माध्यम से गठित टीम द्वारा सम्पादित की गयी हो। यातायात गणना हेतु टीम के गठन सम्बन्धी ऐसा कोई आदेश नमूना जाँच किये गये सभी 109 कार्यों की प्राविधिक स्वीकृति के साथ संलग्न नहीं पाया गया और न ही इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार, विभिन्न सड़कों पर यातायात गणना में वाहनों की बिल्कुल एक समान संख्या अंकित करना, विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी यातायात गणना की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

उत्तर में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) एवं अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है तथा उत्तरदायी अधिकारीयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

आईआरसी मानदण्डों के अनुसार यातायात गणना नहीं की गयी

3.3.2 (अ) आईआरसी: 9-1972 के प्रस्तर 4.1 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यातायात गणना पूरे सप्ताह के लिए की जानी चाहिए, जो प्रत्येक दिन 24 घंटे तथा लगातार सात दिनों की हो।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 279.90 करोड़ लागत के 13 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन यातायात गणना रिपोर्टों से समर्थित नहीं थे **(परिशिष्ट-3.2)**। इस प्रकार, उपर्युक्त कार्यों में यातायात डाटा की मूलभूत आवश्यकता की अनदेखी करते हुए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अग्रेतर, ₹ 180.22 करोड़ लागत के तीन कार्यों के प्रकरणों में, यातायात गणना आईआरसी मानकों के अनुसार आवश्यक सात दिन के स्थान पर मात्र तीन दिन की गयी थी **(परिशिष्ट-3.3)**।

(ब) आईआरसी: 9-1972 के प्रस्तर 3.1 में परिकल्पित है कि यातायात गणना कार्यक्रम की सफलता के लिए यातायात गणना स्थलों का विवेकपूर्ण निर्धारण महत्वपूर्ण है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- ₹ 75.59 करोड़ की लागत वाले तीन कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों के साथ संलग्न यातायात गणना सारांश रिपोर्ट पर कार्य/सड़क का नाम उल्लिखित नहीं था **(परिशिष्ट-3.3)**।
- यातायात गणना बिंदु, जहाँ पर यातायात गणना की गयी, का उल्लेख ₹ 286.60 करोड़ की लागत वाले छः कार्यों की यातायात गणना रिपोर्ट में नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-3.3)**।

इस प्रकार, ₹ 389.11 करोड़[6] की लागत वाले 10 कार्यों में यातायात गणना आईआरसी मानदण्डों के अनुसार नहीं की गयी थी।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि लिपिकीय त्रुटि को सुधार लिया गया है तथा संशोधित यातायात गणना रिपोर्ट सम्बन्धित सड़कों

[6] परिशिष्ट 3.3 अ (क्र.सं. 3) एवं परिशिष्ट 3.3 स (क्र.सं. 6) में सहजनवा बखिरा मार्ग दो बार प्रदर्शित है तथा परिशिष्ट 3.3 अ (क्र.सं. 1) एवं परिशिष्ट 3.3 स (क्र.सं. 3) में बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ सेतु मार्ग भी दो बार प्रदर्शित है। इस कारण इन मार्गों तथा इनकी लागत को मात्र एक बार गणना में लिया गया है।

के स्वीकृत प्राक्कलनों के साथ संलग्न कर दी गयी है। अग्रेतर, यह भी अवगत कराया गया कि तीन दिवसीय यातायात गणना आईआरसी:9-1972 के प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में की गयी है।

तथ्य यथावत है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राविधिक स्वीकृतियाँ त्रुटिपूर्ण यातायात गणना रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, तीन दिवसीय यातायात गणना वाले तीनों प्रकरणों में से किसी में भी इसका औचित्य स्थापित करने हेतु कारण/विशेष परिस्थितियाँ अंकित नहीं की गयीं थीं।

आईआरसी मानदण्डों के विरुद्ध डिजाइन ट्रैफिक की गणना में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किया जाना

3.3.3 निर्माण के पश्चात् प्रारम्भिक यातायात का आकलन प्रति दिन वाणिज्यिक वाहन (सीवीपीडी) के रूप में आईआरसी विशिष्टियों[7] का अनुपालन करते हुए सड़क के चिन्हित बिंदु पर की गयी सात-दिन-24-घंटे की यातायात गणना आधारित वर्तमान औसत यातायात के अनुसार की जाती है। अग्रेतर, आईआरसी: एसपी-72-2015 के अनुसार एक वाणिज्यिक वाहन को तीन टन या उससे अधिक के सकल भार वाले वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है। पेवमेंट डिजाइन के प्रयोजनों के लिए, केवल तीन टन और उससे अधिक भार वाले मोटर चालित वाणिज्यिक वाहनों का संज्ञान किया जाना चाहिए। पूरी तरह लदे होने पर भी हल्के वाहनों का कुल भार तीन टन से कम होगा और इसलिए पेवमेंट डिजाइन के लिए इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि दो खण्डों[8] से सम्बन्धित पाँच सड़क कार्यों में सीवीपीडी की गणना में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए डिजाइन यातायात के आधार पर आगणित अतिरिक्त क्रस्ट ओवरले के कारण ₹ 26.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-3.4)**।

उत्तर में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) तथा बताया गया कि व्यावहारिक रूप से राज्य की सभी सड़कों पर ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या है। वाराणसी एवं झाँसी जनपदों की संदर्भित सड़कों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत किए गए एवं तदनुसार कार्य सम्पादित कराया गया है।

7 आईआरसी:37-2012 तथा आईआरसी:9-1972 ।

8 प्रांतीय खण्ड, वाराणसी तथा निर्माण खण्ड-3, झाँसी।

यातायात गणना एवं एक्सल लोड सर्वेक्षण न करने के कारण सांकेतिक मान का अंगीकरण

3.3.4 (i) आईआरसी 37-2012 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार, वर्तमान यातायात को डिजाइन लाइफ के अंत तक के लिए वृद्धि दर ('आर') के आधार पर अनुमानित किया जाना चाहिए, जिसका अनुमान, मैक्रो-इकोनॉमिक मापदण्डों एवं डिजाइन लाइफ के दौरान संभावित भूमि उपयोग परिवर्तनों और विशिष्ट विकास के कारण अपेक्षित माँग, यातायात की माँग-लोच एवं यातायात वृद्धि के पिछले रुझानों का अध्ययन और विश्लेषण करते हुए किया जाना चाहिए। यदि वाणिज्यिक वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर के लिए आकड़े उपलब्ध नहीं है या यदि यह पाँच प्रतिशत से कम है, तो पाँच प्रतिशत की वृद्धि दर का उपयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवधिक यातायात गणना न किए जाने के कारण, नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में विभाग द्वारा मात्र पाँच प्रतिशत की वार्षिक यातायात वृद्धि दर ली गयी जो कि आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़कों के डिजाइनिंग प्रयोजन के लिए उस दशा में प्रदान की गयी है जब वार्षिक वृद्धि दर के आंकड़े उपलब्ध न हों।

(ii) आईआरसी 37-2012 के प्रस्तर 4.4 के अनुसार, पेवमेंट थिकनेस की डिज़ाइन में डिज़ाइन ट्रैफिक के आकलन हेतु वेहिकिल डैमेज फैक्टर (वीडीएफ) का उपयोग किया जाता है। आईआरसी उल्लेख करता है कि खाली अथवा भरे हुए वाहनों के लिए किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, वर्तमान सड़कों पर विशिष्ट एक्सल लोड सर्वेक्षण करके सावधानीपूर्वक वीडीएफ प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 सड़क कार्यों में ऐक्सल लोड सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा इसके अभाव में, विभागीय अधिकारियों द्वारा वीडीएफ के सांकेतिक मान को अपनाया गया, जो कि सड़कों की पेवमेंट डिजाइनिंग के लिए डिजाइन यातायात का अनुमान करने हेतु आईआरसी द्वारा छोटे आकार की परियोजनाओं के लिए सुझाया गया था।

इस प्रकार, आवधिक यातायात गणना एवं एक्सल लोड सर्वेक्षण के आधार पर वास्तविक मान प्राप्त किए जाने के स्थान पर, विभाग सांकेतिक मानकों पर निर्भर रहा, जिसके कारण डिजाइन ट्रैफिक के त्रुटिपूर्ण आकलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग द्वारा उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) में विभाग द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाली विशिष्टियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया।

संस्तुति 3:

विभाग को आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार डिजाइन ट्रैफिक के आकलन हेतु आवधिक यातायात गणना और एक्सल लोड सर्वेक्षण करना चाहिए एवं इसे सृष्टि वेब पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए तथा पेवमेंट डिजाइन किए जाने में उपयोग करना चाहिए।

सबग्रेड की सीबीआर प्रामाणिक परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित नहीं होना

3.4 आईआरसी दिशा-निर्देशों[9] के अनुसार पेवमेंट डिजाइन हेतु, सबग्रेड स्ट्रेन्थ का आकलन स्थल पर संभावित अधिकतम नमी की स्थिति में सबग्रेड की मृदा के सीबीआर के रूप में किया जाता है। सीबीआर मान निर्धारित करने के लिए, मानक परीक्षण प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, प्रमुख अभियंता द्वारा भी यह निर्देश निर्गत किया गया था (सितम्बर 2008) कि प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व वास्तविक सीबीआर प्राप्त करने के उपरान्त ही विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए।

जहाँ सबग्रेड में विभिन्न प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाता है वहां डिजाइन सीबीआर के निर्धारण के लिए पूरे संरेखण में प्रत्येक प्रकार की मृदा के लिए न्यूनतम छः से आठ औसत सीबीआर मान (तीन परीक्षणों का औसत) की आवश्यकता होगी।

सीबीआर निर्धारित करने के लिए परीक्षण सदैव प्रयोगशाला में मृदा के परिवर्धित नमूनों पर किया जाना चाहिए। पेवमेंट की मोटाई मृदा के 4-दिवसीय भिगोए गए सीबीआर मान पर आधारित होनी चाहिए एवं इसे संघनन वक्र से प्राप्त किए गए प्लेसमेंट घनत्व और नमी की मात्रा पर आधारित होना चाहिए।

चूँकि पेवमेंट की मोटाई सबग्रेड के सीबीआर पर निर्भर होती है, सीबीआर परीक्षण प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रक्रिया को उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,100.30 करोड़ लागत के 38 नमूना जांच किए गए कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों के साथ सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट-3.5)**।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 71 कार्यों, जिनके प्राक्कलनों के साथ सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गयी थी, मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए लिखित कार्य आदेश, मृदा नमूने के संग्रह की तिथि और समय, परीक्षण शुल्क के भुगतान का साक्ष्य, परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि, मात्र प्रांतीय खण्ड आगरा में एक कार्य[10]

---

[9] आईआरसी:37-2001 का प्रस्तर 3.4.3 तथा 3.4.4

[10] फतेहपुर सीकरी कागारौल मार्ग।

के सम्बन्ध में प्रयोगशाला को कार्य आदेश के अतिरिक्त, किसी भी प्रकरण में नहीं पायी गयी।

इसके अतिरिक्त, प्राक्कलनों के साथ संलग्न 71 सीबीआर रिपोर्टों में से 63 में निम्नलिखित प्रक्रियात्मक कमियाँ परिलक्षित हुईं **(परिशिष्ट-3.6)**:

- परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को नमूना उपलब्ध कराने की तिथि मात्र 18 प्रकरणों में ही अंकित की गयी थी।
- परीक्षण तिथि मात्र सात प्रकरणों में अंकित पायी गयी।
- परीक्षण रिपोर्ट निर्गमन/प्रेषण तिथि मात्र 39 प्रकरणों में अंकित पायी गयी।
- छः कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन के साथ पाँच से 11 वर्ष पुरानी परीक्षण रिपोर्ट संलग्न पायी गयी।
- मृदा के न्यूनतम छः नमूने 45 प्रकरणों में नहीं लिए गए थे।

दृष्टांत 3.1

आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार, पेवमेंट की मोटाई 4-दिन भिगाई गयी मृदा के सीबीआर मान पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रांतीय खण्ड देवरिया में चार सड़कों[11] से सम्बन्धित मृदा के नमूने सीबीआर परीक्षण हेतु दिनांक 08.08.2017 को प्रयोगशाला में प्राप्त हुए तथा प्राक्कलनों के साथ संलग्न परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार उनका परीक्षण दिनांक 10.08.2017 को किया गया था। इसका तात्पर्य है कि मृदा को कम से कम चार दिन (96 घंटे) की अवधि के लिए भिगोने से पहले ही परीक्षण किए गए थे। शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2023) कि नमूने दिनांक 05.08.2017 से 06.08.2017 तक एकत्र किए गए थे तथा दिनांक 08.08.2017 को लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में प्राप्त हुए थे परन्तु यह तिथि त्रुटिवश संग्रह तिथि के रूप में अंकित कर दी गयी थी। अतः परीक्षण से पहले 96 घंटे की निर्धारित अवधि बीत चुकी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 96 घंटे की निर्धारित अवधि प्रयोगशाला में नमूने की मृदा को भिगोने के लिए है, न कि नमूना संग्रह और परीक्षण के बीच की अवधि के लिए।

इस प्रकार, विविध त्रुटियों वाली सीबीआर रिपोर्टों के आधार पर 63 कार्यों तथा 38 कार्यों के सीबीआर रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर भी, पेवमेंट डिजाइन स्वीकृत किये गये एवं विस्तृत प्राक्कलनों पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

[11] 1. सिरसिया प्रतापपुर मैरवा मार्ग, 2. लार चुनकी भाटपार भिंगारी मार्ग, 3. पकड़ी बंगरा बंगरुआ मिश्रौली मार्ग तथा 4. सलेमपुर मझौली मैंरवा मार्ग।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि जिन प्रकरणों में सीबीआर परीक्षण नहीं किए गए थे, उनमें उसी प्रकार की मृदा वाली निकटवर्ती सड़कों के सीबीआर मान का संज्ञान लिया गया था। अब, सभी खण्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीबीआर परीक्षण करने के बाद ही प्राक्कलन तैयार करें तथा प्राक्कलन के साथ परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीबीआर तथा डिज़ाइन ट्रैफ़िक सड़क के पेवमेंट की मोटाई तय करने वाले मापदंड हैं। प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था (सितम्बर 2008) कि प्राविधिक स्वीकृति के लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने से पूर्व सीबीआर परीक्षण अवश्य कराया जाना चाहिए। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया।

संस्तुति 4:

प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किए जाने से पूर्व मानदण्डों के अनुसार सबग्रेड की मृदा का सीबीआर परीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सीबीआर परीक्षण से सम्बन्धित पूर्ण घटनाक्रम का अभिलेखीकरण किया जाना चाहिए।

विद्यमान क्रस्ट के प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य प्राक्कलन के साथ संलग्न न किया जाना

3.5 सम्बन्धित खण्डों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक सड़क की लम्बाई, चौड़ाई, क्रस्ट की मोटाई, क्रस्ट के प्रकार तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण विभाग के सृष्टि पोर्टल पर अद्यतन किया जाना आवश्यक था।

चूँकि आवश्यक पेवमेंट संरचना का परिकलन विद्यमान क्रस्ट की मोटाई पर निर्भर करता है, इसलिए प्राक्कलन में दर्शायी गयी विद्यमान क्रस्ट की मोटाई की शुचिता एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसीलिए आवश्यक है कि प्राक्कलनों में इसके प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न किये जाएं।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से ₹ 426.33 करोड़ की लागत के मात्र 14 कार्यों (13 प्रतिशत) के प्राक्कलनों में ही विद्यमान क्रस्ट की मोटाई और उसकी संरचना की सत्यता स्थापित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न किए गए थे **(परिशिष्ट-3.7)**।

अग्रेतर, जाँच से प्रकट हुआ कि आवश्यक क्रस्ट ओवरले की गणना के लिए इन 14 सड़कों में से चार की विद्यमान क्रस्ट की मोटाई, प्राक्कलन के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य में अंकित मोटाई से कम ली गयी थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.2** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: विस्तृत प्राक्कलन में उल्लिखित विद्यमान क्रस्ट के सापेक्ष डिजाइनिंग हेतु संज्ञान में लिए गए विद्यमान क्रस्ट का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	खण्ड का नाम	प्राक्कलन में संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार विद्यमान क्रस्ट (मिलीमीटर)	पेवमेंट डिज़ाइन में ली गयी विद्यमान क्रस्ट (मिलीमीटर)
1	महावनखोर नेतवर बाज़ार कैम्पियरगंज	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	320	290
2	सारनाथ रौनाखुर्द वाया मुनारी	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	270	250
3	बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	440	330
4	लेवा इलिया	निर्माण खण्ड, चंदौली	380	360

इस प्रकार, ₹ 2,963.93 करोड़ की लागत वाली 95 कार्यों (87 प्रतिशत) के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक क्रस्ट ओवरले का निर्धारण, उनकी वर्तमान क्रस्ट की मोटाई और संरचना से सम्बन्धित किसी भी प्रामाणिक अभिलेखीय साक्ष्य के बिना किया गया।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि वर्तमान में सभी सड़कों का इतिहास और क्रस्ट की मोटाई सृष्टि पोर्टल पर अद्यतन है और उसी से क्रस्ट की मोटाई की जांच की जा रही है। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में क्रस्ट की मोटाई के सभी आंकड़े विश्वसनीय हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क के इतिहास और क्रस्ट की मोटाई के विषय में सृष्टि पोर्टल पर डाटा नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था जैसा कि **प्रस्तर 2.2** में चर्चा की गयी है। अग्रेतर, उपरोक्त चार नमूना जाँच के प्रकरणों में आवश्यक क्रस्ट की गणना के लिए वर्तमान क्रस्ट की मोटाई को अभिलेखों में उल्लिखित मोटाई से कम लिया गया था। अतः सड़कों के डिजाइन में ली गयी वर्तमान क्रस्ट की मोटाई विश्वसनीय नहीं थी।

आवश्यक क्रस्ट ओवरले की गणना में त्रुटिपूर्ण आईआरसी विशिष्ट का अपनाया जाना

3.6 केन्द्रीय सड़क निधि नियम, 2014 के नियम 7(10) के अनुसार, प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यों की विशिष्टि एवं मानक डिजाइन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित प्रासंगिक दिशा-निर्देशों, संहिताओं, आईआरसी विशिष्टियों का अनुसरण किया जाएगा। आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार, इन-सर्विस मार्गों के पुनर्स्थापन हेतु ओवरले[12] डिजाइन फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर (एफडब्ल्यूडी) विधि (आईआरसी:115-2014) या बेंकेलमैन बीम

[12] विद्यमान सड़क के ऊपर डाले जाने हेतु आवश्यक परतें।

डिफ्लेक्शन (बीबीडी) परीक्षण विधि (आईआरसी:81-1997) के अनुसार किया जाएगा।

प्रमुख अभियंता द्वारा भी निर्देश दिया गया था (सितम्बर 2008) कि विद्यमान सड़कों पर सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापना का कार्य बीबीडी परीक्षण विधि के अनुसार किया जाना चाहिए तथा अग्रेतर यह निर्देश दिए गए (सितम्बर 2016) कि बीबीडी परीक्षण विधि के स्थान पर एफडब्ल्यूडी विधि द्वारा ओवरले डिजाइन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गयीं सभी सड़कें इन-सर्विस सड़कें थीं तथा इनका चौड़ीकरण और/या सुदृढीकरण केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया था। तथापि, विभागीय अधिकारियों द्वारा नमूना जाँच की गयी सभी 109 सड़कों के पेवमेंट डिजाइन, पुरानी/खस्ताहाल सामग्री वाली विद्यमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन कार्य हेतु निर्धारित आईआरसी विशिष्टियों के स्थान पर, नई सामग्री की गुणवत्ता (मॉडुलस) आधारित नए लचीले पेवमेंट डिज़ाइन हेतु आईआरसी विशिष्टियों (आईआरसी:37 2012/2018) को अपनाते हुए किया गया था, जबकि पुरानी/खस्ताहाल सामग्री की गुणवत्ता नई सामग्री की गुणवत्ता के समतुल्य नहीं हो सकती।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि सड़क के चौड़ीकरण को नई सड़क माना गया और उसी के अनुसार डिजाइन किया गया है जबकि वर्तमान सड़क के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक क्रस्ट ओवरले की गणना एफडब्ल्यूडी/बीबीडी परीक्षण विधि द्वारा की जाती है। जहाँ सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण दोनों की आवश्यकता होती है, वहां दोनों विधियों (नई सड़क और सुदृढ़ीकरण हेतु) द्वारा गणना की गयी क्रस्ट आवश्यकता का मिलान करना अनिवार्य है। इसलिए, सड़क का चौड़ीकरण किए जाने वाले भाग की सीबीआर सड़क के वर्तमान भाग के समान मानते हुए सड़क को नई सड़क के रूप में डिजाइन किया जाता है और वर्तमान क्रस्ट को समायोजित करके ओवरले की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि चूँकि चौड़ीकरण वाले भाग (विभिन्न परतों में) में उपयोग की जाने वाली सामग्री का मॉडुलस ज्ञात है और बिल्कुल मानकों के अनुसार सुलभ है इसलिए ओवरले को आसानी से और सटीक रूप से डिज़ाइन किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन कार्यों में विभाग द्वारा मात्र सड़क सुदृढ़ीकरण किया गया था, वहाँ क्रस्ट ओवरले का डिज़ाइन एफडब्ल्यूडी/बीबीडी परीक्षण विधि के अनुसार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण दोनों किए गए थे, वहाँ दोनों विधियों[13] से आवश्यक क्रस्ट की गणना नहीं की गयी थी। इसके अलावा, चौड़ीकरण वाले

[13] आईआरसी: 37-2012/2018 के अनुसार नई सामग्री का उपयोग कर नई सड़क के रूप में तथा पुरानी सड़क (पुरानी/खस्ताहाल सामग्री से बनी) पर आईआरसी: 81-1997 या आईआरसी: 115-2014 के अनुसार मापे गए विक्षेपण (डिफ्लेक्शन) पर आधारित आवश्यक ओवरले।

भाग में प्रयुक्त नई सामग्री का मॉडुलस अधिक होता है और वर्तमान सड़क की खस्ताहाल/पुरानी सामग्री के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता था। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) के दौरान भी विभाग द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु डिजाइनिंग के लिए लागू विनिर्देशों के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया।

विस्तृत प्राक्कलनों की प्राविधिक स्वीकृति

3.7 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 318 में परिकल्पित है कि सम्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक कार्य के लिए, कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति के लिए उचित विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। प्राविधिक स्वीकृति आश्वस्त करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं तथा प्राक्कलन सटीक रूप से आगणित एवं पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित हैं।

प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने में समय-सीमा का पालन

3.7.1 प्रमुख अभियंता द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था (जनवरी 2002) कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की तिथि से 45 दिनों (दिनांक 29.10.2020 से 60 दिनों) के अन्दर मुख्य अभियंताओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलनों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। प्रमुख अभियंता द्वारा अग्रेतर निर्देश दिया गया कि यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्राविधिक स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी तो उत्तरदायी अधिकारी को विलम्ब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से 42 कार्यों (40 प्रतिशत) के विस्तृत प्राक्कलनों पर मुख्य अभियंताओं द्वारा एक से 126 दिनों तक के विलम्ब से प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी **(परिशिष्ट-3.8)** जैसा कि नीचे **तालिका 3.3** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब का विवरण

क्र. सं.	विलम्ब दिवसों में	कार्यों की संख्या
1	01 से 15	22
2	16 से 30	10
3	31 से 90	05
4	90 एवं अधिक	05

स्रोत: उत्तर प्रदेश शासन के स्वीकृति आदेश एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा निर्गत प्राविधिक स्वीकृतियाँ

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दो कार्यों[14] के प्रकरणों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्य की वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के दिन ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत प्राक्कलनों पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि अन्य

[14] निर्माण खण्ड-2, बिजनौर का नगीना रायपुर कोटकादर कोटद्वार मार्ग तथा रेहड़ केहरीपुर बादीगढ़ सुआवाला सूरजनगर मार्ग।

प्रकरणों में विलम्ब देखा गया जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। विलम्बित प्राविधिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब होता है।

उत्तर में, शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) और बताया कि कभी-कभी विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए सभी प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में अधिक समय लगता है जिसके कारण विलम्ब होता है। विभाग द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में सभी प्राक्कलनों को नियत समय सीमा के अन्दर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार को प्रेषित कार्यों की प्रस्तावित लागत प्राक्कलनों पर आधारित नहीं होना

3.7.2 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्थलीय आवश्यकताओं के आधार पर, सड़क कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं। तदनुसार, प्रस्तावित कार्यों के प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। धन की उपलब्धता तथा कार्य की प्राथमिकता के आधार पर, विभाग यह निर्णय लेता है कि इसे केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को संस्तुत किया जाए अथवा नहीं। भारत सरकार के प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात्, वित्त विभाग के अनुमोदन के साथ प्राक्कलन/प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति/व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अभिलेखों की जाँच में, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए पाँच सड़क कार्यों के प्रस्तावित/स्वीकृत लागत तथा प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार लागत में अत्यधिक अन्तर पाया गया जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं प्राविधिक स्वीकृति की लागत के सापेक्ष कार्यों की स्वीकृत लागत में अंतर

(₹ करोड़ में)

सड़क का नाम	प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार लागत	भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावित/वित्तीय स्वीकृत लागत	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार कार्य की लागत
चंदौली बबुरी	14.66	27.81	15.70
अहरौरा चकिया इलिया	11.85	28.88	13.59
लेवा इलिया	27.10	37.95	32.09
धरसौना नियार	14.57	19.07	15.91
सारनाथ रौनाखुर्द	15.10	26.92	16.15
योग	**83.28**	**140.63**	**93.44**

स्रोत: स्वीकृति आदेश, प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं विस्तृत प्राक्कलन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इन पाँच कार्यों की प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार अनुमानित लागत मात्र ₹ 83.28 करोड़ थी, परन्तु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 140.63 करोड़ (प्रारम्भिक प्राक्कलन का 169 प्रतिशत) के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए जिन्हें भारत सरकार द्वारा

अनुमोदित किया गया तथा तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समान धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की गयीं। अग्रेतर, इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए, ₹ 93.44 करोड़ (वित्तीय स्वीकृति का 66 प्रतिशत) के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राविधिक रूप से स्वीकृत कराये गये।

इस प्रकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किए गए प्रस्ताव, कार्यों के प्रारम्भिक प्राक्कलन पर आधारित नहीं थे। यह कार्यों की प्रशासकीय अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रामाणिक प्रस्ताव तैयार करने में प्राधिकारियों द्वारा की गयी त्रुटि को दर्शाता था जो प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार अनुमानित लागत से बहुत भिन्न थे।

शासन का उत्तर (अक्टूबर 2023) कार्यों के प्रारम्भिक प्राक्कलन की तुलना में भारत सरकार को अधिक लागत प्रस्तावित किए जाने के प्रकरण पर विशिष्ट टिप्पणी नहीं करता था। तथापि, यह बताया गया कि विस्तृत प्राक्कलन पर प्राविधिक स्वीकृति कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी है, जिसमें कार्यस्थल की स्थिति और यातायात आवश्यकताओं के कारण प्रारम्भिक प्राक्कलन से कुछ अंतर है। वर्तमान में, प्रारम्भिक चरण में ही विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है और उसी पर कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किए गए प्रस्तावित कार्यों की लागत उनके प्रारम्भिक प्राक्कलनों से बहुत अधिक थी यद्यपि सम्बन्धित कार्यों की प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार लागत और प्राविधिक स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार लागत में अधिक अंतर नहीं था।

निष्कर्ष

यातायात वृद्धि दर ज्ञात करने हेतु विभाग द्वारा आवधिक यातायात गणना नहीं की गयी थी। सड़कों के पेवमेंट डिजाइनिंग हेतु वीडीएफ का मान ज्ञात करने के लिए एक्सल लोड सर्वेक्षण भी नहीं किये गये थे। इसके स्थान पर, डिज़ाइन ट्रैफ़िक के आगणन हेतु विश्वसनीय डाटा के अभाव में इनके सांकेतिक मान अपनाए गए। खण्डों द्वारा सबग्रेड की मजबूती निर्धारित करने के लिए आईआरसी मानदण्डों के अनुसार मृदा परीक्षण (सीबीआर) नहीं किए गए थे तथा सीबीआर परीक्षण के परिणामों की जाँच किए बिना ही प्राविधिक स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं थीं।

अध्याय-IV

निविदा, कार्यों का प्रदान किया जाना एवं निष्पादन

अध्याय-IV

निविदा, कार्यों का प्रदान किया जाना एवं निष्पादन

विस्तृत प्राक्कलनों पर प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व बड़ी संख्या में निविदाएँ आमंत्रित की गयी अर्थात निष्पादित की जाने वाली कार्य-मात्रा के बिल पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पूर्व एवं यहाँ तक कि भारत सरकार के अनुमोदन तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्वीकृति से भी पूर्व निविदाएँ आमंत्रित की गयीं। एकल निविदा के आधार पर भी अनुबंध प्रदान किये गये। तकनीकी बिडों के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कुछ प्रकरण पाए गये। नमूना जाँच किए गए 78 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हुए।

प्रस्तावना

4.1 सार्वजनिक अनुबंध में प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता लाने एवं मनमानेपन को समाप्त करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। सार्वजनिक प्राप्ति की प्रक्रिया का प्रथम चरण, आवश्यकता के आकलन के पश्चात्, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से सभी संभावित बिडदाताओं से बिडें प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित किया जाना है। बिडदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का पर्याप्त प्रचार किया जाना एवं बिडदाताओं को अपनी बिड तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाना एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी निविदा प्रणाली की बुनियादी एवं अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं।

निविदा प्रक्रिया

4.2 उत्तर प्रदेश शासन ने लोक निर्माण प्राधिकारियों द्वारा निविदाएं निर्गत किए जाने हेतु मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट (एमबीडी) अधिसूचित (जनवरी 2007) किया। तीन पृथक एमबीडी यथा, ₹ 40 लाख तक की लागत वाले कार्यों के लिए टी-1, ₹ 40 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए टी-2 एवं टी-3 सामग्री की आपूर्ति हेतु हैं। एमबीडी में निविदा हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं। अग्रेतर, राज्य सरकार ने (जनवरी 2016) लोक निर्माण विभाग के ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिए एवं ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक लागत वाले कार्यों के लिए (जुलाई 2018), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) को अपनाये जाने का निर्णय किया। उत्तर प्रदेश शासन का लोक निर्माण विभाग कार्यों के निष्पादन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ई-पोर्टल पर बिडें आमंत्रित करता है। बीड़ों के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा दो चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रथम चरण में, प्रत्येक बिड का ई-पोर्टल पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है और अपलोड किए

गए दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात्, बिड को अर्ह[1] या अनर्ह घोषित किया जाता है। द्वितीय चरण में, मात्र उन बिडदाताओं की वित्तीय बिड खोली जाती हैं जो तकनीकी मूल्यांकन में सफल होते हैं और अर्ह घोषित किए जाते हैं। वित्तीय बिड के मूल्यांकन के पश्चात्, अर्ह न्यूनतम बिडदाता के साथ अनुबंध गठित किया जाता है।

चयनित कार्यों के अभिलेखों की नमूना जाँच में विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया एवं बिड के तकनीकी मूल्यांकन में कमियाँ परिलक्षित हुई, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदाएं आमंत्रित किया जाना

4.2.1 केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों/परियोजनाओं का प्रशासकीय अनुमोदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात, इन कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है और तब, विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं एनआईटी निर्गत की जाती है।

वित्तीय नियमों[2], शासनादेश[3] एवं विभागीय परिपत्र[4] के अनुसार, निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कार्य की बीओक्यू को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप तैयार किए गए विस्तृत प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही बीओक्यू को अंतिम रूप दिया जाता है/प्रामाणित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य के प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा प्राक्कलन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् ही निविदा निर्गत की जानी चाहिए। बिडदाताओं द्वारा उद्धृत दरों की तार्किकता का आंकलन भी प्राविधिक स्वीकृति में अनुमोदित विभागीय दरों से तुलना करके किया जाता है।

नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि:

- ₹ 306.24 करोड़ की लागत के 18 कार्यों **(परिशिष्ट-4.1)** के निष्पादन के लिए, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के 25 दिनों से 82 दिनों पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित की गयीं थी।

---

[1] जब कोई बिड निविदा के नियम, शर्तों एवं विशिष्टियों को बिना महत्वपूर्ण विचलन एवं प्रतिबन्ध के पूरा करती है, तब उसे अर्ह माना जाता है।

[2] उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड- VI के प्रस्तर 356, 375(अ) तथा 318

[3] 989/23-9-99-11 एसी 96/ दिनांक 12.05.1999

[4] 32 शिविर प्रमुख अभियंता (पी)/ निविदा प्रक्रिया/ 2004 दिनांक 05.04.2004

- ₹ 1,636.16 करोड़ की लागत के 61 कार्यों के लिए निविदाएं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के 3 दिनों से 124 दिनों पूर्व आमंत्रित की गयीं थी, जैसा कि **परिशिष्ट-4.2** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है एवं निम्नवत **तालिका 4.1** में संक्षेपित है:

तालिका 4.1: वित्तीय स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी की स्थिति

क्र. सं.	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी (दिनों में)	कार्यों की संख्या
1	30 तक	25
2	31 से 60	13
3	61 एवं अधिक	23
योग		**61**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 36 निविदाएं[5] (32 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने से एक माह से अधिक समय पूर्व आमंत्रित की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, ₹ 216.08 करोड़ की लागत के चार कार्यों में, वित्तीय स्वीकृति से पूर्व ही वित्तीय बिडें खोली गयीं।

- ₹ 2,917.17 करोड़ की लागत वाले 97 कार्यों के निष्पादन के लिए, प्राविधिक स्वीकृति से 8 दिनों से 172 दिनों पूर्व में ही निविदाएं आमंत्रित की गयीं, जैसा कि **परिशिष्ट-4.3** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है एवं निम्नवत **तालिका 4.2** में संक्षेपित है:

तालिका 4.2: प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी की स्थिति

क्र. सं.	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी (दिनों में)	निविदाओं की संख्या
1	30 तक	23
2	31 से 60	21
3	61 एवं अधिक	53
योग		**97**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 74 निविदाएं[6] (67 प्रतिशत), प्राविधिक स्वीकृति से एक माह या उससे अधिक समय पूर्व आमंत्रित की गयीं।

अग्रेतर, यह पाया गया कि उपरोक्त 97 कार्यों (**तालिका 4.2**) में से, ₹ 2,052.31 करोड़ की लागत वाले 62 कार्यों **(परिशिष्ट-4.4)** में प्राविधिक स्वीकृति निर्गत किए जाने से पूर्व वित्तीय बिडें खोली गयी।

इस प्रकार प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति के बिना, निविदाओं का आमंत्रण तथा बिडों का खोला जाना इंगित करता है कि विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और निविदा मानदण्डों का पालन नहीं

---

[5] नमूना-जाँच किए गए 109 कार्यों के निष्पादन हेतु कुल आमंत्रित111 निविदाओं के सापेक्ष।

[6] नमूना-जाँच किए गए 109 कार्यों के निष्पादन हेतु आमंत्रित 111 निविदाओं के सापेक्ष।

किया जा रहा था। प्राविधिक स्वीकृति के बिना निविदाएं आमंत्रित किए जाने के कारण निविदाएं खोलने के पश्चात् बीओक्यू को पुनरीक्षित भी किया जाता है जैसा कि **प्रस्तर 4.4.2** में चर्चा की गयी है।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों (शासनादेश दिनांक 9 नवम्बर 2017 द्वारा) के अनुपालन में केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 356 में निहित प्रावधान में भी यह उल्लेख है कि कार्य-अनुबंध बनने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति आवश्यक है, जिससे कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और ड्राइंग के अनुसार निष्पादित किया जा सके। विशिष्टियाँ जो कि प्राविधिक स्वीकृति का अंग होती हैं, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से अनुमोदित किए जाने सम्बन्धी प्रतिबंध, निविदा आमंत्रण पर लागू न होकर अनुबंध निर्माण के चरण में लागू होता है। अग्रेतर, यह भी अवगत कराया गया कि कार्यों को समय-बद्ध रूप में पूर्ण करने के लिए निविदाओं को आमंत्रित करने में विलम्ब से बचने हेतु, स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं एवं इस प्रक्रिया में शासन को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 356 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुबंध दस्तावेज़ में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य के विभिन्न मदों की मात्राओं की अनुसूची (बीओक्यू) सम्मिलित होती है। अतः, निविदा आमंत्रित किए जाने से पूर्व कार्य के बीओक्यू को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है क्योंकि बिडदाता निविदत्त बीओक्यू के लिए अपनी दरें उद्धृत करते हैं तथा सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति के पश्चात् ही बीओक्यू को अंतिम रूप दिया जाता है/प्रमाणित किया जाता है। शासनादेश एवं विभागीय परिपत्र में भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि बीओक्यू को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही एनआईटी को प्रकाशित किया जाना चाहिए।

बिडदाताओं को बिडें जमा करने हेतु दी गयी समयावधि

4.2.2 वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 360 (2) में निर्धारित है कि निविदाएं प्रस्तुत करने का समय, एनआईटी की तिथि से कम से कम एक माह बाद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया (दिसम्बर 2000) कि सामान्यतः निविदाएं कम से कम 30 दिनों की पूर्व सूचना देते हुए आमंत्रित की जाएंगी एवं विशेष परिस्थितियों में, अल्पकालिक निविदाएं कम से कम 15 दिनों की पूर्व सूचना पर आमंत्रित की जा सकती हैं।

नमूना-जाँच किए गए खण्डों के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि बिडदाताओं से अल्प अवधि की निविदा सूचनाओं के माध्यम से बिडें आमंत्रित

की गयी थीं, जैसा कि **परिशिष्ट-4.5** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है तथा निम्नवत **तालिका 4.3** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 4.3: बिडों को प्रस्तुत करने के लिए दी गयी समयावधि

क्र. सं.	बिडों के खुली रहने की अवधि (दिनों में)	बिडों की संख्या
1	14 तक	15
2	15 से 29	56
3	30 एवं अधिक	40
योग		**111**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 71 प्रकरणों (64 प्रतिशत) में 30 दिनों की निर्धारित समयावधि नहीं दी गयी। अग्रेतर, इन 71 प्रकरणों में से 15 प्रकरणों में विशेष परिस्थितियों/तात्कालिकता के लिए निर्धारित 15 दिनों की न्यूनतम समयावधि नहीं प्रदान की गयी।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि अधिकांश प्रकरणों में पर्याप्त समय दिया गया था, जबकि कुछ प्रकरणों में कम समय दिया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के मैनुअल ऑफ ऑर्डर्स के प्रस्तर 437 में असाधारण परिस्थितियों में, कारणों को स्पष्ट रूप से अंकित करने के पश्चात्, अल्प अवधि निविदा सूचना की अनुमति दी गयी है। अतः मैनुअल में निविदा आमंत्रित करने के लिए दिनों का कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकांश प्रकरणों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पायी गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन प्रकरणों में अल्प-कालिक निविदा सूचना के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, उनमें ऐसा किए जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 15 प्रकरणों में तो असाधारण परिस्थितियों के लिए निर्धारित 15 दिनों की न्यूनतम समयावधि भी नहीं प्रदान की गयी थी।

संस्तुति 5:

निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मकता एवं निष्पक्षता में सुधार हेतु विभाग को अल्पकालिक निविदा सूचनाओं की प्रथा से बचना चाहिए।

तकनीकी बिड मूल्यांकन

4.3 एमबीडी/एसबीडी में प्रावधान है कि मात्र उन्हीं बिडदाताओं की वित्तीय बिडें खोली जाएंगी जो तकनीकी बिड मूल्यांकन में अर्ह पाये जाते है। तकनीकी बिडों के मूल्यांकन के लिए, विगत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति, विगत पाँच वर्षों की अवधि में निष्पादित कार्य, चल रहे /प्रतिबद्ध सिविल कार्यों की देयता, उपकरण/मशीनरी की उपलब्धता, सिविल कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारी आदि का विवरण, ठेकेदार द्वारा ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाना होता है।

नमूना जाँच किए गए कार्यों के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी बिड मूल्यांकन की प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया था। तकनीकी बिडों के मूल्यांकन में पाई गयी अनियमितताओं का विवरण निम्नवत है:

तकनीकी बिडों का अनुचित मूल्यांकन

4.3.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-टेंडरिंग पोर्टल (प्रहरी पोर्टल) पर अपलोड की गयी बिडों को उनकी तकनीकी पात्रता के उचित मूल्यांकन के बिना ही अर्ह घोषित किया गया था। यह तब पता चला जब तकनीकी पात्रता के विषय में अन्य बिडदाताओं की शिकायतों पर, सम्बन्धित निविदा समितियों द्वारा की गयी जाँच के उपरान्त, कुछ बिडदाताओं, जिन्हें पूर्व में अर्ह घोषित किया गया था, बाद में अर्ह नहीं पाए गए, तब उन्होंने तत्पश्चात उन्हें तकनीकी रूप से अपात्र घोषित किया, जैसा कि निम्नवत दी गयी **तालिका 4.4** में विस्तृत रूप से प्रदर्शित है:

तालिका 4.4: पुनःजाँच के पश्चात् में अनर्ह पायी गयी बिडों का विवरण

खण्ड का नाम	कार्य का नाम	बिड की लागत (₹ करोड़ में)	प्रथम बार में अर्ह पायी गयी बिडें	पुनः जाँच के उपरान्त	
				अर्ह पायी गयी बिडें	अनर्ह पायी गयी बिडें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	एनएच-734 मार्ग से सुआवाला सुरजन नगर मार्ग	21.97	12	03	09
प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपर मार्ग	12.84	10	04	06
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर मार्ग	14.93	10	04	06

इससे इंगित होता है कि विभाग में निविदा समितियों द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अधीन ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर बिडदाताओं की तकनीकी पात्रता का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि नियमों के अनुसार, शिकायत मिलने पर ठेकेदार की निविदा को अनर्ह घोषित किया जाना सामान्य प्रक्रिया है। कुछ निविदाओं में यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब ठेकेदार के कार्य अनुभव/वित्तीय क्षमता, मशीनरी आदि के विषय में दी गयी जानकारी गलत पाई जाती है। वर्तमान में, प्रहरी पोर्टल के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, जिससे ऐसी घटनाओं के घटित होने की संभावना अत्यंत क्षीण हो गयी है।

तथ्य यथावत है कि ई-टेंडरिंग पोर्टल पर बिडों के साथ त्रुटिपूर्ण सूचनाएं अपलोड किये जाने के उपरान्त भी, बिडदाताओं को अनर्ह घोषित नहीं किया गया था।

अनुबंध प्रदान करना

4.4 अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया में पाई गयी कमियों पर निम्नवत चर्चा की गयी है:

एकल निविदाओं की स्वीकृति

4.4.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वीकृति के समर्थन में विस्तृत औचित्य के साथ, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही एकल निविदाएँ स्वीकार की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया (जनवरी 2019) कि प्रथम बार में एकल निविदा स्वीकार न की जाए।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना जाँच में सम्मिलित कुल 111 प्रकरणों में से, 12 प्रकरणों में एकल निविदाएं प्राप्त हुई थीं। इन 12 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में, बिना कोई औचित्य अभिलिखित किए एकल निविदा के आधार पर अनुबंध गठित किए गए थे **(परिशिष्ट-4.6)**, जबकि पाँच प्रकरणों में पुनः निविदा आमंत्रण के उपरान्त अनुबंध गठित किये गए थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इन सात अनुबंधों का गठन किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) के दौरान विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सीवीसी के निर्देशों का पालन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिल ऑफ़ क्वांटिटी का पुनरीक्षण

4.4.2 सामान्यतः नियमों एवं शर्तों या कार्यमदों की मात्रा में, जो निविदा का अंग हैं, कोई बड़ा विचलन, निविदा खोलने के पश्चात् नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे निविदा प्रक्रिया दूषित होती है।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि 15 अनुबंधों[7] **(परिशिष्ट 4.7)** के गठन के लिए, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ₹ 305.79 करोड़ की धनराशि की बीओक्यू के साथ निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं एवं वित्तीय बिडों के खुलने के पश्चात् (निविदा को अंतिम रूप देने के दौरान), इन निविदाओं की बीओक्यू को ₹ 116.54 करोड़ (मूल बीओक्यू के सापेक्ष 50.25 प्रतिशत से 83.01 प्रतिशत के मध्य विचलन) में पुनरीक्षित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 189.25 करोड़ नीचे की ओर पुनरीक्षण हुआ।

---

[7] ऐसे अनुबंधों में जहाँ निविदा अभिलेखों के अनुसार बीओक्यू में नीचे की ओर विचलन अनुबंध में 50 प्रतिशत से अधिक था।

अग्रेतर, यह भी पाया गया कि सड़क निर्माण कार्यों के लिए ग्रेन्युलर सब-बेस, वेट मिक्स मैकडम, डेंस बिटुमिनस मैकडम जैसी मूलभूत एवं आवश्यक मदों को हटाये जाने से ₹ 140.90 करोड़ (कुल विचलन का 74 प्रतिशत) के बड़े विचलन की अनुमति प्रदान की गयी। इन कार्यमदों को बाद में उसी अनुबंध के माध्यम से अतिरिक्त मदों[8] के रूप में निष्पादित किया गया। यद्यपि कार्य की ये मदें पूर्व में ही अनुमोदित आगणनों में सम्मिलित थीं परन्तु, अधिकारियों द्वारा अनुबंध की बीओक्यू से इन आवश्यक मदों को बाहर करने तथा बाद में उन्हें अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित करने एवं निष्पादित कराए जाने का कोई औचित्य अंकित नहीं किया गया, जिससे ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी परफॉरमेंस सिक्युरिटी की धनराशि भी ₹ 9.46 करोड़ (₹ 189.25 करोड़ के 5 प्रतिशत की दर से) कम हो गयी, क्योंकि परफॉरमेंस सिक्युरिटी की धनराशि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के निष्पादन के समय अनुबंध मूल्य के सापेक्ष जमा की जाती है।

इस प्रकार, बीओक्यू में परिवर्तन के पश्चात् भी, नए सिरे से निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य सौंपना उचित नहीं था, क्योंकि इससे अन्य बिडदाता, परिवर्तित बीओक्यू के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित हो गए, जिससे निविदा प्रक्रिया दूषित हो गयी।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि विभाग द्वारा मद-वार मूल्य आधारित निविदाएँ आमंत्रित न करते हुए प्रतिशत आधारित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। अनुबंध को अंतिम रूप देते समय, कुछ कार्यमदों की उद्धृत दरें आगणन में इन मदों की दरों से अधिक पाई गयीं। इस प्रकार, शासकीय हित में उन्हें हटाने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था, जिन्हें बाद में निर्धारित दरों/ अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादित किया गया। बीओक्यू में परिवर्तन से निविदा की कुल धनराशि प्रभावित नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन प्रकरणों में निविदाएँ प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अर्थात बीओक्यू के अनुमोदन से पूर्व आमंत्रित की गयी थीं। निविदाओं के खुलने के पश्चात् बीओक्यू में बड़े पुनरीक्षण ने अन्य बिडदाताओं को पुनरीक्षित बीओक्यू लिए बिड करने के अवसर से वंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, विभाग का यह तर्क कि बीओक्यू में परिवर्तन से निविदा की कुल धनराशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भी सही नहीं है क्योंकि जारी की गयी निविदा की बिल ऑफ़ क्वांटिटी एवं किए गए अनुबंध की बिल ऑफ़ क्वांटिटी में बड़ा अंतर था।

संस्तुति: 6

विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निविदाएँ खुलने के पश्चात् बिल ऑफ़ क्वांटिटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन न किया जाए।

---

[8] अतिरिक्त मदें वे मदें हैं जिन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मूल रूप से सहमत कार्य की मदों के अतिरिक्त निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।

ठेकेदारों द्वारा बीमा कवर उपलब्ध नहीं कराया जाना

4.4.3 एमबीडी/एसबीडी[9] में सम्मिलित अनुबंध की सामान्य शर्तों में यह निर्धारित है कि ठेकेदार अपने व्यय पर कार्य, यंत्र एवं सामग्री, उपकरण, परिसंपत्ति तथा व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के नुकसान या क्षति के लिए, कार्य के प्रारम्भ की तिथि से कार्य पूर्ण होने की तिथि तक बीमा कवर प्रदान करेगा। व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए, कार्य के पूर्ण होने की तिथि से डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड की समाप्ति तक की अवधि का भी बीमा कवर प्रदान किया जाना आवश्यक था। बीमा पॉलिसियों/प्रमाण-पत्रों को कार्य के प्रारम्भ/समापन[10] की तिथि से पूर्व, अनुमोदन हेतु अभियंता को प्रदान किया जाना आवश्यक था। बीमा कवर प्रदान करने में ठेकेदार की विफलता को, अनुबंध की शर्तों का मौलिक उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता अनुबंध को निरस्त कर सकता है।

नमूना-जाँच किए गए खण्डों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर[11] में एक कार्य के अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए किसी भी कार्य में ठेकेदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक बीमा कवर प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, किसी भी प्रकरण में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभागीय प्राधिकारियों द्वारा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यों के लिए बीमा कवर सुनिश्चित कराने में विफलता के कारण, इस अवधि में शासन एवं श्रमिकों दोनों के हित जोखिम में रहे। अग्रेतर, इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ भी हुआ क्योंकि बीमा कवर की प्रीमियम धनराशि ठेकेदारों को ही वहन करनी थी।

उत्तर में, शासन द्वारा स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यों का बीमा कराया जाना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में परिपत्र[12] निर्गत किया गया (जनवरी 2018) है। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित सभी प्रकरणों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड भी समाप्त हो चुका है तथा किसी भी अनुबंध के अन्तर्गत जान-माल की किसी भी हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह आश्वस्त किया गया कि भविष्य में निविदा की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

---

[9] अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 13

[10] कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य समाप्ति की तिथि तक तथा कार्य समाप्ति की तिथि से डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के अंत तक।

[11] सिकंदराबाद दनकौर मार्ग के निष्पादन हेतु गठित अनुबंध संख्या 100 दिनांक 08.01.2022

[12] सं 443/एमटी/सामान्य श्रेणी/40एमटी-45/2017 दिनांक 12.01.2018

कार्य पूर्ण होने में विलम्ब

4.5 वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 385 में यह परिकल्पित है कि चल रहे वृहद कार्यों में सभी व्यवधानों की अविलम्ब सूचना अभियंता को दी जानी चाहिए तथा ऐसे व्यवधानों के कारणों एवं इनकी संभावित अवधि को विधिवत स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अग्रेतर, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि नियोक्ता द्वारा किसी क्षतिपूरक घटना[13] या विचलन के कारण कार्य नियत समापन तिथि से पहले पूर्ण होना संभव नहीं होता है, तो नियत समापन तिथि को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में, ठेकेदार द्वारा अनुरोध किए जाने के 21 दिनों के भीतर अभियंता द्वारा समापन तिथि के विस्तार के विषय में निर्णय लिया जाएगा।

नमूना जाँच किए गए 111 अनुबंधों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2,048.06 करोड़ की लागत के 87 अनुबंध (78 प्रतिशत), 59 से 1,474 दिनों के बीच विलम्ब से पूरे हुए तथा 30 सितम्बर 2023 तक ₹ 133.23 करोड़ की लागत के सात कार्य प्रगति पर थे **(परिशिष्ट-4.8)**। समय विस्तार की माँग करने वाले आवेदनों[14] पर तिथि अंकित नहीं थी एवं खण्डीय कार्यालय में उनकी प्राप्ति किसी पंजिका/डायरी में अंकित नहीं की गयी थी। इस कारण, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि ये आवेदन समय पर प्रस्तुत किए गए थे एवं अभियंता ने प्रकरण का समयबद्ध रूप में निपटारा किया था अथवा नहीं।

विलम्ब हेतु उत्तरदायी कारणों में धन का अभाव, वर्षा-काल, भूमि विवाद, खंभों का हटाया जाना, वन विभाग से अनुमति न मिलना, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन इत्यादि सम्मिलित थे। तथापि इन सभी प्रकरणों में व्यवधानों के कारणों का अभिलेखीकरण न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के अतिरिक्त, ठेकेदारों द्वारा अपने आवेदनों में दावा किए गए व्यवधानों की यथार्थता को सत्यापित नहीं कर सका।

कार्यों के विलम्ब से पूर्ण होने के विषय में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया। समय-वृद्धि के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि जिन अनुबंधों में विलम्ब हेतु ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था, उनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई शास्ति अधिरोपित किए समय-वृद्धि स्वीकृत की गयी तथा अन्य प्रकरणों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित किए जाने के पश्चात् समय-वृद्धि स्वीकृत की गयी।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) के दौरान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा

[13] क्षतिपूरक घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण कार्य में 30 दिनों से अधिक की देरी होती है, जिसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी नहीं है।

[14] खण्डीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये सभी 32 आवेदन-पत्र।

निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

कार्यों की निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। कार्यों की वित्तीय/प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदाएँ आमंत्रित की गयीं थी। बिडदाताओं को अपनी बिडों को जमा करने के लिए अपर्याप्त समय दिया गया। वित्तीय बिडों के खोले जाने के पश्चात्, कार्यों के निष्पादन के लिए मूलभूत एवं आवश्यक कार्यमदों को हटाकर बीओक्यू को पुनरीक्षित किया गया, जिन्हें बाद में अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा आवश्यक बीमा कवर सुनिश्चित नहीं किया गया था। नमूना जाँच किये गए 78 प्रतिशत कार्य अपनी पूर्णता की निर्धारित तिथि से विलम्बित हो गए।

अध्याय-V

कार्यों का भुगतान एवं व्यय का लेखांकन

अध्याय-V

कार्यों का भुगतान एवं व्यय का लेखांकन

यह अध्याय कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को किए गए भुगतान एवं लेखा-पुस्तकों में व्यय के लेखांकन से सम्बन्धित है। खण्डीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि ठेकेदारों को भुगतानित अग्रिमों का उपयोग वास्तव में अभीष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया तथा कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में बिना मापन किए भी भुगतान किया गया था। सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में ठेकेदारों को किए गए भुगतान और कार्यों पर लेखांकित व्यय के मध्य अत्यधिक अंतर पाया गया।

प्रस्तावना

5.1 जैसा कि अध्याय-IV के **प्रस्तर 4.2** में चर्चा की गई है, राज्य में अनुबंधों का निष्पादन मॉडल बिड डॉक्यूमेंट (एमबीडी) अथवा स्टैन्डर्ड बिड डॉक्यूमेंट (एसबीडी) के अनुसार किया गया था। अनुबंधों के प्रावधानों[1] के अनुसार, भुगतान का आधार कार्यों की आदेशित और वास्तविक रूप से निष्पादित मात्रा होगी जैसा कि मापित एवं सत्यापित किया गया हो तथा निविदत्त दरों और मूल्यों पर मूल्यांकित किया गया हो। अग्रेतर, एमबीडी के प्रस्तर 39.1 और एसबीडी के प्रस्तर 43.1 में प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान, सिक्यूरिटी डिपाजिट, अनुबंध के अनुसार अन्य वसूली तथा विधि के अन्तर्गत लागू स्रोत पर करों की कटौती को समायोजित करते हुए भुगतान किया जाएगा।

अग्रिम भुगतान

5.2 एसबीडी के प्रस्तर 51.1 (धारा-3) के अनुसार नियोक्ता द्वारा अग्रिमों, जैसे कि मोबिलाइजेशन अग्रिम, उपकरण/मशीनरी अग्रिम तथा कार्यस्थल पर लायी गयी नष्ट न होने वाली सामग्रियों के सापेक्ष सुरक्षित अग्रिम, का भुगतान किया जायेगा। तथापि, एमबीडी {प्रस्तर 45.1 (धारा-4)} में मात्र मोबिलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम का प्रावधान है। अग्रेतर, एसबीडी एवं एमबीडी, दोनों में अग्रिम भुगतान पर ब्याज न लिए जाने का प्रावधान है। ठेकेदार को मोबिलाइजेशन और उपकरण/मशीनरी अग्रिम के समतुल्य धनराशि की वाणिज्यिक बैंक की शर्त-विहीन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होती है जबकि सुरक्षित अग्रिम हेतु किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

मोबिलाइजेशन अग्रिम

5.2.1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एमबीडी में अनुबन्ध मूल्य के पाँच प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में अग्रिम भुगतान का

---

[1] एमबीडी के प्रस्तर 2.1 (धारा-7) एवं प्रस्तर 39.1 (धारा-4), तथा एसबीडी के प्रस्तर-2 (धारा-7) एवं प्रस्तर 43.1 (धारा-3)।

प्रावधान[2] था। इसी प्रकार, एसबीडी में प्रावधान[3] है कि नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत धनराशि तक मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में अग्रिम भुगतान करेगा। ठेकेदार को अभियंता के समक्ष इनवॉइस या अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करते हुए यह प्रदर्शित करना होगा कि अग्रिम धनराशि का उपयोग कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक मोबिलाइजेशन व्यय के भुगतान के लिए ही किया गया है।

नमूना जाँच किए गए 111 में से 74 अनुबंधों में पाया गया कि कार्य हेतु संसाधन जुटाने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों को ₹ 89.29 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था **(परिशिष्ट-5.1)**, परन्तु किसी भी ठेकेदार द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्राप्त अग्रिम का उपयोग वास्तव में कार्य हेतु संसाधन जुटाने के लिए किया गया था।

इस प्रकार, खण्डीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि ठेकेदारों को भुगतान की गयी अग्रिम धनराशि का उपयोग वास्तव में अभीष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था। मोबिलाइजेशन अग्रिम धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करने में खण्डीय अधिकारियों की विफलता ठेकेदारों को अनुचित लाभ में परिणत हुई।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि यदि ठेकेदार ने निर्धारित अवधि में अपने अनुबंध से सम्बन्धित संसाधन जुटा लिए हैं एवं कार्य प्रारम्भ कर दिया है तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ठेकेदार द्वारा प्राप्त अग्रिम धनराशि सम्बन्धित कार्य को प्रारम्भ करने के लिए ही व्यय की गयी है। अग्रिम धनराशि के भुगतान के पश्चात् कार्य का प्रारम्भ होना तथा उसका संतोषजनक ढंग से पूर्ण होना, अग्रिम धनराशि के भुगतान के उद्देश्यों की पूर्ति का सूचक है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन प्रकरणों में ये अग्रिम धनराशि दी गई थी, उनमें कार्य स्थल पर सामग्री/मशीन/श्रमिक जुटाने के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, खण्डीय अधिकारियों को इनवॉइस या अन्य अभिलेखों की प्रतियाँ प्राप्त करनी चाहिए थीं जिससे यह सुनिश्चित होता कि ठेकेदार ने अग्रिम धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्य के लिए ही किया है।

उपकरण/मशीनरी अग्रिम

5.2.2 एमबीडी में अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा में, कार्य स्थल पर लाए गए उपकरणों की लागत का 90 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त उपकरण अग्रिम के भुगतान का प्रावधान है। एसबीडी में भी अनुबंध

---

[2] प्रस्तर 45.1 (अ), धारा-4।

[3] प्रस्तर 51.1 एवं कान्ट्रैक्ट डाटा की मद संख्या 32 (i)।

मूल्य के अधिकतम पाँच प्रतिशत तक उपकरण अग्रिम का प्रावधान है। अग्रिम भुगतान का उपयोग ठेकेदार को केवल कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपकरण और संयंत्र हेतु भुगतान के लिए करना होगा तथा इस आशय के साक्ष्य हेतु इनवॉइस या अन्य अभिलेखों की प्रतियाँ अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा जाँच में विदित हुआ कि नमूना जाँच किए गए 111 में से 66 अनुबंधों में विभाग द्वारा उपकरण अग्रिम के रूप में ₹ 122.53 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों को विशेष रूप से आवश्यक मशीनरी/उपकरणों के क्रय हेतु किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 53 प्रकरणों में ₹ 87.13 करोड़ की धनराशि के उपकरण/मशीनरी के क्रय के साक्ष्य के रूप में टैक्स इनवॉइस, रसीदें आदि प्राप्त करने में खण्डीय अधिकारी विफल रहे **(परिशिष्ट-5.2अ)**। अग्रेतर, सात प्रकरणों में ₹ 11.55 करोड़ के प्रोफार्मा इनवॉइस (रेट कोटेशन) को खण्डीय अधिकारियों द्वारा उपकरण/मशीनरी के क्रय के अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया **(परिशिष्ट-5.2ब)** जिसे क्रय के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि सात प्रकरणों, जहाँ टैक्स इनवॉइस प्राप्त की गयी थी, ₹ 15.08 करोड़ की लागत के उपकरण/मशीनरी बैंकों के पास बंधक रखे गए थे, जिससे स्पष्ट है कि यह उपकरण/मशीनरी बैंकों से ऋण लेकर क्रय किए गए थे। यह भी पाया गया कि छः प्रकरणों में ₹ 8.71 करोड़ की लागत के उपकरण/मशीनरी ठेकेदारों द्वारा अग्रिम प्राप्त करने के पूर्व ही क्रय किए जा चुके थे। यह दर्शाता है कि उपकरण/मशीनरी क्रय हेतु विभाग से प्राप्त किए गए अग्रिम का ठेकेदारों द्वारा वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) तथा बताया गया कि जिन प्रकरणों में उपकरण/मशीनरी अग्रिम भुगतान के पश्चात् टैक्स इनवॉइस प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा उन प्रकरणों में भी जहाँ बैंकों से ऋण लेकर मशीनें क्रय की गई हैं, कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में, अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उपकरण/मशीनरी अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली की जा चुकी है, अतः विभाग को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

सुरक्षित अग्रिम

5.2.3 जैसा कि उपर्युक्त **प्रस्तर 5.2** में उल्लेख किया गया है, एमबीडी में मात्र मोबिलाइजेशन और मशीनरी अग्रिम का प्रावधान है तथा कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री हेतु सुरक्षित अग्रिम का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि यद्यपि अनुबंध में ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था परन्तु पाँच खण्डीय

अधिकारियों द्वारा आठ कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री हेतु ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम के रूप में ₹ 19.65 करोड़ का भुगतान **(परिशिष्ट 5.3)** किया गया था।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच से प्रकट हुआ कि तीन खण्डों में नौ कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित चालू देयकों में कार्य की एक मद 'कलेक्शन ऑफ मटेरियल' जोड़कर ठेकेदारों को ₹ 36.02 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था **(परिशिष्ट-5.4)**, जो न तो अनुबंध/प्राक्कलन के बिल आफ क्वांटिटी में सम्मिलित था और न ही अतिरिक्त मद के रूप में सम्पादित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। यद्यपि इन भुगतानों को ठेकेदारों के बाद के देयकों से समायोजित कर लिया गया था परन्तु खण्डीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को इस सीमा तक उनकी तरलता बढ़ाकर अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि सुरक्षित अग्रिम वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 456 के अनुसार दिए गए थे। विभाग के निर्माण कार्यों के सम्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रावधान सर्वोपरि एवं मान्य हैं। एमबीडी के प्रावधान किसी भी स्थिति में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रावधानों को अतिक्रमित नहीं कर सकते हैं। अग्रेतर यह भी बताया गया कि दी गई अग्रिमों की वसूली कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तें दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होती हैं तथा इन प्रकरणों के अनुबंधों में सुरक्षित अग्रिम का कोई प्रावधान नहीं था। अनुबंध की शर्तों से परे ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु किसी भी विभागीय अधिकारी के कृत्य की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संस्तुति 7:

शासन द्वारा अनियमित अग्रिमों के प्रकरणों की जाँच की जानी चाहिए एवं दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

कार्य सम्पादन हेतु भुगतान

5.3 एमबीडी/एसबीडी में प्रावधानित है कि सम्पादित कार्य का मूल्य अभियंता द्वारा माप के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें बिल ऑफ क्वांटिटी के पूर्ण की गयी मदों की मात्रा का मूल्य एवं इसमें भिन्नता तथा क्षतिपूरक घटनाओं का मूल्य भी सम्मिलित होगा।

बिना मापन के भुगतान

5.3.1 एमबीडी/एसबीडी की शर्तों के अनुसार भुगतान का आधार आदेशित एवं सम्पादित किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा होगी जैसा कि अभियन्ता द्वारा मापा और सत्यापित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि सम्पादित कार्य के मापन के बिना ठेकेदार को कार्य हेतु भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि उत्तरदायी अभियंता द्वारा निष्पादित कार्यों की माप अंकित करने के पूर्व ही चार खण्डीय अधिकारियों[4] द्वारा आठ प्रकरणों में ठेकेदारों को ₹ 45.68 करोड़ **(परिशिष्ट-5.5)** का भुगतान किया गया था। यद्यपि मापन के बिना किए गए भुगतान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित किए गए माप के आधार पर ठेकेदारों के आगामी देयकों से समायोजित कर लिया गया था, परन्तु यह अनुबंध-समझौते के नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं था।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 457 के प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी विस्तृत माप के बिना अपने उत्तरदायित्व पर अग्रिम भुगतान करने के लिए सक्षम है। अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित समस्त प्रकरणों में भुगतान किए गए अग्रिम की वसूली कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के वित्तीय हितों के संरक्षण हेतु, सम्पादित कार्य का मापन किए बिना ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

निर्धारित विधि के अनुसार मापन न किया जाना

5.3.2 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों का क्लॉज़ 113.3 नियत करता है कि सब-बेस, बेस तथा बिटुमिनस कोर्स की तैयार मोटाई का भुगतान, आयतन के आधार पर किया जाएगा एवं इसकी गणना निर्माण से पूर्व तथा निर्माण के पश्चात् निर्दिष्ट ग्रिडों[5] पर मापित स्तरों के आधार पर की जाएगी। किसी भी क्षेत्र में पेवमेंट की औसत मोटाई उस क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त ग्रिड बिंदुओं पर निर्माण से पूर्व और बाद के स्तरों के अंतर का अंकगणितीय माध्य होगी। इस लेवलिंग विधि द्वारा मापन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वास्तव में परतों की प्राप्त मोटाई आरेखणों में प्रदर्शित डिज़ाइन की गई मोटाई से कम नहीं है तथा मोटाई में कमी, यदि कोई हो, ज्ञात हो जाए। मोटाई में सहय सीमा[6] से अधिक की कमी से न

---

[4] अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड कौशांबी, अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड जौनपुर एवं अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-2 बिजनौर।

[5] स्तर को निर्माण से पहले और बाद में, सीधी पहुंच में केंद्र से केंद्र तक अनुदैर्ध्य रूप से 10 मीटर तथा मोड़ पर 5 मीटर के ग्रिड पर मापा जाएगा। सामान्यतः दो-लेन वाली सड़कों पर अनुप्रस्थ रूप से चार स्थानों पर स्तर का मापन किया जाएगा जो कि कैरिजवे के दोनों किनारों से 0.75 और 2.75 मीटर की दूरी पर होंगे, तथा एकल-लेन वाली सड़कों पर इन्हें अनुप्रस्थ रूप से दो स्थानों पर लिया जाएगा जो कि कैरिजवे के दोनों किनारों से 1.25 मीटर की दूरी पर होंगे।

[6] जैसा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशन के धारा 900 की तालिका 900.1 में निर्दिष्ट है।

केवल ठेकेदार को अनपेक्षित लाभ मिलेगा अपितु सड़क के जीवन काल से भी समझौता होगा।

नमूना जाँच किए गए खण्डों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खण्डों द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार सभी ग्रिड बिंदुओं पर माप लेने के स्थान पर सड़क के बाएं, मध्य और दाएं तरफ 50 मीटर लम्बाई के अंतराल पर परत की मोटाई का मापन किया गया तथा उनका औसत निकालकर सब-बेस, बेस और बिटुमिनस कोर्स की मोटाई का आकलन किया गया।

इस प्रकार, वास्तव में कार्य की सम्पादित मात्रा की गणना हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित विधि का अनुपालन नहीं किया गया तथा सड़क के जीवन काल से किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना को समाप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में परतों (लेयर) की प्राप्त मोटाई डिजाइन की गई मोटाई से कम नहीं थी।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापन प्रक्रिया को अपनाने पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।

श्रम उपकर की कम/नहीं कटौती करना

5.3.3 अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में बिक्री और अन्य लेवी, शुल्क, रॉयल्टी, उपकर, टोल तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के कर सम्मिलित माने जाएंगे, जो ठेकेदार को इस अनुबंध के निष्पादन के लिए भुगतान करने होंगे। लागू विधि के अनुसार, ऐसे करों की कटौती नियोक्ता द्वारा स्रोत पर की जाएगी।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1996 नियत करता है कि जहाँ उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से सम्बन्धित है, वहां ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए देयकों से अधिसूचित दरों[7] पर देय उपकर की कटौती करेंगे या कटौती करवायेगें।

नमूना जाँच किए गए कार्यों के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि:

- खण्डीय अधिकारियों द्वारा 32 कार्यों के सम्पादन के लिए ठेकेदारों को ₹ 721.31 करोड़ का भुगतान किया था जिसमें श्रम उपकर के रूप में ₹ 7.21 करोड़ की कटौती की जानी थी परन्तु ठेकेदारों के देयकों से मात्र ₹ 3.14 करोड़ **(परिशिष्ट 5.6अ)** की कटौती की गयी।

[7] कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत।

- पाँच कार्यों के सम्पादन के लिए ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत देयकों से भुगतान से पूर्व खण्डीय अधिकारियों द्वारा श्रम उपकर की धनराशि ₹ 0.88 करोड़ **(परिशिष्ट 5.6 ब)** की कटौती नहीं की गई थी।
- 19 प्रकरणों में कार्य सम्पादन हेतु ठेकेदारों द्वारा दावा की गई धनराशि में, खण्डीय अधिकारियों द्वारा पहले श्रम उपकर जोड़ा गया और बाद में देयकों से इसकी कटौती की गई। इस कारण, ₹ 2.64 करोड़ का श्रम उपकर ठेकेदारों के स्थान पर अंततः विभाग द्वारा वहन किया गया **(परिशिष्ट 5.7)**।

इस प्रकार, ठेकेदारों के देयकों से श्रम उपकर की कटौती के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे तथा ठेकेदारों को ₹ 7.59 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

उत्तर में, शासन द्वारा उन प्रकरणों की जाँच करने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया (अक्टूबर 2023) जहाँ ठेकेदारों को देय धनराशि में श्रम उपकर जोड़ने के बाद कटौती की गई थी तथा उन प्रकरणों में भी जहाँ श्रम उपकर नहीं काटा गया था।

संस्तुति 8:

अधिकारियों द्वारा सम्पादित कार्य का विधिवत मापन अभिलिखित किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जाना चाहिए। अग्रेतर, शासन द्वारा, श्रम उपकर की कम कटौती अथवा कटौती न किये जाने के प्रकरणों की जाँच के उपरांत दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

व्यय का लेखांकन

5.4 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 93 के अनुसार यह पर्याप्त नहीं है कि किसी अधिकारी के लेखे उसकी अपनी संतुष्टि के अनुसार सही हैं। संवितरण अधिकारी को न केवल स्वयं को, अपितु लेखापरीक्षा विभाग को भी संतुष्ट करना होगा कि स्वीकार किया गया दावा वैध है, वाउचर उस भुगतान का सम्पूर्ण प्रमाण है जिसका वह समर्थन करता है तथा लेखे सभी प्रकार से सही है। यह आवश्यक है कि समस्त लेखे इस प्रकार रखे जाएं तथा ब्यौरे इस प्रकार पूर्ण रूप से अभिलिखित किए जाएं कि किसी भी प्रकरण के विवरण के सम्बन्ध में की जाने वाली जाँच को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित साधन उपलब्ध हो सकें चाहे ऐसी जाँच लेन-देन की मितव्ययिता या उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में ही क्यों न हो। अग्रेतर, यह भी आवश्यक है कि भुगतान, मापन और लेन-देन के अभिलेख सामान्यतः इतने शुद्ध, सुस्पष्ट और स्वतः-पूर्ण होने चाहिए कि न्यायालय में आवश्यकता पड़ने पर तथ्यों के संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकें।

व्यय के लेखांकन के सम्बन्ध में पायी गई त्रुटियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में विस्तार से की गई है:

वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को वास्तविक कार्यों पर लेखांकित न किया जाना

5.4.1 जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI[8] में प्रावधानित है, माह के दौरान किसी कार्य से सम्बन्धित, किए गए समस्त लेन-देन का लेखा-जोखा, चाहे वह नकद, स्टॉक या अन्य प्रभार के रूप में हो, कार्य-सार प्रपत्र में तैयार किया जाना चाहिए। अनुमानित लागत ₹ 20,000 से अधिक के प्रत्येक कार्य हेतु एक वर्ष में खण्ड द्वारा किए गए व्यय का स्थायी और संकलित अभिलेख कार्य पंजिका है। कार्य पंजिका में अंकन मासिक रूप से कार्य-सार से किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी खण्ड द्वारा कार्य-सार एवं कार्य पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था तथा कार्य-सार के अभाव में, लेखापरीक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए देयक के सापेक्ष किया गया भुगतान उसी कार्य पर डेबिट किया गया अथवा लेखा-पुस्तकों में त्रुटिपूर्ण रूप से वर्गीकृत किया गया।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान 21 खण्डों के नमूना जाँच किए गए 66 कार्यों के निष्पादन हेतु, सम्बन्धित वर्षों में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत देयकों के सापेक्ष ₹ 817.24 करोड़ का भुगतान किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 817.24 करोड़ के भुगतान के सापेक्ष, खण्डीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के लेखाओं में मात्र ₹ 631.51 करोड़ ही कार्यों पर व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था। इस प्रकार, व्यय की गयी ₹ 185.73 करोड़ की धनराशि को सम्बन्धित कार्यों पर व्यय के रूप में सम्बन्धित वर्षों में लेखांकित नहीं किया गया अपितु लेखा-पुस्तकों में अन्य कार्यों[9] पर डेबिट कर दिया गया **(परिशिष्ट-5.8)**।

उत्तर में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया (अक्टूबर 2023) कि ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के लिए एक वर्ष में किया गया भुगतान उस कार्य हेतु उस वर्ष प्राप्त आवंटन के समतुल्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्ष में किए गए अधिक व्यय को अन्य कार्यों पर डेबिट किया जाना या कार्यों पर कम व्यय का समायोजन अन्य कार्यों पर किये गये अधिक व्यय से किया जाना, पूर्व के वर्षों में सामान्य प्रथा थी। वर्तमान में नक़द साख सीमा (सीसीएल) व्यवस्था समाप्त कर कोषागार आधारित बजटीय व्यवस्था लागू कर दी गयी है, अत: भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति संभव नहीं है।

---

[8] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 485, 509, 510, 511 एवं 512 ।

[9] उन कार्यों का विवरण जिन पर अन्तर की धनराशि लेखांकित की गयी थी, खण्डों में कार्य-सार का रख-रखाव न होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सका।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष में, लेखों में कार्य पर व्यय के रूप में लेखांकित धनराशि, कार्य के सम्पादन पर किए गए वास्तविक व्यय से भिन्न थी। इस प्रकार, विभाग में व्यय का लेखांकन, खण्डीय कार्यालयों में उपलब्ध वाउचरों/अभिलेखों के अनुसार किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं था।

वित्तीय वर्ष में कार्यों पर किये गये वास्तविक व्यय से अधिक का लेखांकन

5.4.2 शासन द्वारा स्वीकृति आदेश इस शर्त के साथ निर्गत किए जाते हैं कि स्वीकृत धनराशि केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार शासकीय खातें से आहरित की जाएगी एवं बैंक या डाकघर में जमा नहीं की जाएगी, तथा मात्र उस कार्य/मद हेतु उपयोग की जाएगी जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन स्वीकृत कार्य पर खण्ड स्तर पर किए गए सकल व्यय में सम्पादित कार्य की लागत (जीएसटी सहित); आकस्मिकता के लिए तीन प्रतिशत; गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की रूप-रेखा बनाने एवं संचालन की लागत को पूरा करने तथा राज्य गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा कार्यों का अनुश्रवण एवं सम्पादन अभिकरण द्वारा गुणवत्ता जागरूकता में राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिशत; गुणवत्ता नियंत्रण की लागत को पूरा करने, कार्यों के अनुश्रवण और केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्रतिशत तथा कार्य प्रभारित स्थापना के लिए आधा प्रतिशत सम्मिलित होता है।

अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के दौरान ठेकेदारों को किए गए वास्तविक भुगतान एवं अधिकतम स्वीकार्य अन्य व्यय (5.5 प्रतिशत) तथा सम्बन्धित वर्षों की लेखा-पुस्तकों में लेखांकित व्यय के बीच महत्वपूर्ण अन्तर (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख से अधिक) था। 23 खण्डों में नमूना जाँच किये गये 77 कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों को ₹ 846.39 करोड़ का भुगतान किया गया, किन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्षों की लेखा-पुस्तकों में ₹ 1,226.64 करोड़ की धनराशि व्यय के रूप में लेखांकित की गयी थी **(परिशिष्ट 5.9)**। चूँकि, इन कार्यों पर अधिकतम डेबिट योग्य धनराशि ₹ 892.94 करोड़[10] थी जिसमें ₹ 46.55 करोड़ का अनुमन्य अन्य व्यय (5.5 प्रतिशत) सम्मिलित था, जिसके सापेक्ष लेखा-पुस्तकों में ₹ 1,226.64 करोड़ की धनराशि लेखांकित की गई थी, देखा जा सकता है कि सम्बन्धित वर्षों में अन्य कार्यों से सम्बन्धित ₹ 333.70 करोड़ का व्यय इन कार्यों पर वर्गीकृत किया गया था।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि विभाग को आवंटन त्रैमासिक किया जाता है और किश्तों में निर्गत किया जाता है। ऐसी स्थिति में, किए गए कार्य की मात्रा को आवंटन के समान रखने में कठिनाई होती है क्योंकि ठेकेदार को अनुबंध में निर्धारित प्रगति के सापेक्ष कार्य को सीमित

[10] ₹ 846.39 करोड़ + ₹ 46.55 करोड़ = ₹ 892.94 करोड़।

करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। सभी अंतिम समायोजन कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कर लिए जाते हैं जिससे वास्तविक व्यय का अनुमान कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है। सभी कार्यों पर कुल व्यय उनकी स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रखा जाता है। अग्रेतर, चूँकि नक़द साख सीमा (सीसीएल) व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और कोषागार आधारित बजटीय व्यवस्था लागू हो गयी है, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति संभव नहीं है।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि लेखे में कार्य पर व्यय के रूप लेखांकित धनराशि कार्य के निष्पादन पर वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय से भिन्न थी। इस प्रकार विभाग में व्यय का लेखांकन, खण्डीय कार्यालयों में उपलब्ध वाउचर/अभिलेखों के अनुसार किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं था। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174 के अनुसार पर्याप्त धनराशि के आवंटन के बिना किए गए व्यय और व्यय के गलत वर्गीकरण को वित्तीय अनियमितता के रूप में परिभाषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा, कार्य-सार के अभाव में सम्बन्धित वर्षों में ठेकेदार को किए गए वास्तविक भुगतान तथा लेखा-पुस्तकों में लेखांकित व्यय के मध्य अन्तर के कारणों को ज्ञात किये जाने की स्थिति में नहीं थी। तथापि, दो खण्डों में, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये अन्तर के कारणों की निम्नवत चर्चा की गयी है:

आपूर्ति हेतु अग्रिम

5.4.2.1 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 196 के अनुसार सामग्रियों की प्राप्ति और निर्गम सम्बन्धी समस्त लेन-देन नियमों के अनुसार, घटना के क्रम में तथा उनके घटित होते ही, आवश्यक रूप से अंकित किये जाने चाहिए। भण्डार का काल्पनिक समायोजन सर्वथा निषिद्ध है, जैसे (i) किसी कार्य के लिए कोई आवश्यकता न होने या वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामग्री की लागत डेबिट करना, (ii) सामग्री जिसका उपयोग किसी ऐसे कार्य पर किया जाना है जिसके लिए कोई विनियोजन स्वीकृत नहीं है, की लागत को किसी विशेष कार्य पर डेबिट करना जिसके लिए निधियाँ उपलब्ध हैं, (iii) विनियोजन से अधिक व्यय से बचने के लिए किसी कार्य पर प्रयुक्त सामग्री के मूल्य को वापस लेखांकित करना आदि। इस नियम का कोई भी उल्लंघन गंभीर अनियमितता माना जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि खण्डीय अधिकारी, निर्माण खण्ड, ललितपुर द्वारा बिटुमिन क्रय हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा को ₹ 2.60 करोड़ एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को ₹ 28.70 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था तथा इसे लेखे में प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम

के रूप में डेबिट करने के स्थान पर कार्यों[11] पर व्यय के रूप में डेबिट किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन कार्यों हेतु बिटुमिन का क्रय ठेकेदार द्वारा किया जाना था न कि विभाग द्वारा आपूर्ति की जानी थी। इसका तात्पर्य है कि सम्बन्धित कार्यों पर वास्तविक व्यय किए बिना ही विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखा अभिलेखों में व्यय का लेखांकन कर दिया गया।

उत्तर में, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) एवं बताया गया कि सम्बन्धित खण्ड द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है। अग्रेतर, चूँकि नक़द साख सीमा (सीसीएल) प्रणाली समाप्त कर दी गयी है और कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली लागू हो गयी है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति सम्भव नहीं होगी।

तथ्य यथावत है कि अग्रिम धनराशि उन आपूर्तियों के लिए दी गई जो उपर्युक्त कार्यों के लिए आवश्यक नहीं थी परन्तु लेखा-पुस्तकों में इन कार्यों पर व्यय के रूप में लेखांकित की गई।

शासकीय खाते से बाहर रखी गई धनराशि को वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया जाना

5.4.2.2 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 155 (2) के अनुसार, अनुदान की पूर्ण धनराशि का उपयोग प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के अंत में चेको को आहरित करके उसे कैश चेस्ट में जमा करना एक गंभीर अनियमितता है।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, वाराणसी ने अपने पक्ष में ₹ 5.22 करोड़[12] के डिमांड ड्राफ्ट बनवाये तथा लेखा-पुस्तकों में कार्यों के सम्पादन पर व्यय के रूप में लेखांकित किये और धनराशि शासकीय खाते से बाहर रखी।

अग्रेतर, यह पाया गया कि यद्यपि दो कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु ₹ 30 करोड़ की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी (एसएलएओ) को हस्तांतरित की गयी तथा लेखा-पुस्तकों में इसे इन कार्यों[13] के सम्पादन पर अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित कर दिया गया।

इस प्रकार, धनराशि को शासकीय खाते से बाहर रखने तथा उसे लेखा-पुस्तकों में वास्तविक व्यय के रूप में लेखांकित किए जाने के कारण शासकीय खातों में व्यय का त्रुटिपूर्ण चित्रण हुआ।

---

[11] वर्ष 2017-18 में ललितपुर देवगढ़ मार्ग पर ₹ 2.60 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में ललितपुर राजघाट मार्ग पर ₹ 28.70 लाख।

[12] बेला पहाड़िया मार्ग का कार्य: ₹ 2.72 करोड़; धरसौना नियार मार्ग का कार्य: ₹ 1.65 करोड़ तथा सारनाथ रौनाखुर्द वाया मुनारी मार्ग का कार्य: ₹ 0.85 करोड़।

[13] बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ घाट पुल मार्ग पर ₹ 25 करोड़ तथा भोजूवीर सिंधौरा मार्ग पर ₹ 5 करोड़।

उत्तर में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2023) तथा बताया गया कि चूँकि नक़द साख सीमा (सीसीएल) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है एवं कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली लागू की गई है इसलिए भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है।

तथ्य यथावत है कि धनराशि शासकीय खाते से बाहर रखी गई थी तथा लेखा-पुस्तकों में उसे व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था।

निष्कर्ष

खण्डीय अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि ठेकेदारों को भुगतान की गयी मोबिलाइजेशन एवं उपकरण अग्रिम धनराशि का उपयोग वास्तव में अभीष्ट प्रयोजनों के लिए ही किया गया था। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सुरक्षित अग्रिम तथा कार्य मदें जो बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित नहीं थीं, के लिए भुगतान किए गये थे।

सम्पादित कार्य के मापन के बिना भुगतान के प्रकरण पाए गए। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि तथा सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में लेखा-पुस्तकों में लेखांकित व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया। लेखा-पुस्तकों में वास्तविक व्यय के रूप में लेखांकित कर धनराशि को शासकीय खाते से बाहर रखे जाने के प्रकरण भी पाये गये।

अध्याय-VI

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली

अध्याय-VI

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण हेतु अनिवार्य अभिलेखों के रख-रखाव तथा व्यय, वसूलियों, सड़कों की गुणवत्ता आदि के अनुश्रवण में कुछ कमियाँ थीं। किसी भी प्राक्कलन में विभिन्न कार्य-मदों के लिए आवश्यक गुणवत्ता परीक्षणों और उनकी संख्या का विवरण अंकित नहीं पाया गया। नमूना जाँच किए गए किसी भी कार्य में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी नहीं की गयी थी।

प्रस्तावना

6.1 आंतरिक नियंत्रण ऐसी गतिविधियाँ एवं सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कि उसके क्रियाकलाप योजना के अनुसार संचालित हो रहे हैं। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण किसी भी सफल संगठन के लिए पूर्व-अपेक्षित है तथा सुशासन हेतु आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली में विभिन्न कमियाँ पायी जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में विस्तार से उल्लेख किया गया है:

महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव

6.2 लेखापरीक्षा जाँच में व्यय, वसूलियों, सड़कों की गुणवत्ता आदि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव में कमियाँ पायी गयीं:

कार्य-सार

6.2.1 जैसा कि अध्याय-V के **प्रस्तर 5.4.1** में चर्चा की गयी है, वित्तीय हस्त पुस्तिका[1] में प्रावधान है कि किसी कार्य से सम्बन्धित माह के सभी लेन-देन का लेखा, चाहे वह नकदी, स्टॉक या अन्य प्रभारों के सम्बन्ध में हो, एक कार्य-सार प्रपत्र में तैयार किया जाना चाहिए। इसमें रोकड़ बही तथा आपूर्तिकर्ताओं के सम्बन्धित देयकों से दिन-प्रतिदिन अंकन किया जाना चाहिए। कार्य-सार की मासिक जाँच खण्डीय अधिकारी के कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिसके कारण किसी

[1] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 485, 509 तथा 510 ।

कार्य पर किसी माह में किए गए वास्तविक व्यय तथा लेखे में उसका सही लेखांकन/वर्गीकरण लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि कार्य-सार के रख-रखाव के लिए निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

कार्य-पंजिका

6.2.2 खण्ड द्वारा ₹ 20,000 से अधिक अनुमानित लागत के प्रत्येक कार्य पर एक वर्ष में किए गए व्यय का स्थायी एवं सामूहिक अभिलेख कार्य-पंजिका[2] है। कार्य-पंजिका में अंकन मासिक रूप से कार्य-सार से किया जाता है। इस अभिलेख का रख-रखाव खण्डीय कार्यालय में किया जाता है।

कार्य-सार के अभाव में नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा कार्य-पंजिका का भी रख-रखाव नहीं किया जा सका।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि कार्य-पंजिका के रख-रखाव हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

ठेकेदार खाता बही

6.2.3 वित्तीय हस्त पुस्तिका[3] के अनुसार ठेकेदारों से सम्बन्धित खातों को ठेकेदार खाता बही में रखा जाना चाहिए, प्रत्येक ठेकेदार जिसके लिए व्यक्तिगत खाता रखा जाना है, के साथ किए जाने वाले समस्त लेन-देन हेतु एक अलग पृष्ठ या पृष्ठों का सेट आरक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई सामग्री ठेकेदार को निर्गत की जाती है या उसकी ओर से कोई भुगतान किया जाता है, इस स्थिति में लेजर खाता अवश्य खोला जाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा इस अभिलेख का भी रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ठेकेदार खाता बही के अभाव में ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम तथा अन्य भुगतानों की वसूली का उचित अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि ठेकेदार खाता बही के रख-रखाव हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

---

[2] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- VI का प्रस्तर 511 तथा 512 ।

[3] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- VI का प्रस्तर 524, 525 एवं 527 ।

वाउचरों के साथ प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाणपत्र (सीआरसी) सुनिश्चित न करना

6.2.4 कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था (मई 2009) कि बिटुमिनस कार्यों के लिए भुगतान तभी किया जाएगा, जब ठेकेदार द्वारा बिटुमिन क्रय से सम्बन्धित मूल बीजक प्रस्तुत किया जायेगा तथा क्रॉस करके बिल के साथ संलग्न किया जायेगा। प्रमुख अभियंता द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था (मई 2015) कि यदि बिटुमिनस कार्य के लिए भुगतान मूल प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाण-पत्र (सीआरसी) की उपलब्धता के बिना किया गया है, तो इसके लिए अधिशासी अभियंताओं को उत्तरदायी माना जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से मात्र दो कार्यों[4] से सम्बन्धित वाउचरों के साथ मूल सीआरसी को क्रॉस कर संलग्न किया गया था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा, मूल सीआरसी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना बिटुमिनस कार्यों के लिए भुगतान करके जहाँ एक ओर शासकीय आदेशों का उल्लंघन किया गया वहीं दूसरी ओर कार्यों की गुणवत्ता से समझौता भी किया गया, क्योंकि मूल सीआरसी के अभाव में बिटुमिन की गुणवत्ता एवं क्रय के स्रोत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि जिन प्रकरणों में सीआरसी की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गयी थीं, उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। अग्रेतर, बिटुमिन के लिए सीआरसी प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया है जिसका वर्तमान में अनुपालन किया जा रहा है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि खण्डों को आवश्यक सीआरसी प्राप्त करने और अनुबन्ध संख्या को इंगित करके इसे क्रॉस करने का निर्देश दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्राचारों का अभिलेखीकरण

6.3 लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों में देयकों, समय-वृद्धि आवेदनों तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबिलाइज़ेशन/उपकरण/सुरक्षित अग्रिमों के आवेदनों की प्राप्ति को उचित रूप प्रलेखित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

[4] अहरौरा चकिया इलिया मार्ग (निर्माण खण्ड, चंदौली) एवं छपरौला दुजाना अकिलपुर प्यावली एनटीपीसी मार्ग (प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर)।

जिसके परिणामस्वरूप, देयकों के भुगतान में विलम्ब तथा ठेकेदारों के समय-वृद्धि के आवेदनों पर निर्णय में लगने वाले समय या ठेकेदारों के आवेदनों पर कार्रवाई करने में प्राथमिकता प्रदान करते हुए खण्डीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को दिए गए किसी अनुचित लाभ की पुष्टि करना संभव नहीं था।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि खण्डों के समस्त अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य चल रहा है जिसके पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा आपत्ति का स्वतः निराकरण हो जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान, खण्डों में अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं पाया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण

6.4 गुणवत्ता नियंत्रण में सामग्री एवं कार्य-कौशल का परीक्षण तथा निरीक्षण सम्मिलित है। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में उनके विशाल एवं जटिल तंत्र तथा वृहत मात्रा में सार्वजनिक धन के समावेश के दृष्टिगत यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में पायी गयी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सम्बन्धी कमियों पर निम्नवत चर्चा की गयी है:

अनिवार्य परीक्षणों को प्राक्कलनों में सम्मिलित न किया जाना

6.4.1 शासन द्वारा निर्देशित[5] किया गया (अगस्त 1996) कि भारतीय मानकों/विभागीय विनिर्देशों/आईआरसी कोड के अनुसार उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा के सापेक्ष, मद-वार परीक्षणों के प्रकार और उनकी संख्या का उल्लेख सभी प्राक्कलनों में किया जाए। प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधिकारी कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व इसे मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

नमूना जाँच किए गए कार्यों के प्राक्कलनों की जाँच से प्रकट हुआ कि इंजीनियरिंग प्राधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। कार्यों की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में, गुणवत्ता परीक्षणों और उनकी संख्या का विवरण किसी भी प्राक्कलन में उल्लेखित नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलनों को तैयार करने एवं उनकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के चरण में, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

[5] शासनादेश संख्या 742/23-9-96-11 एसी/96 दिनांक 21 अगस्त 1996 ।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अग्रेतर, यह बताया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के क्रियान्वयन तथा नमूनों को परीक्षण हेतु अनुसंधान संस्थान (आरआई), गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ (क्यूपीसी) तथा प्रयोगशालाओं में प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश[6] निर्गत किया गया है (अगस्त 2021) तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

सामग्री के अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन न किया जाना

6.4.2 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों की धारा 900 में सड़क निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया था (अगस्त 1996) कि कुल नमूनों में से 25 प्रतिशत नमूने अनुसंधान विकास एवं गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ (क्यूपीसी) एवं अनुसंधान संस्थान (आरआई) लखनऊ को भेजे जाएंगे, 25 प्रतिशत नमूने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में तथा शेष 50 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण जनपदीय प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व के निर्देशों को निरस्त करते हुए पुन: निर्देशित किया गया (अगस्त 2021) कि खण्ड स्तर पर परीक्षण की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुनः पुष्टि करने हेतु नमूने क्यूपीसी/आरआई को भेजे जाएं।

लेखापरीक्षा द्वारा निदेशक, क्यूपीसी और आरआई से नमूना जाँच किए गए खण्डों द्वारा प्रेषित किए गए नमूनों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी एवं यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में, कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए गए बिटुमिन की गुणवत्ता आश्वासन हेतु मात्र 17 खण्डों द्वारा निष्पादित कार्यों के सम्बन्ध में बिटुमिन के नमूने प्रेषित किए गए थे तथा शेष 10 खण्डों द्वारा कोई नमूना प्रेषित नहीं किया गया था।

अत: विभागीय अधिकारियों द्वारा शासनादेश का पालन नहीं किया गया।

खण्डों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने, क्यूपीसी एवं आरआई को प्रेषित न किए जाने के विषय में शासन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) में विभाग द्वारा आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।

---

[6] शासनादेश संख्या 668/23-9-2021/11 एसी/90 दिनांक 03.08.2021 ।

कार्यों का निरीक्षण

6.5 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (मई 1999) द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा मुख्य अभियंताओं को उनके अधिकार-क्षेत्र में सम्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। सम्बन्धित आदेश के अनुसार, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किए जा रहे समस्त कार्यों का क्रमशः छह माह एवं वर्ष में एक बार निरीक्षण करना था तथा निरीक्षण के उपरान्त विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों के निष्पादन की अवधि में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा 416 निरीक्षण तथा मुख्य अभियंताओं द्वारा 207 निरीक्षण किए जाने थे, परन्तु वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक की अवधि में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा मात्र 19 निरीक्षण (पाँच प्रतिशत) एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा मात्र 13 निरीक्षण (छह प्रतिशत) ही किए गए।

यह न मात्र शासनादेश के विरुद्ध था अपितु विभागीय अधिकारियों के स्तर पर खराब अनुश्रवण का भी संकेतक था।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति बनाए रखने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। निरीक्षण टिप्पणी मात्र तभी निर्गत की जाती हैं जब कार्य से सम्बन्धित किसी विशेष मुद्दे का संज्ञान लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार, निरीक्षण टिप्पणियों की संख्या वास्तविक निरीक्षणों की संख्या को नहीं दर्शाती है। निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए हैं तथा निरीक्षणों की गुणवत्ता एवं संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा एक ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश (मई 1999) में निरीक्षण करने तथा विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत किए जाने के स्पष्ट निर्देश थे। शासनादेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि निरीक्षण टिप्पणी मात्र उन्हीं प्रकरणों में निर्गत किया जाए जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता हो।

सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा

6.6 शासन द्वारा दिसम्बर 2014 में निर्देश निर्गत किया गया था कि प्राविधिक स्वीकृति निर्गत किए जाने के पूर्व, प्राक्कलन में आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के उपरान्त सड़क सुरक्षा मदों का प्रावधान किया जाना चाहिए। अग्रेतर, एक वर्ष में पूर्ण किए गए कुल कार्यों में से, 10 प्रतिशत कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा तीसरे पक्ष से करायी जानी थी तथा शेष 90 प्रतिशत कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जानी थी। तीसरे पक्ष द्वारा, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा हेतु 10 प्रतिशत कार्यों का चयन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाना था।

चयनित खण्डों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से, किसी भी कार्य के प्राक्कलन में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा किए जाने का कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं था। इन कार्यों पर की गयी सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के समर्थन में खण्डों द्वारा भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रेतर, वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में, पूर्ण किए गए सड़क कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा नहीं की गयी थी तथा 10 प्रतिशत कार्यों की तीसरे पक्ष द्वारा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी मुख्य अभियंताओं द्वारा सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार राज्य की सड़कों को सुरक्षित और सड़क सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा किये जाने की आवश्यकता को विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया।

सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा न कराए जाने के विषय में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया परन्तु बताया गया (अक्टूबर 2023) कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़क सुरक्षा शाखा की स्थापना की गयी है जहाँ सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और दुर्घटना बाहुल्य स्थलों की पहचान कर सड़क संरेखण या डिजाइन में परिवर्तन करके ब्लैक स्पॉट को कम करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा अग्रेतर बताया गया कि पुल-पुलिया एवं ब्लैक स्पॉट की जीआईएस मैपिंग सृष्टि-2

पोर्टल पर अद्यतन की जा रही है। सड़क सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड लगाने का प्रावधान सभी प्राक्कलनों में सम्मिलित किया जा रहा है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग द्वारा स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं किया जा सका तथा अवगत कराया गया कि प्रख्यात तकनीकी संस्थानों की सहायता से सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा कराया जाना विचाराधीन था।

संस्तुति 9:

उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने हेतु, विभाग द्वारा सामग्री के अनिवार्य परीक्षण, उच्च अधिकारियों द्वारा सड़कों का निरीक्षण तथा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सुनिश्चित किये जाने चाहिए। गुणवत्ता परीक्षणों में किसी भी कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा मदें

6.7 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी मदें जैसे- मार्ग संकेतक, मार्ग चिह्न एवं उभरे हुए रिफ्लेक्टिव पेवमेंट मार्कर इत्यादि, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं और इसलिए इन्हें आईआरसी मानदण्डों (आईआरसी: एसपी: 88-2010: सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धी मैनुअल) के अनुसार कार्य के प्राक्कलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रमुख अभियंता द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्राक्कलन दो भागों में, भाग-1 कार्य की लागत दर्शाता हुआ तथा भाग-2 सड़क सुरक्षा प्रावधानों की लागत दर्शाता हुआ प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2014) था।

तथापि, नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों के प्राक्कलनों की जाँच में पाया गया कि 44 कार्यों (40 प्रतिशत) में सड़क सुरक्षा मदों की लागत विस्तृत प्राक्कलनों में पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट 6.1)**। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों द्वारा आईआरसी मानदण्डों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि भविष्य में सड़क सुरक्षा मदों की लागत समस्त प्राक्कलनों में पृथक रूप से सम्मिलित की जाएगी।

निष्कर्ष

सड़क कार्यों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे कार्य-सार, कार्य-पंजिका, ठेकेदार खाता बही आदि का रख-रखाव खण्डीय कार्यालयों में नहीं किया गया था। कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की गयी थीं क्योंकि कार्य की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में गुणवत्ता परीक्षण का विवरण प्राक्कलनों में उल्लिखित नहीं किया गया था और सामग्री के नमूने परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं को प्रेषित नहीं किए गए थे। उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया था। सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी मानदण्डों के अनुसार सम्पादित नहीं की गयी थी।

लखनऊ — **(तान्या सिंह)**

दिनांक 24 मार्च 2025 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),**

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक 28 MAR 2025 — **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.2.2 में संदर्भित)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखाओं के अनुसार व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	प्रस्तुत की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र की धनराशि	लेखाओं के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कम प्रतिवेदित व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में अधिक प्रतिवेदित व्यय
1	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2017-18	866.80	616.80		250.00
2	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2019-20	1925.00	1926.01	1.01	
			2020-21	370.00	498.42	128.42	
			2021-22	212.97	84.51		128.46
		मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	2020-21	900.00	702.06		197.94
			2021-22	285.96	633.59	347.63	
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	2018-19	912.40	993.59	81.19	
		जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	2017-18	510.00	496.57		13.43
		महेवा चुंगी से मलौली बन्धा रोड	2017-18	865.10	845.82		19.28
			2018-19	2486.80	2140.05		346.75
			2019-20	2665.10	2120.24		544.86
		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा लिंक रोड	2017-18	350.10	331.60		18.50
			2018-19	966.80	519.68		447.12
			2019-20	750.10	850.10	100.00	
		पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट	2018-19	1755.84	1090.25		665.59
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2019-20	306.95	406.95	100.00	
		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2018-19	2973.60	1973.60		1000.00
			2019-20	1193.45	355.45		838.00

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	प्रस्तुत की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र की धनराशि	लेखाओं के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कम प्रतिवेदित व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में अधिक प्रतिवेदित व्यय
5	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2017-18	559.80	494.20		65.60
		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2017-18	739.80	731.39		8.41
6	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड	2018-19	723.70	726.30	2.60	
		महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2018-19	2506.65	2505.55		1.10
7	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2020-21	0.00	139.02	139.02	
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	2019-20	763.87	812.27	48.40	
		भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	2018-19	701.55	710.22	8.67	
			2019-20	233.85	178.21		55.64
		धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2017-18	572.10	571.64		0.46
			2018-19	762.00	743.09		18.91
			2019-20	256.90	263.19	6.29	
		सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द की ओर कार्य	2018-19	983.40	981.75		1.65
योग						**963.23**	**4621.70**

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.3.1 में संदर्भित)

विभिन्न सड़कों पर समान ट्रैफ़िक डाटा को दर्शाता विवरण

1. प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
मोटरसाइकिल/स्कूटर		
दिन 1	1340	1340
दिन 2	1170	1170
दिन 3	1098	1098
दिन 4	1280	1280
दिन 5	1303	1303
दिन 6	1240	1240
दिन 7	1304	1304
कार/ वैन/ आटो		
दिन 1	443	443
दिन 2	548	548
दिन 3	633	633
दिन 4	498	498
दिन 5	648	648
दिन 6	608	608
दिन 7	688	688
ट्रैक्टर		
दिन 1	515	515
दिन 2	485	485
दिन 3	460	460
दिन 4	460	460
दिन 5	480	480
दिन 6	455	455
दिन 7	474	474
ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ		
दिन 1	635	635
दिन 2	585	585
दिन 3	586	586
दिन 4	579	579
दिन 5	586	586
दिन 6	595	595
दिन 7	530	530
बस		
दिन 1	184	184
दिन 2	174	174
दिन 3	155	155
दिन 4	145	145
दिन 5	156	156
दिन 6	158	158
दिन 7	144	144

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
	ट्रक	
दिन 1	174	174
दिन 2	179	179
दिन 3	164	164
दिन 4	154	154
दिन 5	162	162
दिन 6	166	166
दिन 7	179	179
	ट्रेलर	
दिन 1	56	56
दिन 2	56	56
दिन 3	56	56
दिन 4	59	59
दिन 5	60	60
दिन 6	44	44
दिन 7	49	49
	साइकिल	
दिन 1	1888	1888
दिन 2	1987	1987
दिन 3	2038	2038
दिन 4	1972	1972
दिन 5	1987	1987
दिन 6	1937	1937
दिन 7	1990	1990
	रिक्शा	
दिन 1	318	318
दिन 2	315	315
दिन 3	303	303
दिन 4	319	319
दिन 5	328	328
दिन 6	308	308
दिन 7	338	338
	हाथ गाड़ी	
दिन 1	284	284
दिन 2	285	285
दिन 3	280	280
दिन 4	275	275
दिन 5	288	288
दिन 6	290	290
दिन 7	280	280
	घोड़ा गाड़ी	
दिन 1	180	180
दिन 2	166	166
दिन 3	196	196

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
दिन 4	190	190
दिन 5	183	183
दिन 6	185	185
दिन 7	188	188
बड़ी बैलगाड़ी		
दिन 1	80	80
दिन 2	84	84
दिन 3	87	87
दिन 4	86	86
दिन 5	88	88
दिन 6	84	84
दिन 7	83	83
छोटी बैलगाड़ी		
दिन 1	117	117
दिन 2	112	112
दिन 3	116	116
दिन 4	114	114
दिन 5	117	117
दिन 6	112	112
दिन 7	118	118

2. निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
एलसीवी			
दिन 1		210	210
दिन 2		225	225
दिन 3		205	205
दिन 4		195	195
दिन 5		185	185
दिन 6		207	207
दिन 7		213	213
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ			
दिन 1	162	162	
दिन 2	152	152	
दिन 3	142	142	
दिन 4	142	142	
दिन 5	135	135	
दिन 6	140	140	
दिन 7	132	132	
ट्रक			
दिन 1		70	70
दिन 2		50	50
दिन 3		51	51

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
दिन 4		43	43
दिन 5		40	40
दिन 6		42	42
दिन 7		40	40
ट्रेलर			
दिन 1	3	3	3
दिन 2	5	5	5
दिन 3	2	2	2
दिन 4	4	4	4
दिन 5	3	3	3
दिन 6	3	3	3
दिन 7	4	4	4
साइकिल			
दिन 1	3250	3250	
दिन 2	2460	2460	
दिन 3	2864	2864	
दिन 4	2240	2240	
दिन 5	2380	2380	
दिन 6	2965	2965	
दिन 7	2482	2482	
रिक्शा			
दिन 1	52	52	
दिन 2	46	46	
दिन 3	39	39	
दिन 4	68	68	
दिन 5	32	32	
दिन 6	52	52	
दिन 7	62	62	
हाथ गाड़ी			
दिन 1	10	10	10
दिन 2	8	8	8
दिन 3	9	9	9
दिन 4	8	8	8
दिन 5	7	7	7
दिन 6	9	9	9
दिन 7	10	10	10
घोड़ा गाड़ी			
दिन 1	50	50	50
दिन 2	65	65	65
दिन 3	54	54	54
दिन 4	35	35	35
दिन 5	22	22	22
दिन 6	25	25	25

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
दिन 7	25	25	25
बड़ी बैलगाड़ी			
दिन 3	28	28	
दिन 4	45	45	
दिन 5	20	20	
दिन 6	32	32	
दिन 7	29	29	
छोटी बैलगाड़ी			
दिन 1		25	25
दिन 2		20	20
दिन 3		25	25
दिन 4		42	42
दिन 5		18	18
दिन 6		35	35
दिन 7		40	40

3. निर्माण खण्ड, चन्दौली

सड़कों का नाम	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 19	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 25
कार/ वैन/ ऑटो		
दिन 1	4435	4335
दिन 2	4584	4484
दिन 3	4408	4308
एलसीवी		
दिन 1	259	259
ट्रक		
दिन 1	235	235
दिन 2	57	57
दिन 3	59	59
दिन 4	48	48
दिन 5	60	60
दिन 6	68	68
दिन 7	93	93
ट्रेलर		
दिन 1	245	245
दिन 2	61	61
दिन 3	90	90
दिन 4	66	66
दिन 5	78	78
दिन 6	87	87
दिन 7	104	104
रिक्शा		
दिन 1	30	30
दिन 2	25	25

सड़कों का नाम	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 19	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 25
दिन 3	45	45
दिन 4	30	30
दिन 5	45	45
दिन 6	25	25
दिन 7	10	10
हाथ गाड़ी		
दिन 1	65	65
दिन 2	88	88
दिन 3	8	8
दिन 4	7	7
दिन 5	12	12
दिन 6	11	11
दिन 7	10	10
घोड़ा गाड़ी		
दिन 1	97	97
दिन 2	15	15
दिन 3	20	20
दिन 4	25	25
दिन 5	35	35
दिन 6	45	45
दिन 7	65	65
बड़ी बैलगाड़ी		
दिन 1	17	17
दिन 2	28	28
दिन 3	29	29
दिन 4	8	8
दिन 5	67	67
दिन 6	45	45
दिन 7	113	113
छोटी बैलगाड़ी		
दिन 1	95	95
दिन 2	96	96
dिन 3	96	96
दिन 4	85	85
दिन 5	47	47
दिन 6	75	75
दिन 7	35	35

4. प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर

सड़कों का नाम	फाजिलनगर बधौचघाट	सपहा सेखवनिया शिवपुर हरका
कार/ वैन/ ऑटो		
दिन 1	1890	1890
दिन 2	1925	1925

सड़कों का नाम	फाजिलनगर बधौचघाट	सपहा सेखवनिया शिवपुर हरका
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ		
दिन 1	460	460
दिन 2	500	500
दिन 3	540	540
दिन 4	520	520
दिन 5	480	480
दिन 6	460	460
दिन 7	440	440
साइकिल		
दिन 1	350	350
दिन 2	378	378
दिन 3	410	410
दिन 4	460	460
दिन 5	441	441
दिन 6	390	390
दिन 7	360	360
घोड़ा गाड़ी		
दिन 1	15	15
दिन 2	13	13
दिन 3	12	12
दिन 4	14	14
दिन 5	13	13
दिन 6	13	13
दिन 7	12	12

5. प्रांतीय खण्ड, देवरिया

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरूआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
एलसीवी				
दिन 1	510	510		
दिन 2	515	515		
दिन 3	545	545		
दिन 4	576	576		
दिन 5	505	505		
दिन 6	532	532		
दिन 7	538	538		
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ				
दिन 1	208	208		
दिन 2	212	212		
दिन 3	218	218		
दिन 4	224	224		
दिन 5	221	221		

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरूआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
दिन 6	207	207		
दिन 7	222	222		
बस				
दिन 1		22	22	
दिन 2		24	24	
दिन 3		21	21	
दिन 4		28	28	
दिन 5		25	25	
दिन 6		26	26	
दिन 7		23	23	
ट्रक				
दिन 1		187		187
दिन 2		182		182
दिन 3		185		185
दिन 6		188		188
दिन 7		182		182
हाथ गाड़ी				
दिन 1	2	2		2
दिन 2	6	6		6
दिन 3	7	7		7
दिन 4	4	4		4
दिन 5	6	6		6
दिन 6	3	3		3
दिन 7	5	5		5
घोड़ा गाड़ी				
दिन 1		4		4
दिन 2		5		5
दिन 3		3		3
दिन 4		10		10
दिन 5		6		6
दिन 6		4		4
दिन 7		2		2
बड़ी बैलगाड़ी				
दिन 1		28		28
दिन 2		26		26
दिन 3		25		25
दिन 4		29		29
दिन 5		26		26
दिन 6		29		29
दिन 7		25		25
छोटी बैलगाड़ी				
दिन 1		32		32
दिन 2		35		35

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरूआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
दिन 3		38		38
दिन 4		31		31
दिन 5		27		27
दिन 6		25		25
दिन 7		32		32

6. निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
मोटर साइकिल एवं स्कूटर				
दिन 1	3898	3898	3898	3898
दिन 2	3690	3690	3690	3690
दिन 3	3788	3788	3788	3788
दिन 4	3653	3653	3653	3653
दिन 5	3889	3889	3889	3889
दिन 6	3990	3990	3990	3990
दिन 7	5732	5732	5732	5732
यात्री कार, जीप, पिकअप वैन एवं ऑटो रिक्शा				
दिन 1	756	756	756	756
दिन 2	835	835	835	835
दिन 3	830	830	830	830
दिन 4	797	797	797	797
दिन 5	852	852	852	852
दिन 6	856	856	856	856
दिन 7	898	898	898	898
एलसीवी				
दिन 1	340	340	340	340
दिन 2	332	332	332	332
दिन 3	355	355	355	355
दिन 4	398	398	398	398
दिन 5	382	382	382	382
दिन 6	355	355	355	355
दिन 7	342	342	342	342
ट्रैक्टर बिना ट्रेलर के				
दिन 1	445	445	445	445
दिन 2	410	410	410	410
दिन 3	494	494	494	494
दिन 4	526	526	526	526
दिन 5	462	462	462	462
दिन 6	513	513	513	513
दिन 7	523	523	523	523

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ				
दिन 1	195	195	195	195
दिन 2	298	298	298	298
दिन 3	297	297	297	297
दिन 4	240	240	240	240
दिन 5	215	215	215	215
दिन 6	255	255	255	255
दिन 7	244	244	244	244
बस				
दिन 1	35	35	35	35
दिन 2	27	27	27	27
दिन 3	45	45	45	45
दिन 4	31	31	31	31
दिन 5	31	31	31	31
दिन 6	27	27	27	27
दिन 7	29	29	29	29
एमसीवी/एचसीवी				
दिन 1	109	109	109	109
दिन 2	103	103	103	103
दिन 3	99	99	99	99
दिन 4	89	89	89	89
दिन 5	109	109	109	109
दिन 6	125	125	125	125
दिन 7	123	123	123	123
ट्रेलर				
दिन 1	135	135	135	135
दिन 2	145	145	145	145
दिन 3	145	145	145	145
दिन 4	145	145	145	145
दिन 5	145	145	145	145
दिन 6	145	145	145	145
दिन 7	145	145	145	145
साइकिल				
दिन 1	4127	4127	4127	4127
दिन 2	3303	3303	3303	3303
दिन 3	4101	4101	4101	4101
दिन 4	4226	4226	4226	4226
दिन 5	4378	4378	4378	4378
दिन 6	3425	3425	3425	3425
दिन 7	4330	4330	4330	4330

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
साइकिल रिक्शा				
दिन 1	377	377	377	377
दिन 2	413	413	413	413
दिन 3	373	373	373	373
दिन 4	355	355	355	355
दिन 5	353	353	353	353
दिन 6	407	407	407	407
दिन 7	349	349	349	349
हाथ गाड़ी				
दिन 1	167	167	167	167
दिन 2	165	165	165	165
दिन 3	123	123	123	123
दिन 4	159	159	159	159
दिन 5	155	155	155	155
दिन 6	169	169	169	169
दिन 7	167	167	167	167
घोड़ा गाड़ी				
दिन 1	87	87	87	87
दिन 2	35	35	35	35
दिन 3	45	45	45	45
दिन 4	36	36	36	36
दिन 5	37	37	37	37
दिन 6	65	65	65	65
दिन 7	55	55	55	55
छोटी बैलगाड़ी				
दिन 1	63	63	63	63
दिन 2	54	54	54	54
दिन 3	92	92	92	92
दिन 4	76	76	76	76
दिन 5	64	64	64	64
दिन 6	83	83	83	83
दिन 7	73	73	73	73
बड़ी बैलगाड़ी				
दिन 1	92	92	92	92
दिन 2	88	88	88	88
दिन 3	75	75	75	75
दिन 4	72	72	72	72
दिन 5	70	70	70	70
दिन 6	92	92	92	92
दिन 7	70	70	70	70

7. प्रांतीय खण्ड, महराजगंज

सड़कों का नाम	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर	झुलनीपुर चंदा गुलरभार
साइकिल रिक्शा		
दिन 1	260	260
दिन 2	245	245
दिन 3	195	195
दिन 4	200	200
दिन 5	180	180
दिन 6	210	210
दिन 7	225	225
हाथ गाड़ी		
दिन 1	5	5
दिन 2	6	6
दिन 3	4	4
दिन 4	3	3
दिन 5	5	5
दिन 6	4	4
दिन 7	5	5
घोड़ा चालित गाड़ी		
दिन 1	18	18
दिन 2	12	12
दिन 3	9	9
दिन 4	7	7
दिन 5	12	12
दिन 6	14	14
दिन 7	11	11

8. निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज

सड़कों का नाम	सकरदाहा-आनापुर- मोहराब-भगौतीपुर-खान शाहपुरा श्रृंगवेरपुरम	नवाबगंज से पूरबनारा तक वाया दहियावां रोड	सोरांव कल्याणपुर रोड
साइकिल			
दिन 1	2918	2918	2918
दिन 2	3242	3242	3242
दिन 3	2539	2539	2539
दिन 4	2256	2256	2256
दिन 5	2831	2831	2831
दिन 6	2849	2849	2849
दिन 7	3021	3021	3021
रिक्शा			
दिन 1	225	225	225
दिन 2	198	198	198
दिन 3	387	387	387
दिन 4	296	296	296
दिन 5	336	336	336
दिन 6	396	396	396

सड़कों का नाम	सकरदाहा-आनापुर- मोहराब-भगौतीपुर-खान शाहपुरा श्रृंगवेरपुरम	नवाबगंज से पूरबनारा तक वाया दहियावां रोड	सोरांव कल्याणपुर रोड
दिन 7	285	285	285
हाथ गाड़ी			
दिन 1	36	36	36
दिन 2	44	44	44
दिन 3	39	39	39
दिन 4	41	41	41
दिन 5	47	47	47
दिन 6	45	45	45
दिन 7	44	44	44
घोड़ा गाड़ी			
दिन 1	52	52	52
दिन 2	68	68	68
दिन 3	75	75	75
दिन 4	66	66	66
दिन 5	64	64	64
दिन 6	58	58	58
दिन 7	59	59	59
बड़ी बैलगाड़ी			
दिन 1	13	13	13
दिन 2	17	17	17
दिन 3	12	12	12
दिन 4	17	17	17
दिन 5	18	18	18
दिन 6	16	16	16
दिन 7	19	19	19
छोटी बैलगाड़ी			
दिन 1	98	98	98
दिन 2	95	95	95
दिन 3	96	96	96
दिन 4	93	93	93
दिन 5	98	98	98
दिन 6	94	94	94
दिन 7	96	96	96
बिना ट्रेलर वाला ट्रैक्टर			
दिन 1	958	958	
दिन 2	857	857	
दिन 3	856	856	
दिन 4	812	812	
दिन 5	811	811	
दिन 6	982	982	
दिन 7	991	991	

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.3.2 में संदर्भित)
यातायात गणना द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर से महादेवा ठोरी	13.14
2	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
3	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
4	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	14.84
5	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36
6	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90
7	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 20 (100)	34.91
8	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा रोड वाया जगारा	20.47
9	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
10	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25
11	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ इब्राहिमपुर कौड़िहार मार्ग	10.98
13	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92
योग			**279.90**

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.3.2 में संदर्भित)
यातायात गणना में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	यातायात् गणना अवधि	स्वीकृत लागत
अ-ट्रैफिक गणना केवल तीन दिन के लिए की गई है				
1	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ मार्ग	15-10-2015 से 18-10-2015	93.28
2	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से रौनाखुर्द वाया मुनारी मार्ग	21-05-2017 से 23-05-2017	26.92
3	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां बखिरा मार्ग	09-10-2013 से 11-10-2013	60.02
योग				**180.22**
ब- यातायात गणना रिपोर्ट में कार्य का नाम उल्लिखित नहीं है				
1	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	09-07-2017 से 16-07-2017	19.07
2	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	15-06-2017 से 22-06-2017	23.16
3	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	15-06-2017 से 22-06-2017	33.36
योग				**75.59**
स- यातायात गणना रिपोर्ट में गणना बिंदु का उल्लेख नहीं है				
1	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर हरका रोड	24-06-2017 से 01-07-2017	24.66
2	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	15-12-2017 से 22-12-2017	31.42
3	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ सेतु रोड	16-10-2015 से 18-10-2015	93.28
4	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	09-10-2015 से 17-10-2015	46.77
5	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	04-03-2017 से 10-03-2017	30.45
6	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	09-10-2013 से 11-10-2013	60.02
योग				**286.60**
महा योग			**10 कार्य**	**389.11**

नोट: सहजनवा बखिरा मार्ग परिशिष्ट-3.3 अ (क्र.सं.3) तथा परिशिष्ट-3.3 स (क्र.सं.6) पर दो बार अंकित है, तथा बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-ब्रिज मार्ग भी परिशिष्ट-3.3 अ (क्र.सं.1) तथा परिशिष्ट-3.3 स (क्र.सं.3) पर दो बार अंकित है। इसलिए इन मार्गों तथा इनकी लागत को एक बार ही गणना में लिया गया है।

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.3.3 में संदर्भित)
प्रति-दिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	यातायात गणना के अनुसार कुल वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में सम्मिलित हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	खण्ड द्वारा आकलित एमएसए	हल्के वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा आकलित एमएसए	क्रस्ट संरचना			अतिरिक्त ओवरले के कारण परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
							लेयर	प्रावधानित (मिली मीटर)	आवश्यक (मिली मीटर)	
1	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर सिंधौरा	1114	612	10	4.44	विद्यमान	240	240	687.15
							जीएसबी	100	00	
							डब्लूएमएम	240	295	
							डीबीएम	80	60	
							बीसी	40	25	
							योग	**700**	**620**	
2		बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ	1448	694	28.28	11.45	जीएसबी	330	330	991.76
							डब्लूएमएम	250	250	
							डीबीएम	130	85	
							बीसी	40	40	
							योग	**750**	**705**	
3	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना	335	214	2.96	0.46	विद्यमान	250	250	223.53
							इटीए	140	100	
							डीबीएम	60	00	
							बीसी	25	40	
							योग	**475**	**390**	
4		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 0.00 से 1.20)	449	179	3.98	2.39	विद्यमान	270	270	122.61
							इटीए	140	115	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	**500**	**460**	

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	यातायात गणना के अनुसार कुल वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में सम्मिलित हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	खण्ड द्वारा आकलित एमएसए	हल्के वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा आकलित एमएसए	क्रस्ट संरचना			अतिरिक्त ओवरले के कारण परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
							लेयर	प्रावधानित (मिली मीटर)	आवश्यक (मिली मीटर)	
		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 1.955 से 2.995)					विद्यमान	420	420	
							इटीए	80	100	
							डीबीएम	60	00	
							बीसी	30	40	
							योग	**590**	**560**	
		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 2.995 से 3.635)					विद्यमान	230	230	
							इटीए	150	135	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	**470**	**440**	
		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 4.385 से 9.385)					विद्यमान	300	300	
							इटीए	125	100	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	**515**	**475**	
5		मोंठ-भाण्डेर	452	290	4	1.44	विद्यमान	160	160	594.13
							आरएपी	150	150	
							इटीए	80	00	
							डीबीएम	50	50	
							बीसी	30	25	
							योग	**470**	**385**	
योग										**2619.18**

परिशिष्ट-3.5
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31
2	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82
3	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	53.77
4	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर रोड	33.23
5	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर रोड	16.10
6	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78
8	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56
9	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई	42.57
10	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर	27.25
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61
12	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	12.34
13	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मेाठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68
14	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रॉड वाया गिरारी घाट	10.03
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63
16	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ पुल 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	34.00
17	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49
18	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नम्बर-9 वाया नमक फैक्ट्री चौराहा, विजय नगर चौराहा से एनएच-2	38.00
19	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14
20	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
21	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिल नगर समउर तमकुही रोड	31.92
22	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	18.66
23	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
24	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	14.84
25	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36
26	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
27	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा वाया जगारा	20.47
28	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41
29	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	37.99
30	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	31.42
31	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द रोड की ओर	26.92
32	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
33	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली एनटीपीसी रोड	24.97
34	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25
35	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63
36	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	33.36
37	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-धियावन रोड	16.21
38	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58
योग			**1100.30**

परिशिष्ट-3.6
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	14	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
2	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-08-2017	
4	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	16	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	04-01-2016	
5	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	15-12-2016	
6	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-08-2017	
7	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवासड़क कोटवाधाम रोड	3	11-01-2016	उल्लेख नहीं है	29-01-2016	
8	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर[1]	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	14-12-2007	पुरानी रिपोर्ट
9	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम[2]	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	14-12-2007	पुरानी रिपोर्ट
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	

[1] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 02.03.2019
[2] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 19.07.2018

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1	09-05-2017	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगौतीपुर-खानशाहपूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावाँ वाया होलागढ़	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
25	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	4	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
26	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड	4	08-01-2018	10-01-2018	13-01-2018	
27	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मॅगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
28	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज रोड लॉट संख्या-1 2	10	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
29	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	11	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
31	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुरचक शेरपुर चमरहा सिहोरवा लिंक रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
32	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
35	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	02-06-2015	

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
36	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक[3]	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	13-06-2006	पुरानी रिपोर्ट
37	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	5	21-07-2017	22-07-2017 से 26-07-2017	27-07-2017	
38	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद लिंक रोड से राजस्थान सीमा किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
39	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर	6	06-01-2018	21-01-2018	06-01-2018	
40	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	3	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
41	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	16	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
42	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी बंगरा बंगरूआ मिश्रौली	8	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
43	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली मैरवा रोड	12	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
44	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	6	02-08-2017	उल्लेख नहीं है	12-08-2017	
45	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	4	02-08-2017	उल्लेख नहीं है	12-08-2017	
46	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	7	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
47	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	10	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
48	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
49	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
50	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड[4]	4	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	03-03-2006	पुरानी रिपोर्ट
51	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	1	24-07-2017	उल्लेख नहीं है	31-07-2017	
52	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	1	24-07-2017	उल्लेख नहीं है	31-07-2017	
53	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	14	30-05-2015	उल्लेख नहीं है	01-06-2016	

[3] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 04.01.2018
[4] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 20.02.2018

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
54	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100)[5]	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-10-2012	पुरानी रिपोर्ट
55	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज - सिसवां - निचलौल - ठूँठीबारी - नौतनवा मार्ग (चैनेज 3-40 से 89-00)[6]	1	24-12-2011	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	पुरानी रिपोर्ट
56	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौर रोड	2	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
57	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
58	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	15-04-2017	
59	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	7	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
60	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	6	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
61	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
62	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक वाया नियार	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
63	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	9	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	

[5] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 05.07.2018

[6] प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 08.12.2016

परिशिष्ट-3.7
(प्रस्तर 3.5 में संदर्भित)
सड़कों के विद्यमान क्रस्ट के साक्ष्य से समर्थित आगणनों को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरूहजा रोड	27.81
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी ब`लुआ खड़खड़िया रोड	29.63
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58
5	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग सं.-1 एवं 59)	62.81
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज रोड	20.18
7	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18
8	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61
9	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27
10	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44
11	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02
12	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16
13	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02
14	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67
		योग	**426.33**

परिशिष्ट-3.8
(प्रस्तर 3.7.1 में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य समय सीमा से प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब
1	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	23-11-2021	28-05-2022	126
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड तक	23-11-2021	02-05-2022	100
3	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	23-11-2021	24-04-2022	92
4	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा	19-12-2017	05-05-2018	92
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड	23-11-2021	23-04-2022	91
6	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा रोड	02-08-2016	08-12-2016	83
7	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-80 से 171-00 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	02-08-2016	29-11-2016	74
8	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग के किलोमीटर 1 से 15 (900)	07-05-2018	04-08-2018	44
9	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0.00 से 18.00)	02-08-2016	27-10-2016	41
10	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	07-05-2018	28-07-2018	37
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	21-07-2018	30
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	07-05-2018	19-07-2018	28
13	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	07-05-2018	19-07-2018	28
14	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	19-12-2017	28-02-2018	26
15	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	19-12-2017	28-02-2018	26
16	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	07-05-2018	13-07-2018	22
17	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर	07-05-2018	13-07-2018	22
18	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर	07-05-2018	13-07-2018	22
19	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	19-12-2017	24-02-2018	22

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य समय सीमा से प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब
20	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	19-12-2017	20-02-2018	18
21	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा रोड तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	07-05-2018	06-07-2018	15
22	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	05-07-2018	14
23	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	05-07-2018	14
24	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	07-05-2018	05-07-2018	14
25	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	07-05-2018	05-07-2018	14
26	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौ़र मार्ग (चैनेज 0-00 से 61 किलोमीटर तक)	02-08-2016	30-09-2016	14
27	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100)	07-05-2018	05-07-2018	14
28	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	19-12-2017	15-02-2018	13
29	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	07-05-2018	04-07-2018	13
30	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	19-12-2017	15-02-2018	13
31	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19-12-2017	15-02-2018	13
32	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19-12-2017	15-02-2018	13
33	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	19-12-2017	14-02-2018	12
34	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	19-12-2017	14-02-2018	12
35	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	19-12-2017	09-02-2018	7
36	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	19-12-2017	09-02-2018	7
37	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	19-12-2017	07-02-2018	5
38	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	19-12-2017	07-02-2018	5
39	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	02-08-2016	19-09-2016	3
40	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	02-08-2016	19-09-2016	3
41	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल बेदौली झुलनीपुर रोड	07-05-2018	22-06-2018	1
42	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	07-05-2018	22-06-2018	1

परिशिष्ट-4.1

(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)

भारत सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बासस्थान रोड	20.43	07-11-2017	17-08-2017	82
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मानियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	07-11-2017	13-10-2017	25
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	15.93	07-11-2017	13-10-2017	25
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	07-11-2017	13-10-2017	25
5	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	13.04	07-11-2017	13-10-2017	25
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	07-11-2017	13-10-2017	25
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	07-11-2017	13-10-2017	25
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	07-11-2017	13-10-2017	25
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	15.59	07-11-2017	13-10-2017	25
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	07-11-2017	13-10-2017	25
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	07-11-2017	13-10-2017	25
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	07-11-2017	13-10-2017	25
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार मार्ग	10.98	07-11-2017	13-10-2017	25
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	16.92	07-11-2017	13-10-2017	25
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाहपूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	07-11-2017	13-10-2017	25
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	07-11-2017	13-10-2017	25
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	07-11-2017	13-10-2017	25
18	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	13-05-2016	18-04-2016	25
		योग	**306.24**			

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)
उत्तर प्रदेश शासन की वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मॉधी-बॉसस्थान रोड	20.43	19-12-2017	17-08-2017	124
2	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	02-08-2016	18-04-2016	106
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	28.36	02-08-2016	19-05-2016	75
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02	02-08-2016	19-05-2016	75
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78	02-08-2016	19-05-2016	75
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	19-12-2017	13-10-2017	67
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	15.93	19-12-2017	13-10-2017	67
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	19-12-2017	13-10-2017	67
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गॉजा बिलासपुर	13.04	19-12-2017	13-10-2017	67
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	19-12-2017	13-10-2017	67
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	19-12-2017	13-10-2017	67
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	19-12-2017	13-10-2017	67
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	15.59	19-12-2017	13-10-2017	67
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	19-12-2017	13-10-2017	67
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	19-12-2017	13-10-2017	67
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	19-12-2017	13-10-2017	67
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	10.98	19-12-2017	13-10-2017	67
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	16.92	19-12-2017	13-10-2017	67
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	19-12-2017	13-10-2017	67
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	19-12-2017	13-10-2017	67

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	19-12-2017	13-10-2017	67
22	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31	02-08-2016	31-05-2016	63
23	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82	02-08-2016	31-05-2016	63
24	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग	51.81	03-01-2017	17-11-2016	47
25	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग -1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	18-11-2016	46
26	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियॉ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	42.57	19-12-2017	14-11-2017	35
27	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	26.78	19-12-2017	14-11-2017	35
28	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97	19-12-2017	14-11-2017	35
29	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58	19-12-2017	15-11-2017	34
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	20.31	19-12-2017	15-11-2017	34
31	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी मॅगरू चौराहा से जसवल	29.76	19-12-2017	15-11-2017	34
32	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	19-12-2017	15-11-2017	34
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	19-12-2017	15-11-2017	34
34	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16	19-12-2017	15-11-2017	34
35	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	18.18	19-12-2017	15-11-2017	34
36	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44	19-12-2017	18-11-2017	31
37	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95	19-12-2017	20-11-2017	29
38	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	19-12-2017	20-11-2017	29
39	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	19-12-2017	20-11-2017	29
40	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	19-12-2017	20-11-2017	29
41	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19.07	19-12-2017	20-11-2017	29
42	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	26.92	19-12-2017	20-11-2017	29
43	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	19-12-2017	21-11-2017	28
44	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर बघौचघाट- रोड	18.66	19-12-2017	21-11-2017	28

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
45	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	22.82	19-12-2017	27-11-2017	22
46	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	22.33	19-12-2017	27-11-2017	22
47	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41	19-12-2017	30-11-2017	19
48	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	38.32	19-12-2017	04-12-2017	15
49	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	19-12-2017	04-12-2017	15
50	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	19-12-2017	05-12-2017	14
51	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरूहजा रोड	27.81	19-12-2017	05-12-2017	14
52	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	19-12-2017	05-12-2017	14
53	प्रान्तीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61	19-12-2017	05-12-2017	14
54	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	07-05-2018	28-04-2018	9
55	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक	33.23	07-05-2018	28-04-2018	9
56	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक	16.10	07-05-2018	28-04-2018	9
57	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	02-08-2016	26-07-2016	7
58	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61	07-05-2018	04-05-2018	3
59	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	12.34	07-05-2018	04-05-2018	3
60	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	07-05-2018	04-05-2018	3
61	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63	07-05-2018	04-05-2018	3
योग			**1636.16**			

परिशिष्ट-4.3
(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मॅंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	29.76	05-05-2018	15-11-2017	172
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	34.00	05-05-2018	15-11-2017	171
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुलरिया थाना से तुलसीदेई रोड तक	19.24	02-05-2022	25-11-2021	158
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मॉधी-बॉसस्थान रोड	20.43	20-01-2018	17-08-2017	156
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड लॉट	17.95	23-04-2022	25-11-2021	149
6	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	31-08-2016	18-04-2016	135
7	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुरचक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा लिंक रोड	21.67	05-05-2018	21-12-2017	135
8	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27	24-04-2022	15-12-2021	130
9	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02	02-09-2016	19-05-2016	106
10	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	28-02-2018	15-11-2017	105
11	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67	28-04-2018	24-01-2018	94
12	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियॉ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	42.57	09-02-2018	14-11-2017	87
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	15-02-2018	20-11-2017	87
14	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19.07	15-02-2018	20-11-2017	87
15	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से रौनाखुर्द की ओर कार्य वाया मुनारी	26.92	15-02-2018	20-11-2017	87
16	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95	14-02-2018	20-11-2017	86
17	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25	28-07-2018	08-05-2018	81
18	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	20-02-2018	04-12-2017	78
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	29-12-2017	13-10-2017	77

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डाडी-चफरी-हथिगहां रोड	15.93	29-12-2017	13-10-2017	77
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	29-12-2017	13-10-2017	77
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	13.04	29-12-2017	13-10-2017	77
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	29-12-2017	13-10-2017	77
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	29-12-2017	13-10-2017	77
25	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	29-12-2017	13-10-2017	77
26	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	15.59	29-12-2017	13-10-2017	77
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	29-12-2017	13-10-2017	77
28	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	29-12-2017	13-10-2017	77
29	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	29-12-2017	13-10-2017	77
30	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	10.98	29-12-2017	13-10-2017	77
31	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ रोड तक वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	16.92	29-12-2017	13-10-2017	77
32	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाहपूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	29-12-2017	13-10-2017	77
33	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	29-12-2017	13-10-2017	77
34	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	29-12-2017	13-10-2017	77
35	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	13-07-2018	28-04-2018	76
36	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-सॉगोबॉध-मनरूटोला रोड	33.23	13-07-2018	28-04-2018	76
37	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी मार्ग के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला मार्ग	16.10	13-07-2018	28-04-2018	76
38	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31	12-08-2016	31-05-2016	73
39	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82	12-08-2016	31-05-2016	73
40	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	15-02-2018	05-12-2017	72
41	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	27.81	14-02-2018	05-12-2017	71
42	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	41.27	19-07-2018	11-05-2018	69
43	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37	19-07-2018	11-05-2018	69

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
44	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58	20-01-2018	15-11-2017	66
45	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	07-02-2018	05-12-2017	64
46	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61	07-02-2018	05-12-2017	64
47	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	17-01-2018	15-11-2017	63
48	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61	05-07-2018	04-05-2018	62
49	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	12.34	05-07-2018	04-05-2018	62
50	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63	05-07-2018	04-05-2018	62
51	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनेज 3-40 से 89-00)	189.89	08-12-2016	07-10-2016	62
52	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	04-07-2018	04-05-2018	61
53	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	27.25	27-10-2016	27-08-2016	61
54	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49	05-07-2018	07-05-2018	59
55	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44	15-01-2018	18-11-2017	58
56	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड मार्ग	23.16	09-01-2018	15-11-2017	55
57	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	18.18	09-01-2018	15-11-2017	55
58	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	19-09-2016	26-07-2016	55
59	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	12-01-2018	20-11-2017	53
60	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	12-01-2018	20-11-2017	53
61	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97	05-01-2018	14-11-2017	52
62	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	26.78	04-01-2018	14-11-2017	51
63	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	09-01-2018	21-11-2017	49
64	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	18.66	09-01-2018	21-11-2017	49
65	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	24.66	30-12-2017	21-11-2017	49
66	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग सं.-5 एवं 54)	51.81	03-01-2017	17-11-2016	47
67	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	18-11-2016	46
68	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	15.33	08-01-2022	25-11-2021	44
69	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41	12-01-2018	30-11-2017	43

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
70	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	28.36	29-06-2016	19-05-2016	41
71	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78	29-06-2016	19-05-2016	41
72	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	22.82	03-01-2018	27-11-2017	37
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	22.33	03-01-2018	27-11-2017	37
74	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55	28-05-2022	23-04-2022	35
75	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60	02-09-2016	05-08-2016	28
76	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	33.36	28-02-2018	02-02-2018	26
77	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02	04-08-2018	09-07-2018	26
78	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी	127.19	29-11-2016	05-11-2016	24
79	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171-000 से 180-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी	0.00	29-11-2016	05-11-2016	24
80	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63	21-12-2021	29-11-2021	22
81	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	93.28	24-08-2016	05-08-2016	19
82	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	46.77	24-08-2016	05-08-2016	19
83	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	36.32	19-06-2018	02-06-2018	17
84	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	26.53	19-06-2018	02-06-2018	17
85	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	26.29	19-06-2018	02-06-2018	17
86	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14	19-06-2018	02-06-2018	17
87	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47	19-06-2018	02-06-2018	17
88	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92	19-06-2018	02-06-2018	17
89	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59	19-06-2018	02-06-2018	17
90	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36	19-06-2018	02-06-2018	17
91	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90	19-06-2018	02-06-2018	17
92	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	43.3	19-06-2018	02-06-2018	17
93	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	38.32	20-12-2017	04-12-2017	16

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
94	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	31.03	09-12-2021	23-11-2021	16
95	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	30.45	09-02-2018	25-01-2018	15
96	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	29.63	25-01-2018	11-01-2018	14
97	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोंठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68	21-07-2018	13-07-2018	8
	योग		**2917.17**			

परिशिष्ट-4.4
(प्रस्तर 4.2.1. में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व खोली गयी वित्तीय बिडों को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02	02-09-2016	29-06-2016	65
2	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67	28-04-2018	26-02-2018	61
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	28-02-2018	15-01-2018	44
4	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	31-08-2016	22-07-2016	40
5	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95	14-02-2018	12-01-2018	33
6	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	41.27	19-07-2018	20-06-2018	29
7	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37	19-07-2018	20-06-2018	29
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19.07	15-02-2018	18-01-2018	28
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से रौनाखुर्द की ओर कार्य वाया मुनारी	26.92	15-02-2018	18-01-2018	28
10	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवानिचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनेज 3-40 से 89-00)	189.89	02-12-2016	07-11-2016	25
11	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सेतु कार्य)	38.00	28-01-2019	04-01-2019	24
12	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	19.23	02-05-2022	18-04-2022	14
13	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	15-02-2018	02-02-2018	13
14	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60	02-09-2016	20-08-2016	13
15	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	27.81	14-02-2018	02-02-2018	12
16	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	09-01-2018	28-12-2017	12
17	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	18.66	09-01-2018	28-12-2017	12
18	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	23-12-2016	11
19	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 व 54)	51.81	03-01-2017	23-12-2016	11
20	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	15-02-2018	05-02-2018	10
21	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	19-09-2016	10-09-2016	9

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
22	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	20-02-2018	13-02-2018	7
23	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	29.63	25-01-2018	18-01-2018	7
24	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-सॉगोबॉध-मनरूटोला रोड	33.23	13-07-2018	07-07-2018	6
25	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	16.10	13-07-2018	07-07-2018	6
26	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	13-07-2018	07-07-2018	6
27	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	27.25	27-10-2016	21-10-2016	6
28	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16	09-01-2018	03-01-2018	6
29	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	18.18	09-01-2018	03-01-2018	6
30	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27	24-04-2022	19-04-2022	5
31	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट रोड	37.82	12-08-2016	08-08-2016	4
32	निर्माण खण्ड-3, झॉसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	04-07-2018	30-06-2018	4
33	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44	15-01-2018	11-01-2018	4
34	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां रोड	28.36	29-06-2018	25-06-2018	4
35	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	12-01-2018	09-01-2018	3
36	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	29-12-2017	26-12-2017	3
37	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	15.93	29-12-2017	26-12-2017	3
38	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	29-12-2017	26-12-2017	3
39	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	13.04	29-12-2017	26-12-2017	3
40	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	29-12-2017	26-12-2017	3
41	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	29-12-2017	26-12-2017	3
42	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	29-12-2017	26-12-2017	3

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
43	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	15.59	29-12-2017	26-12-2017	3
44	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	29-12-2017	26-12-2017	3
45	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	29-12-2017	26-12-2017	3
46	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	29-12-2017	26-12-2017	3
47	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	10.98	29-12-2017	26-12-2017	3
48	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	16.92	29-12-2017	26-12-2017	3
49	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	29-12-2017	26-12-2017	3
50	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	29-12-2017	26-12-2017	3
51	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	29-12-2017	26-12-2017	3
52	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड लॉट सं-1 2	17.96	23-04-2022	20-04-2022	3
53	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहां से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55	28-05-2022	25-05-2022	3
54	प्रान्तीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	24.60	30-12-2017	27-12-2017	3
55	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	12-01-2018	10-01-2018	2
56	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	17-01-2018	15-01-2018	2
57	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	07-02-2018	05-02-2018	2
58	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61	07-02-2018	05-02-2018	2
59	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	93.28	24-08-2016	22-08-2016	2
60	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	46.77	24-08-2016	22-08-2016	2
61	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियॉ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	42.57	09-02-2018	08-02-2018	1
62	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	127.19	29-11-2016	28-11-2016	1
योग			**2052.31**			

परिशिष्ट-4.5
(प्रस्तर 4.2.2 में संदर्भित)
ठेकेदारों को निविदा हेतु निर्धारित समय सीमा से कम समय दिये जाने को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	02-02-2018	03-02-2018	08-02-2018	6
2	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सड़क कार्य)	28-02-2018	01-03-2018	07-03-2018	7
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	11-01-2018	12-01-2018	18-01-2018	7
4	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	12-07-2018	13-07-2018	20-07-2018	8
5	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	12-07-2018	13-07-2018	20-07-2018	8
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
7	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नगर तासौद रोड से राजस्थान सीमा तक लिंक रोड किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	11-07-2018	14-07-2018	19-07-2018	8
8	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
9	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मॅगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
10	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचूरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	09-07-2018	11-07-2018	18-07-2018	9
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	13-07-2018	18-07-2018	24-07-2018	11
12	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग सं.-1 एवं 59)	09-12-2016	16-12-2016	20-12-2016	11
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेत-मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
14	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर सिंधौरा मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
15	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
16	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	05-11-2016	15-11-2016	21-11-2016	16
17	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	25-01-2018	06-02-2018	12-02-2018	18
18	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	15-10-2016	26-10-2016	02-11-2016	18

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
19	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा लिंक रोड	21-12-2017	01-01-2018	08-01-2018	18
20	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	07-10-2016	20-10-2016	25-10-2016	18
21	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	16-07-2018	28-07-2018	03-08-2018	18
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	15-11-2017	28-11-2017	04-12-2017	19
23	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 व 54)	17-11-2016	01-12-2016	06-12-2016	19
24	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	15-11-2017	28-11-2017	05-12-2017	20
25	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-दधसरा रोड	15-11-2017	28-11-2017	05-12-2017	20
26	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
27	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
28	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	15-12-2021	28-12-2021	04-01-2022	20
29	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहॉ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	23-04-2022	05-05-2022	13-05-2022	20
31	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	23-11-2021	08-12-2021	13-12-2021	20
32	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनेज 3-40 से 89-00)	07-10-2016	20-10-2016	27-10-2016	20
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर मार्ग लॉट सं-1 2	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज मार्ग लॉट सं-1 2	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
35	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
36	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
37	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
38	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
39	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
40	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
41	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
42	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
43	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर मार्ग	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
44	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171-000 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	05-11-2016	15-11-2016	28-11-2016	23

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
45	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
46	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
47	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
48	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
49	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	27-08-2016	12-09-2016	19-09-2016	23
50	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	24-01-2018	01-02-2018	17-02-2018	24
51	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	23-11-2021	08-12-2021	17-12-2021	24
52	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौर मार्ग (चैनेज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	08-10-2016	20-10-2016	02-11-2016	25
53	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
54	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
55	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
56	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
57	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
58	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
59	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
60	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
61	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
62	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
63	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
64	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
65	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
66	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
67	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
68	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
69	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	14-11-2017	01-12-2017	13-12-2017	29
70	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	20-11-2017	12-12-2017	19-12-2017	29
71	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20-11-2017	12-12-2017	19-12-2017	29

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
72	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	18-04-2016	12-05-2016	18-05-2016	30
73	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
74	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
75	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द की ओर कार्य	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
76	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	14-11-2017	05-12-2017	14-12-2017	30
77	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
78	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29-11-2021	24-12-2021	30-12-2021	31
79	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	11-05-2018	22-05-2018	11-06-2018	31
80	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	11-05-2018	22-05-2018	11-06-2018	31
81	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	05-12-2017	15-12-2017	05-01-2018	31
82	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सेतु कार्य)	16-11-2018	07-12-2018	17-12-2018	31
83	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	05-12-2017	15-12-2017	06-01-2018	32
84	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
85	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	04-12-2017	21-12-2017	05-01-2018	32
86	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
87	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
88	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	07-05-2018	23-05-2018	08-06-2018	32
89	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	18-11-2017	15-12-2017	21-12-2017	33
90	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	31-05-2016	20-06-2016	04-07-2016	34
91	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	15-11-2017	28-11-2017	20-12-2017	35
92	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	05-12-2017	04-01-2018	10-01-2018	36
93	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	05-12-2017	04-01-2018	10-01-2018	36

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
94	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	04-12-2017	27-12-2017	11-01-2018	38
95	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	26-07-2016	25-08-2016	05-09-2016	41
96	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	30-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	41
97	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	14-11-2017	22-12-2017	28-12-2017	44
98	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	27-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	44
99	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	27-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	44
100	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100)	07-05-2018	16-05-2018	22-06-2018	46
101	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा तक मार्ग किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	07-05-2018	16-05-2018	22-06-2018	46
102	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
103	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
104	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
105	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
106	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	31-05-2016	20-06-2016	26-07-2016	56
107	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छतीसगढ़ बार्डर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-सगोॅबॉध-मनरूटोला रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
108	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छतीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
109	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
110	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	15-11-2017	04-01-2018	15-01-2018	61
111	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बांसस्थान रोड	17-08-2017	04-09-2017	15-01-2018	151

परिशिष्ट-4.6
(प्रस्तर 4.4.1 में संदर्भित)
एकल बिड की स्वीकृति को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	प्रथम एनआईटी की तिथि	द्वितीय एनआईटी की तिथि	द्वितीय आमंत्रण में अर्ह पायी गयी बिडों की संख्या
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	05-08-2016		
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मॅगरू चौराहा से जसवल पिच चौड़ीकरण	15-11-2017	12-01-2018	1
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही रोड	15-11-2017	12-01-2018	1
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड चौ/सु कार्य	15-11-2017	11-01-2018	1
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	19-05-2016		
6	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बांसस्थान रोड	17-08-2017	04-01-2018	1
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	15-11-2017	03-01-2018	1
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	05-08-2016		
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	05-08-2016		
10	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	20-11-2017		
11	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	24-01-2018		
12	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवाँ बखिरा	19-05-2016		

परिशिष्ट-4.7
(प्रस्तर 4.4.2 में संदर्भित)
ऐसे प्रकरणों को दर्शाता विवरण जिनके अनुबंध गठित करते समय निविदा दस्तावेजों के अनुसार बीओक्यू का 50 प्रतिशत या उससे अधिक नीचे की ओर पुनरीक्षण हुआ

(₹ लाख में)

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	निविदा के अनुसार बीओक्यू	अनुबंध के अनुसार पुनरीक्षित बीओक्यू	विचलन	विचलन का प्रतिशत	मुख्य कार्य-मदें जो अनुबंध में सम्मिलित नहीं की गयीं	
							कार्य-मद	धनराशि
1	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	2576.10	1276.15	1299.95	50.46	जीएसबी	678.47
							डीबीएम	613.74
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	1156.56	324.16	832.4	71.97	जीएसबी	278.07
							डब्लूएमएम	325.22
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर मार्ग से दासापुर-बुदौना-डाडी-चफरी-हथिगहां रोड	1305.65	221.79	1083.86	83.01	जीएसबी	164.39
							डब्लूएमएम	101.76
							डीबीएम	684.29
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	1329.07	496.61	832.46	62.63	जीएसबी	349.56
							डब्लूएमएम	364.18
5	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	1278.27	635.96	642.31	50.25	जीएसबी	261.04
							डब्लूएमएम	225.18
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	929.53	252.42	677.11	72.84	जीएसबी	125.38
							डब्लूएमएम	151.93
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	1121.48	414.07	707.41	63.08	जीएसबी	258.60
							डब्लूएमएम	346.28
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	899.36	431.48	467.88	52.02	जीएसबी	218.04
							डब्लूएमएम	163.22

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	निविदा के अनुसार बीओक्यू	अनुबंध के अनुसार पुनरीक्षित बीओक्यू	विचलन	विचलन का प्रतिशत	मुख्य कार्य-मदें जो अनुबंध में सम्मिलित नहीं की गयीं	
							कार्य-मद	धनराशि
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौराहा	2727.05	872.05	1855.00	68.02	जीएसबी	718.59
							डब्लूएमएम	854.13
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	984.05	176.37	807.68	82.08	जीएसबी	153.27
							डब्लूएमएम	129.02
							डीबीएम	344.09
11	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	2198.89	950.31	1248.58	56.78	जीएसबी	391.30
							डब्लूएमएम	684.97
12	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	5360.15	2296.52	3063.63	57.15	जीएसबी	837.63
							डब्लूएमएम	879.69
13	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171-000 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	4979.64	2238.07	2741.37	55.05	जीएसबी	820.32
							डब्लूएमएम	869.36
14	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	1888.22	512.01	1376.21	72.88	जीएसबी	421.28
							डब्लूएमएम	633.27
15	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	1845.09	556.47	1288.62	69.84	जीएसबी	415.24
							डब्लूएमएम	628.04
		योग	**30579.11**	**11654.44**	**18924.67**			**14089.55**

परिशिष्ट-4.8
(प्रस्तर 4.5 में संदर्भित)
कार्य पूर्ण होने में विलम्ब को दर्शाता विवरण

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2766.17	12-02-2019	12-04-2019	59
2	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	887.10	22-04-2019	30-06-2019	69
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	1336.17	11-10-2018	25-12-2018	75
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	2064.81	15-04-2019	30-06-2019	76
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	3514.86	17-07-2019	07-10-2019	82
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	2152.75	17-07-2019	07-10-2019	82
7	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	1073.64	16-01-2019	28-04-2019	102
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	562.94	14-09-2018	31-12-2018	108
9	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	2316.44	06-01-2023	27-04-2023	111
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1061.39	17-09-2018	08-01-2019	113
11	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2332.88	23-07-2019	16-11-2019	116
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	265.55	03-09-2018	14-01-2019	133
13	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क मार्ग	3011.44	16-07-2019	02-12-2019	139
14	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	1587.88	13-08-2019	31-12-2019	140
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	1047.66	11-07-2019	30-11-2019	142
16	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	796.79	10-07-2019	30-11-2019	143
17	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	490.09	23-04-2019	15-09-2019	145
18	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	4571.90	02-07-2018	26-11-2018	147
19	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	2445.04	07-01-2023	10-06-2023	154
20	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	1006.38	20-10-2018	26-03-2019	157
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	340.05	29-09-2018	14-03-2019	166
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	520.45	14-10-2018	29-03-2019	166

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	763.96	14-10-2018	31-03-2019	168
24	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	1725.10	15-07-2019	31-12-2019	169
25	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	2691.66	13-08-2019	29-01-2020	169
26	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	1699.58	13-10-2017	03-04-2018	172
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	914.78	03-01-2019	28-06-2019	176
28	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	2554.17	06-08-2019	31-01-2020	178
29	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	2240.41	11-09-2017	11-03-2018	181
30	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	662.04	14-10-2018	14-04-2019	182
31	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा रोड तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	1479.57	17-07-2019	15-01-2020	182
32	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	1256.30	15-11-2018	22-05-2019	188
33	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	612.12	24-07-2019	31-01-2020	191
34	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	1325.18	27-07-2019	06-02-2020	194
35	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2942.79	17-09-2019	31-03-2020	196
36	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	1784.64	14-12-2018	30-06-2019	198
37	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौ़र मार्ग (चैनेज 0-00 से 61 किलोमीटर)	11055.45	13-12-2018	30-06-2019	199
38	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनेज 3-40 से 89-00)	9392.20	08-12-2018	30-06-2019	204
39	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2117.55	15-03-2019	07-10-2019	206
40	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	185.72	11-09-2018	11-04-2019	212
41	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	942.16	29-08-2018	30-03-2019	213
42	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2083.44	19-08-2019	20-03-2020	214
43	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	3336.65	21-08-2017	28-03-2018	219
44	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	3556.17	21-08-2017	29-03-2018	220
45	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	232.33	29-08-2018	30-04-2019	244
46	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	434.36	14-09-2018	25-05-2019	253
47	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	1982.37	06-02-2019	31-10-2019	267

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
48	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बासस्थान रोड	1686.76	05-08-2019	30-04-2020	269
49	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	2444.73	30-06-2019	31-03-2020	275
50	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2142.31	17-07-2019	06-05-2020	294
51	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	2789.19	07-02-2019	30-11-2019	296
52	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मॅगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2363.74	06-02-2019	30-11-2019	297
53	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	1606.03	05-02-2019	30-11-2019	298
54	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	2387.34	01-06-2018	31-03-2019	303
55	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	3027.11	20-05-2018	27-03-2019	311
56	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड तक	2059.45	23-11-2018	23-10-2019	334
57	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2596.98	29-12-2017	30-11-2018	336
58	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	3177.95	08-03-2018	28-02-2019	357
59	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	1706.11	06-02-2019	15-02-2020	374
60	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	2688.96	17-11-2018	30-11-2019	378
61	प्रान्तीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	849.28	06-11-2018	27-11-2019	386
62	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा मार्ग	1456.05	05-02-2019	28-02-2020	388
63	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3387.40	29-12-2017	10-02-2019	408
64	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	1726.70	09-01-2019	16-03-2020	432
65	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	451.97	05-08-2018	30-10-2019	451
66	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	2054.21	30-11-2018	15-03-2020	471
67	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	1073.75	23-04-2019	31-08-2020	496
68	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2868.39	17-07-2019	23-12-2020	525
69	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 20 (100)	2745.75	16-07-2019	04-02-2021	569

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
70	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	4211.61	25-08-2017	30-03-2019	582
71	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	4619.81	02-03-2019	15-10-2020	593
72	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2296.52	30-05-2018	30-01-2020	610
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171-000 से 180-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2238.07	30-05-2018	30-01-2020	610
74	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	3482.09	23-07-2019	10-04-2021	627
75	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	8727.98	31-08-2017	30-06-2019	668
76	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	1276.49	16-02-2019	26-12-2020	679
77	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	5018.92	17-11-2017	30-09-2019	682
78	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	1494.41	16-02-2019	30-12-2020	683
79	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	5201.20	13-03-2018	02-04-2020	751
80	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	968.39	16-07-2019	15-08-2021	761
81	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	9932.01	07-08-2019	31-01-2022	908
82	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मेाठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2591.60	13-08-2019	31-03-2022	961
83	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	1881.98	22-07-2019	25-03-2022	977
84	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	1348.89	23-07-2019	31-05-2022	1043
85	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सेतु कार्य)	647.10	11-11-2019	30-09-2022	1054
86	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	5367.12	02-07-2018	20-12-2021	1267
87	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सड़क कार्य)	2088.43	18-03-2019	31-03-2023	1474
		योग (87)	**204805.56**			
88	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	3137.44	26-02-2019	कार्य प्रगति में	
89	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	2329.95	17-03-2019	कार्य प्रगति में	
90	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	1283.91	14-02-2023	कार्य प्रगति में	

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
91	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	1957.30	06-04-2023	कार्य प्रगति में	
92	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड	1489.60	10-05-2023	कार्य प्रगति में	
93	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज	1685.61	11-05-2023	कार्य प्रगति में	
94	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुलरिया थाना से तुलसीदेई रोड	1439.64	30-05-2023	कार्य प्रगति में	
योग (7)			**13323.45**			
महायोग			**218129.31**			

परिशिष्ट-5.1
(प्रस्तर 5.2.1 में संदर्भित)
ठेकेदारों को भुगतान किए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
1	निर्माण खण्ड चंदौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	37-एसई-वाराणसी-17-18	17-02-2018	04-07-2018	53.50
2	निर्माण खण्ड चंदौली	बबुरी-धरौली मार्ग	52-एसई-वाराणसी-2016-17	09-09-2016	06-03-2017	153.90
3	निर्माण खण्ड चंदौली	चंदौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरहूजा रोड	33-एसई-वाराणसी- 17-18	17-02-2018	10-03-2018	59.00
4	निर्माण खण्ड चंदौली	लेवा इलिया रोड	32-एसई-वाराणसी-17-18	15-02-2018	10-03-2018	89.00
5	निर्माण खण्ड ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	15-एसई-झाँसी-2016-17	22-08-2016	14-06-2017	205.00
6	निर्माण खण्ड ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	14-एसई-झाँसी-2016-17	22-08-2016	29-08-2016 30-09-2017	222.50
7	निर्माण खण्ड ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	24-एसई-झाँसी-2016-17	18-11-2016	08-09-2017	250.00
8	निर्माण खण्ड सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	30-एसई-सोनभद्र-18-19	08-08-2018	28-09-2019	496.60
9	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	भटहट-माधी-बासस्थान रोड	44-एसई-गोरखपुर-17-18	06-02-2018	13-03-2018	84.34
10	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	11-एसई-गोरखपुर-16-17	30-06-2016	24-03-2017	150.00
11	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	54-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	15-03-2018	127.71
12	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	10-एसई-गोरखपुर-16-17	30-06-2016	31-03-2017	100.00
13	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	45-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	13-03-2018	80.30
14	निर्माण खण्ड-1 बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	69-एस ई-बाराबंकी-2017-18	18-01-2018	30-01-2018	134.00
15	निर्माण खण्ड-1 बाराबंकी	रानीबाज़ार त्रिलोकपुर भयारा रोड	68-एसई-बाराबंकी-2017-18	16-01-2018	19-03-2018	84.18
16	निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट	इटवा मारकुंडी मानिकपुर (उ.प्र. सीमा तक)	101-एसई-बांदा-18-19	24-07-2018	07-08-2018	174.00
17	निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुंडी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100-एसई-बांदा-18-19	24-07-2018	01-08-2018	67.44
18	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	81-एसई-इलाहाबाद-2017-18	15-01-2018	18-03-2018	50.00
19	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	50-एसई-इलाहाबाद-2017-18	30-12-2017	27-01-2018	45.00
20	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावाँ रोड	80-एसई-इलाहाबाद-2017-18	15-01-2018	09-02-2018	65.00

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
21	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	73-एसई-इलाहाबाद-2017-18	12-01-2018	29-01-2018	66.00
22	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहरब-भगौतीपुर-खान शाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	59-एसई-इलाहाबाद-2017-18	04-01-2018	16-03-2018	117.33
23	निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	27-एसई-बस्ती-17-18	27-02-2018	30-03-2018	155.00
24	निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझवा-धोबहा-शाहपुर (चै. 0-00 से 18-00)	135-एसई-बस्ती-16-17	02-12-2016	29-03-2017	115.00
25	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18-एसई-रामपुर-17-18	01-02-2018	26-03-2018	120.00
26	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71-एसई-रामपुर-16-17	03-01-2017	23-01-2017	268.35
27	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	एनएच-734 से सुवावाला सूरजनगर मार्ग वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	98-एसई-रामपुर-21-22	06-01-2022	13-03-2022	195.73
28	निर्माण खण्ड-3 झाँसी	चिरगाँव (एनएच 27) से भांडेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	22-एसई-झाँसी-18-19	17-07-2018	16-08-2018	48.40
29	निर्माण खण्ड-3 झाँसी	सिकंदरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	21-एसई-झाँसी-18-19	17-07-2018	04-08-2018	150.57
30	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	बाघागाढ़ा से जरलही लिंक रोड	56-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	13-03-2018	80.00
31	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	कंटाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मंगरु चौराहा से जसवल पिच चौड़ीकरण	53-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	29-03-2018	116.67
32	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	महेवा चुंगी से मलोली बंधा रोड	65-एसई-गोरखपुर-17-18	18-03-2018	24-03-2018	293.00
33	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	55-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	17-03-2018	98.00
34	निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा रोड	38-एसई-इलाहाबाद-2016-17	21-11-2016	29-03-2017	56.50
35	प्रांतीय खण्ड देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुंठपुर मधवापुर रोड	119-एसईद्देवरिया-18-19	18-07-2018	26-07-2018	143.33
36	प्रांतीय खण्ड देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	33-एसईद्देवरिया-17-18	16-01-2018	30-01-2018	100.90
37	प्रांतीय खण्ड देवरिया	पकड़ी-बंगरा-बंगरुवा-मिश्ररौली रोड	118-एसई-देवरिया वृत्त-18-19	18-07-2018	24-07-2018	95.00
38	प्रांतीय खण्ड देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	117-एसई-देवरिया-18-19	18-07-2018	24-07-2018	156.30

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
39	प्रांतीय खण्ड देवरिया	सिरसिया-प्रतापपुर-मैरवा रोड	120-एसई-देवरिया-18-19	18-07-2018	26-07-2018	213.60
40	प्रांतीय खण्ड एटा	अलीगंज कुरावली रोड	44-एसई-अलीगढ़-17-18	06-03-2018	29-03-2018	87.37
41	प्रांतीय खण्ड एटा	सराय अगहत ढटींगरा रोड (डाकू रोड)	43-एसई-अलीगढ़-17-18	06-03-2018	23-03-2018	51.28
42	प्रांतीय खण्ड जौनपुर	मलहनी-कोइरीडिहा-इटौरी-जमुहाई रोड	29-एसई-आजमगढ़-17-18	07-02-2018	24-02-2018	42.33
43	प्रांतीय खण्ड झाँसी	किलोमीटर 1 से 14 (140) मऊ टीकमगढ़ मार्ग	20-एसई-झाँसी-18-19	16-07-2018	04-08-2018	86.00
44	प्रांतीय खण्ड झाँसी	किलोमीटर 1 से 15 (900) मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग	27-एसई-झाँसी-18-19	14-08-2018	23-08-2018	79.00
45	प्रांतीय खण्ड कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं. 9 वाया नमक फैक्ट्री चौराहा,विजय नगर चौराहा से एनएच-2 (सेतु कार्य)	67-एसई-कानपुर-18-19	12-02-2019	09-03-2019	64.71
46	प्रांतीय खण्ड कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं. 9 वाया नमक फैक्ट्री क्रॉसिंग,विजय नगर क्रॉसिंग से एनएच-2 (सड़क कार्य)	45-एसई-कानपुर-17-18	19-03-2018	26-03-2018	100.00
47	प्रांतीय खण्ड कानपुर	एनएच-86 आनुपूर मोड़ से एनएच-46 परास चौराहा हरदौली रोड	39-एसई-कानपुर-17-18	24-02-2018	26-03-2018	100.00
48	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	एनएच-2 कोखराज से मनौरी आंतरिक भाग चार लेन में चौड़ीकरण चै. 161-800 से 171-000	41-एसई-इलाहाबाद-16-17	01-12-2016	25-03-2017	114.50
49	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	एनएच-2 कोखराज से मनौरी आंतरिक भाग चार लेन में चौड़ीकरण चै. 171-000 से 180-000	42-एसई-इलाहाबाद-16-17	01-12-2016	25-03-2017	111.50
50	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	मँझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	99-एसई-इलाहाबाद-वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	28.16
51	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	100-एसई-इलाहाबाद-वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	30.60
52	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	फाजिलनगर समऊर तमकुही रोड	134-एसई-देवरिया 18	24-07-2018	03-11-2018	98.66
53	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	32-एसई-देवरिया 18	16-01-2018	15-03-2018	78.79
54	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	135-एसई-देवरिया 18	24-07-2018	05-10-2018	53.69
55	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	समऊर नोनिया पट्टी रोड	129-एसई-देवरिया 18	23-07-2018	28-07-2018	112.00
56	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	सपहा-सेखवनियाँ-शिवपुर-हरका रोड	30-एसई-देवरिया-18	10-01-2018	16-03-2018	86.33
57	प्रांतीय खण्ड ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा मार्ग वाया जगारा	24-एसई-झाँसी-2018-19	18-07-2018	25-07-2018	74.00
58	प्रांतीय खण्ड ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	50-एसई-झाँसी-2017-18	13-02-2018	16-03-2018	138.00
59	प्रांतीय खण्ड महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	83-एसई-गोरखपुर-18-19	14-08-2018	29-08-2018	134.50

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
60	प्रांतीय खण्ड महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवाँ-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवाँ मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	29-एसई-गोरखपुर-16-17	09-12-2016	27-03-2017	465.00
61	प्रांतीय खण्ड महराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	84-एसई-गोरखपुर-18-19	20-08-2018	29-09-2018	100.00
62	प्रांतीय खण्ड वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	46-एसई-वाराणसी-16-17	26-08-2016	30-09-2016	60.00
63	प्रांतीय खण्ड आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	66-एसई-आगरा-17-18	28-02-2018	18-03-2018	96.17
64	प्रांतीय खण्ड आगरा	किलोमीटर 1 से 20 (450) पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड राजस्थान सीमा तक लिंक रोड	33-एसई -आगरा-18-19	31-07-2018	04-11-2018	70.00
65	प्रांतीय खण्ड गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-अकिलपुर-प्यावाली-एनटीपीसी रोड	35-एसई-बुलंदशहर-17-18	31-01-2018	09-03-2018	100.00
66	प्रांतीय खण्ड गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबूपुरा-मेहंदीपुर-भोले का मंदिर मार्ग	22-एसई-बुलंदशहर-18-19	14-08-2018	23-08-2018	35.67
67	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	39-एसई-गोरखपुर-17-18	16-01-2018	17-03-2018	100.00
68	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	66-एसई-गोरखपुर-17-18	18-03-2018	25-03-2018	232.99
69	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	सहजनवा-बखिरा रोड	12-एसई-गोरखपुर-16-17	14-09-2016	28-03-2017	274.00
70	प्रांतीय खण्ड सीतापुर	तंबौर महमूदाबाद रोड	42-एसई-सीतापुर-लखीमपुर-17-18	03-03-2018	16-03-2018	230.00
71	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	मखउपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	79-एसई-इलाहाबाद-17-18	15-01-2018	29-01-2018	35.00
72	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	पचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	82-एसई-इलाहाबाद-17-18	15-01-2018	16-03-2018	54.98
73	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	रेरूवा-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	66-एसई-इलाहाबाद-17-18	06-01-2018	29-01-2018	22.50
74	निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बॉर्डर तक मार्ग	92-एसई-इलाहाबाद-17-18	24-01-2018	02-02-2018	100.00
		योग				**8928.88**

परिशिष्ट-5.2 अ
(प्रस्तर 5.2.2 में संदर्भित)
क्रय के साक्ष्य के बिना उपकरण अग्रिम भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	37-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	25-10-2018	107.00
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	52-एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	09-09-2016	06-03-2017	317.00
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरूहजा रोड	33-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	10-03-2018	116.00
4	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	32-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	15-02-2018	10-03-2018	178.00
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बासस्थान रोड	44-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	06-02-2018	13-03-2018	84.34
6	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	11-एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	30-06-2016	21-03-2018	330.00
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	54-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	15-03-2018	255.42
8	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	45-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	06-02-2018	13-03-2018	80.30
9	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	69-एसई-बाराबंकी वृत्त-17-18	18-01-2018	15-02-2018	210.00
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	68-एसई-बाराबंकी वृत्त-17-18	16-01-2018	29-03-2018	168.37
11	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	101-एसई-बाँदा वृत्त-18-19	24-07-2018	07-08-2018	348.00
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100-एसई-बाँदा वृत्त-18-19	24-07-2018	01-08-2018	134.88
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	81-एसई-इलाहबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	18-03-2018	100.00
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गांजा बिलासपुर	50-एसई-इलाहबाद वृत्त-17-18	30-12-2017	27-01-2018	90.00
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर- दहियावां रोड	80-एसई-इलाहबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	09-02-2018	130.00
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	73-एसई-इलाहबाद वृत्त-17-18	12-01-2018	29-01-2018	132.00

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह का पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	59-एसई-इलहबाद वृत्त-17-18	04-01-2018	23-06-2018	234.66
18	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	135-एसई-बस्ती वृत्त-16-17	02-12-2016	29-03-2017	230.00
19	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71-एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	23-01-2017	536.70
20	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	22-एसई-झाँसी वृत्त-18-19	17-07-2018	22-08-2018	26.60
21	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	56-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	13-03-2018	170.00
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मँगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	53-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	29-03-2018	233.33
23	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	65-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	24-03-2018	147.00
24	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चैराहा वाया मखनहा मछरियाघाट	55-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	17-03-2018	197.00
25	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा- भीटा मार्ग	38-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	21-11-2016	29-03-2017	56.50
26	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	118-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-07-2018	14-08-2018	170.00
27	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	44-एसई-आगरा वृत्त-17-18	06-03-2018	29-03-2018	174.74
28	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	43-एसई-आगरा वृत्त-17-18	06-03-2018	23.03.2018	102.72
29	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	29-एसई-आजमगढ़ वृत्त-17-18	07-02-2018	24-02-2018	84.67
30	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सेतु कार्य)	67-एसई-कानपुर वृत्त-18-19	12-02-2019	09-03-2019	32.35
31	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सड़क कार्य)	45-एसई-कानपुर वृत्त-16-17	19-03-2018	26-03-2018	200.00
32	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन कोखराज से मनौरी तक	161-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	01-12-2016	25-03-2017	229.50
33	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171.000 से 180.000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	42-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	01-12-2016	25-03-2017	223.50
34	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	99-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	56.30
35	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	100-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	61.20

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
36	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	134-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	24-07-2018	03-11-2018	197.34
37	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	32-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	16-01-2018	15-03-2018	129.00
38	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	135-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	24-07-2018	05-10-2018	106.31
39	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	129-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	23-07-2018	28-07-2018	224.00
40	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर- हरका रोड	30-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	10-01-2018	16-03-2018	172.67
41	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना म.प्र. सीमा तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	24-एसई-झाँसी वृत्त-18-19	18-07-2018	25-07-2018	126.00
42	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	50-एसई-झाँसी वृत्त-17-18	13-02-2018	16-03-2018	276.00
43	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	66-एसई-आगरा वृत्त-18	28-02-2018	18-03-2018	192.35
44	प्रांतीय खण्ड, आगरा	राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले पिनाहट पापरी नागर तासौद मार्ग के किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20(450) तक लिंक रोड	33-एसई-आगरा वृत्त-18-19	31-07-2018	04-11-2018	140.00
45	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	35-एसई-बुलन्दशहर वृत्त-17-18	31-01-2018	21-03-2018	200.00
46	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	22-एसई-बुलन्दशहर वृत्त-18-19	14-08-2018	31-08-2018	56.00
47	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	12-एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	14-09-2016	18-03-2017	100.00
48	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	44-एसई-सीतापुर वृत्त 17-18	03-03-2018	16-03-2018	370.00
49	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	79- एसई-इलाहाबाद वृत्त-00-18	15-01-2018	29-01-2018	70.00
50	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार- दासापुर-कुरेसर रोड	82-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	16-03-2018	109.96
51	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	66-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	06-01-2018	29-01-2018	45.00
52	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	92-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	24-01-2018	02-02-2018	50.00
53	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली तक रोड	39-एसई-कानपुर वृत्त-17-18	24-02-2018	26-03-2018	200.00
		योग				**8712.71**

परिशिष्ट-5.2 ब
(प्रस्तर 5.2.2 में संदर्भित)
उपकरण अग्रिम भुगतान जिसके लिए टैक्स इन्वाइस/प्रोफ़ार्मा इन्वाइस प्रस्तुत किए गए, को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अग्रिम भुगतान की तिथि	भुगतानित उपकरण अग्रिम	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इन्वाइस		प्रस्तुत की गई टैक्स इन्वाइस में	
					प्रोफ़ार्मा इन्वाइस	टैक्स इन्वाइस	पुरानी इन्वाइस	बैंक से बन्धक
1	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	26-03-2018	200.00	0.00	184.07	27.27	156.80
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	15-03-2018	244.00	0.00	244.00	191.47	52.53
3	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तीनगर रोड	27-12-2019	993.20	0.00	993.20	0.00	993.20
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	30-01-2018	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	26-07-2018	213.60	0.00	213.60	213.60	0.00
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	26-07-2018	286.66	0.00	277.77	109.74	168.03
7	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	30-03-2018	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	24-07-2018	312.60	0.00	312.60	259.88	52.72
9	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बदौली-झुलनीपुर रोड	29-09-2018	200.00	98.62	101.38	68.88	32.50
10	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	27-03-2022	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00
11	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	13-03-2022	97.86	45.16	52.70	0.00	52.70
12	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा मार्ग	29-09-2018	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00
13	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	01-08-2018	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00
योग				**3559.47**	**1155.33**	**2379.32**	**870.84**	**1508.48**

परिशिष्ट-5.3
(प्रस्तर 5.2.3 में संदर्भित)
ठेकेदारों को भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम भुगतान की तिथि	सुरक्षित अग्रिम की धनराशि
1	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18/एसई-रामपुर वृत्त-17-18	01-02-2018	01-08-2018	2.80
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	37/एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	26-03-2018	0.45
3	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100/एसई-बांदा वृत्त-18-19	24-07-2018	12-09-2018	1.76
4	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-01 एवं 59)	71/एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	06-03-2018	8.09
5	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	83/एसई-गोरखपुर वृत्त-18-19	14-08-2018	31-10-2018	1.50
6	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	निचलौल-बदौली-झुलनीपुर रोड	84/एसई-गोरखपुर वृत्त-18-19	20-08-2018	29-11-2018	1.20
7	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	47/एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	01-09-2016	25-10-2016	1.98
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	46/एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	28-08-2016	31-03-2017	1.87
योग						**19.65**

परिशिष्ट-5.4
(प्रस्तर 5.2.3 में संदर्भित)
कार्यों के लिए सामग्री एकत्रीकरण हेतु किए गए अनियमित भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	भुगतान तिथि		भुगतान की गयी धनराशि
					से	तक	
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	12/एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	14-09-2016	18-03-2017	05-06-2018	14.70
2	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	39/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	16-01-2018	23-03-2018	25-06-2018	4.03
3	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	66/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	28-03-2018	20-07-2018	3.50
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-दधसरा रोड	43/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	03-02-2018	16-02-2018	28-03-2018	4.13
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	56/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	28-07-2018	05-10-2018	2.65
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	65/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	25-10-2018	10-01-2019	2.40
7	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	131/एसई-देवरिया वृत्त-18	23-07-2018	16-08-2018	16-08-2018	1.10
8	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	132/एसई-देवरिया वृत्त-18	23-07-2018	16-08-2018	16-08-2018	2.65
9	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	133/एसई-देवरिया वृत्त-18	24-07-2018	08-08-2018	08-08-2018	0.86
	योग						**36.02**

परिशिष्ट-5.5
(प्रस्तर 5.3.1 में संदर्भित)
बिना मापन किये गए भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	भुगतान तिथि		भुगतान की गयी धनराशि
					से	तक	
1	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से दुर्गागंज बार्डर तक रोड वाया जंघई	92/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	24-01-2018	27-02-2018	13-07-2018	8.15
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18/एसई-रामपुर वृत्त-17-18	01-02-2018	01-08-2018	01-08-2018	2.80
3	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71/एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	05-02-2018	15-04-2021	9.02
4	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	38/एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	21-11-2016	28-07-2018	24-01-2019	4.46
5	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	99/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	25-03-2018	25-03-2018	5.79
6	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	100/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	29-03-2018	29-03-2018	5.39
7	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	70/एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	27-09-2017	07-08-2018	9.40
8	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	29/एसई-आजमगढ़ वृत्त-17-18	07-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	0.67
	योग						**45.68**

परिशिष्ट-5.6
(प्रस्तर 5.3.3 में संदर्भित)
श्रम उपकर की कटौती को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकर		
				कटौती योग्य धनराशि	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि
		(अ) श्रम उपकर की कम कटौती				
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	2795.92	27.96	5.30	22.66
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	5298.33	52.98	33.65	19.33
3	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला- सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	4735.75	47.35	27.33	20.02
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2829.45	28.29	9.99	18.30
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2114.69	21.15	0.43	20.72
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	2216.80	22.17	1.01	21.16
7	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	960.66	9.60	3.44	6.16
8	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	1790.02	17.90	5.36	12.54
9	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2417.89	24.18	10.84	13.34
10	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	1625.32	16.25	4.11	12.14
11	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	907.22	9.07	3.01	6.06
12	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	2388.98	23.89	17.69	6.20
13	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	1863.19	18.63	5.03	13.60
14	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	539.63	5.40	0.91	4.49
15	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	2302.43	23.02	7.51	15.51
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	1851.72	18.51	5.58	12.93
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	1399.21	13.99	1.43	12.56
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	1294.12	12.94	4.62	8.32
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	1294.92	12.94	4.83	8.11

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकर		
				कटौती योग्य धनराशि	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	1091.71	10.92	1.50	9.42
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1388.78	13.89	4.13	9.76
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	999.32	9.99	2.20	7.79
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	1203.14	12.03	2.64	9.39
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	1073.00	10.73	1.94	8.79
25	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	902.53	9.03	3.22	5.81
26	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर- भैरोघाट रोड	958.56	9.59	4.72	4.87
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर- कौड़िहार रोड	844.42	8.44	2.08	6.36
28	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	872.37	8.72	3.78	4.94
29	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौर मार्ग (चैनेज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	11125.55	111.25	72.44	38.81
30	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3323.70	33.24	20.75	12.49
31	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2661.05	26.61	13.56	13.05
32	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	5060.57	50.61	29.29	21.32
		योग	**72130.95**	**721.27**	**314.32**	**406.95**
		(ब) श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी				
1	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से दुर्गागंज बार्डर तक वाया जंघई	2223.89	22.24	0.00	22.24
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	1107.47	11.07	0.00	11.07
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चैारा	2178.02	21.78	0.00	21.78
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	1340.12	13.40	0.00	13.40
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	1973.99	19.74	0.00	19.74
		योग	**8823.49**	**88.23**	**0.0**	**88.23**

परिशिष्ट-5.7
(प्रस्तर 5.3.3 में संदर्भित)
कटौती किये जाने के पूर्व श्रम उपकर देयकों में जोड़े जाने को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकर जोड़ा गया एवं काटा गया
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड्या खुरूहजा रोड	1236.42	1.12
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	1523.61	5.05
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	2659.65	4.94
4	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	1850.31	10.13
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा लिंक रोड	1653.06	3.43
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	1876.63	13.56
7	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2051.72	18.91
8	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	9031.53	18.16
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	1353.88	6.94
10	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	1684.20	2.03
11	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना रजला से गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	1303.78	3.65
12	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	8306.20	48.06
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	4122.56	33.89
14	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौ़र मार्ग (चैनेज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	11125.55	16.89
15	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	1626.46	11.81
16	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांधी-बासस्थान रोड	1833.23	10.87
17	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3323.70	20.75
18	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	2476.81	20.66
19	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2661.05	13.56
		योग	**61700.35**	**264.41**

परिशिष्ट-5.8
(प्रस्तर 5.4.1 में संदर्भित)
व्यय को दर्शाता विवरण जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी मार्ग वाया पड़्या खुरूहजा रोड	2019-20	814000	7108868	6294868
2		अहरौरा चकिया इलिया रोड	2017-18	41640000	55738954	14098954
3		बबुरी-धरौली मार्ग	2018-19	51899906	72502380	20602474
4		लेवा इलिया रोड	2018-19	151800000	158963804	7163804
5	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड`	2021-22	452782997	482999270	30216273
6		एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	2019-20	28839964	32969279	4129315
7	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	2020-21	11555000	16045511	4490511
8		बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई	2017-18	57710000	64174625	6464625
9	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	2018-19	99358538	124550870	25192332
10		कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मॅगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2020-21	0	5635221	5635221
11		महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2018-19	214005324	278403076	64397752
			2019-20	212025000	250938625	38913625
12		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा	2018-19	51967528	90879906	38912378
			2020-21	10000000	20287608	10287608
13		पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट	2018-19	109025430	116462782	7437352
			2019-20	40995000	51995433	11000433
14	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुंठपुर मधवापुर रोड	2020-21	16420000	25535852	9115852
15		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2019-20	35545000	53352284	17807284
16		सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2018-19	169430000	187203365	17773365

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
17		पकड़ी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	2018-19	169800000	196400572	26600572
18	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	2018-19	65760002	75305328	9545326
19	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	2020-21	9999702	19514909	9515207
20		फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2018-19	74639643	113214415	38574772
21		गोडरिया मुडाडीह रोड	2020-21	0	11376908	11376908
22		खैरटिया बनकटा रोड	2020-21	0	9077859	9077859
23		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2020-21	0	14168797	14168797
24		सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	2018-19	44507000	50226258	5719258
			2020-21	0	2597133	2597133
25	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग	2018-19	223814000	297303550	73489550
			2020-21	42482000	49679887	7197887
26		निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2018-19	67130000	79431038	12301038
27		झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	2019-20	148512000	166773737	18261737
			2020-21	0	26011976	26011976
28	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	2019-20	0	14637265	14637265
29		बेला-पहाड़िया रोड	2020-21	0	11442743	11442743
30		धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2019-20	26318522	41605126	15286604
			2020-21	0	6517926	6517926
			2021-22	0	3735985	3735985
31		बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	2018-19	139974436	305513877	165539441
			2019-20	42240000	130198060	87958060
32		भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	2018-19	71021765	134216236	63194471
33	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2020-21	49842093	66586647	16744554
34	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	2017-18	80339316	113263507	32924191
			2018-19	131887593	143214924	11327331
35		लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	2017-18	200000000	203047121	3047121

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
36	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	2019-20	28325000	87234647	58909647
37		सोरांव कल्याणपुर रोड	2018-19	103600000	118394103	14794103
			2020-21	0	1587497	1587497
38		होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	2018-19	82680000	106719407	24039407
39		कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	2019-20	25525000	61210341	35685341
40		कौड़िहार-कुरेसर से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	2017-18	47790478	66297325	18506847
41		नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	2017-18	46770294	59582294	12812000
42		करामत की चौकी से बिसौना रोड	2018-19	70680000	91344915	20664915
43		पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	2018-19	69720000	79767011	10047011
			2019-20	19200144	27772430	8572286
44		पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	2017-18	40350416	63028416	22678000
45		मखनपुर भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी	2017-18	39599615	53207993	13608378
			2019-20	21030000	21999826	969826
46		कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	2017-18	39120640	59441640	20321000
			2019-20	17599851	39183319	21583468
47		होलागढ़ कल्याणपुर रोड	2018-19	66560000	75448895	8888895
48		सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	2017-18	36030971	36090852	59881
			2019-20	15025000	18171588	3146588
49		नवाबगंज-पथरियापु-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	2017-18	34050509	71793509	37743000
50		रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	2017-18	32940685	37532083	4591398
			2019-20	12450000	21199320	8749320
51		बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	2017-18	30420875	42019850	11598975
			2018-19	50560000	57720518	7160518
52	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	2020-21	0	13815361	13815361
53	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली तक रोड`	2018-19	90000000	119612687	29612687

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
54		जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा से होते हुए, विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक	2021-22	10000000	18957335	8957335
55	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2018-19	450000000	572793942	122793942
56	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2019-20	100000000	104870457	4870457
57		एनएच-27 से मुराठा धमना मार्ग वाया गिरारी घाट	2019-20	60242000	61921872	1679872
			2020-21	0	7275731	7275731
58		बडागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	2019-20	57717000	70808649	13091649
			2020-21	0	4461506	4461506
			2021-22	0	999312	999312
59		सिकन्दरा-समथर दबोह मार्ग	2018-19	157950995	204449665	46498670
			2020-21	0	4600445	4600445
60		चिरगाँव से भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2020-21	0	3093335	3093335
			2021-22	0	23138256	23138256
61	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2017-18	61680000	82940372	21260372
			2018-19	82240000	93590098	11350098
62	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहड़ौर मार्ग (चैनेज 0-00 से 61 किलोमीटर)	2016-17	15292595	27058521	11765926
			2018-19	439999150	476696351	36697201
63		गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	2016-17	2336000	58749034	56413034
			2018-19	0	3379013	3379013
64	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	2018-19	90000302	100675033	10674731
			2019-20	22985000	23566599	581599
65	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2018-19	250554730	254309059	3754329
66	प्रांतीय खण्ड, आगरा	राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले पिनाहट पापरी नागर तासौद मार्ग के किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450) तक लिंक रोड	2018-19	149999998	163089303	13089305
योग				**6315109007**	**8172409212**	**1857300205**

परिशिष्ट-5.9
(प्रस्तर 5.4.2 में संदर्भित)
अन्य कार्यों पर किये गए व्यय को दर्शाता विवरण जिसे केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों पर लेखांकित किया गया

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	2018-19	109210000	84638689	4655128	89293817	19916183
2		बबुरी-धरौली मार्ग	2016-17	104497991	92438631	5084125	97522756	6975235
			2017-18	172302000	97351179	5354315	102705494	69596506
3		चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	2018-19	111240000	93561254	5145869	98707123	12532877
4		लेवा इलिया रोड	2019-20	116602000	55078691	3029328	58108019	58493981
5	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	2017-18	330855000	305086259	16779744	321866003	8988997
			2018-19	17655000	6559927	360796	6920723	10734277
6		ललितपुर-देवगढ़ रोड	2017-18	413824732	382181851	21020002	403201853	10622879
7	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	2020-21	403182189	342517218	18838447	361355665	41826524
8	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	2018-19	50000000	29784894	1638169	31423063	18576937
			2019-20	239941000	118136328	6497498	124633826	115307174
9		बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	2016-17	63543000	51191312	2815522	54006834	9536166
			2017-18	154457000	132662146	7296418	139958564	14498436
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क-कोटवाधाम मार्ग	2019-20	76736000	44165093	2429080	46594173	30141827
11		रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2019-20	36680000	9446727	519570	9966297	26713703
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2019-20	192601052	169456926	9320131	178777057	13823995
			2021-22	8451127	3020159	1,66,109	3186268	5264859
13		मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	2019-20	178637855	146573184	8061525	154634709	24003146
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	2019-20	15349875	0	0	0	15349875
15		कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगहां रोड	2018-19	78720000	63824672	3510357	67335029	11384971
			2019-20	24825000	14819277	815060	15634337	9190663

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
16		कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	2018-19	67160000	36127243	1986998	38114241	29045759
17		कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	2017-18	48629605	19500000	1072500	20572500	28057105
			2018-19	79840000	69382583	3816042	73198625	6641375
18		करामत की चौकी से बिसौना रोड	2017-18	41759100	29618327	1629008	31247335	10511765
			2019-20	19800000	1308803	71984	1380787	18419213
19		मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	2018-19	64770000	37979797	2088889	40068686	24701314
20		नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा रोड	2019-20	23975000	12068838	663786	12732624	11242376
21		नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	2018-19	60400000	35503476	1952691	37456167	22943833
			2019-20	13375000	61576	3387	64963	13310037
22		पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	2017-18	41039817	16494000	907170	17401170	23638647
23		पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	2019-20	18625000	0	0	0	18625000
24		रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	2018-19	58920000	35660476	1961326	37621802	21298198
25		होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	2019-20	27300000	729866	40143	770009	26529991
26		सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	2017-18	98725470	35199000	1935945	37134945	61590525
			2018-19	146640000	121481970	6681508	128163478	18476522
27		सोरांव कल्याणपुर रोड	2019-20	40375000	24651926	1355856	26007782	14367218
28		सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	2018-19	63040000	46793917	2573665	49367582	13672418
29	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	2017-18	64959404	48200000	2651000	50851000	14108404
			2019-20	145799944	110749440	6091219	116840659	28959285
30		नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	2017-18	276807961	193731812	10655250	204387062	72420899
			2019-20	49999901	19603696	1078203	20681899	29318002
31		नजीबाबाद-नगीना रोड वाया नानकार बुन्दकी	2021-22	44137000	33746586	1856062	35602648	8534352
32		राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	2021-22	46192000	36976275	2033695	39009970	7182030

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
33		रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग	2018-19	70000000	58083937	3194617	61278554	8721446
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	2017-18	49656724	23157818	1273680	24431498	25225226
			2019-20	143000000	34164035	1879022	36043057	106956943
35		कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मॅगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2019-20	123920000	61009558	3355526	64365084	59554916
36		महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2017-18	84582428	44000000	2420000	46420000	38162428
			2020-21	62854000	47472530	2610989	50083519	12770481
37		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरवा लिंक रोड	2017-18	33160359	5608669	308477	5917146	27243213
			2019-20	85010000	68616487	3773907	72390394	12619606
38	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	2018-19	78421000	47821938	2630207	50452145	27968855
39		चिरगॉगाँव से भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2019-20	24921000	15169927	834346	16004273	8916727
40		मेाठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2018-19	27520000	9488566	521871	10010437	17509563
			2020-21	96500000	69178141	3804798	72982939	23517061
			2021-22	92808000	66808155	3674449	70482604	22325396
41		सिकन्दरा-दबोह सम्पर्क मार्ग	2019-20	228337000	122837529	6756064	129593593	98743407
42	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा रोड	2018-19	76014354	59312186	3262170	62574356	13439998
43		वरूणा से जंघई वाया दुर्गागंज मार्ग	2019-20	55572000	17222522	947239	18169761	37402239
44	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया मार्ग से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2018-19	179483000	152506738	8387871	160894609	18588391
			2019-20	164520000	138485594	7616708	146102302	18417698
45		लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2019-20	40695000	22687880	1247833	23935713	16759287
46		पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	2019-20	82267000	51817237	2849948	54667185	27599815
47		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2018-19	197360000	154171422	8479428	162650850	34709150
48		सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2019-20	80292000	48739500	2680673	51420173	28871827
49	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	2017-18	49318787	34997391	1924857	36922248	12396539
			2019-20	40571995	20585482	1132202	21717684	18854311
50	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	2019-20	102679941	78945997	4342030	83288027	19391914

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
51		मऊ लहचूरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	2019-20	110166906	94783246	5213079	99996325	10170581
52	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर से महादेवा ठोरी	2019-20	48290094	36804087	2024225	38828312	9461782
53		चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	2019-20	90474659	40470614	2225884	42696498	47778161
54		फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2018-19	189617055	152630079	8394654	161024733	28592322
			2019-20	129590605	110060850	6053347	116114197	13476408
55		फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2017-18	49419604	20778773	1142833	21921606	27497998
			2019-20	54595104	46079957	2534398	48614355	5980749
56		गोडरिया मुडाडीह रोड	2019-20	47143559	22331598	1228238	23559836	23583723
57		खैरटिया बनकटा रोड	2019-20	64244460	42169036	2319297	44488333	19756127
58		समउर नोनिया पट्टी रोड	2018-19	178879256	155689435	8562919	164252354	14626902
			2019-20	124620046	111875901	6153175	118029076	6590970
59		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2017-18	73139110	34710134	1909057	36619191	36519919
			2019-20	73941261	40093898	2205164	42299062	31642199
60		सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	2019-20	24503793	7611483	418632	8030115	16473678
61	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2017-18	57230000	41400000	2277000	43677000	13553000
62	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	2018-19	206986000	137171794	7544449	144716243	62269757
63		कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँठीबारी-नौतनवा मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	2017-18	630000000	554478817	30496335	584975152	45024848
			2019-20	101500000	0	0	0	101500000
64		निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2019-20	197003000	150958320	8302708	159261028	37741972
			2020-21	13902000	0	0	0	13902000
65	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	2017-18	168378864	107366234	5905143	113271377	55107487
			2019-20	8985000	0	0	0	8985000
66	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	2017-18	679114000	330790465	18193476	348983941	330130059
67		बेला-पहाड़िया रोड	2017-18	27200000	19159075	1053749	20212824	6987176
			2019-20	81227319	49563784	2726008	52289792	28937527

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
68		भोजूवीर-सिंधौरा मार्ग	2017-18	318080000	232837151	12806043	245643194	72436806
			2019-20	17821269	10321789	567698	10889487	6931782
69		धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2017-18	57164085	40664085	2236525	42900610	14263475
			2018-19	74309486	52867243	2907698	55774941	18534545
70		सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	2017-18	63159996	54659996	3006300	57666296	5493700
			2018-19	98174740	78090606	4294983	82385589	15789151
71	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 (सड़क कार्य) तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	2017-18	83907925	63210403	3476572	66686975	17220950
			2018-19	89998806	65825230	3620388	69445618	20553188
			2019-20	99999941	78292722	4306100	82598822	17401119
			2020-21	59999988	43314655	2382306	45696961	14303027
72		राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	2019-20	72639000	29810284	1639566	31449850	41189150
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2016-17	101535000	67900000	3734500	71634500	29900500
			2017-18	239996959	115712645	6364195	122076840	117920119
			2019-20	382569144	321764338	17697039	339461377	43107767
			2020-21	67996865	0	0	0	67996865
74		मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	2020-21	20101111	0	0	0	20101111
75		शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	2018-19	104320000	94648840	5205686	99854526	4465474
76	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग	2019-20	164300000	142535649	7839461	150375110	13924890
77	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	2019-20	9140000	3538552	194620	3733172	5406828
योग				**12266411621**	**8463925031**	**465515882**	**8929440913**	**3336970708**

परिशिष्ट-6.1
(प्रस्तर 6.7 में संदर्भित)
कार्यों की सूची दर्शाता हुआ विवरण जिनके विस्तृत प्राक्कलनों में सड़क सुरक्षा मदों का पृथक रूप से प्रावधान नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली-बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा	27.81
3	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31
4	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82
5	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	53.77
6	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर	33.23
7	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर	16.10
8	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60
9	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56
11	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37
12	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतिनियां-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई	42.57
13	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर	27.25
14	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागॉव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	12.34
16	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मेाठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68
17	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03
18	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63
19	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	20.31
20	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	34.00
21	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	19.24
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	23.19
23	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55
24	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	15.33
25	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	32.66
26	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13
27	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27
28	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44
29	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49
30	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02
31	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	38.00

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत
32	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली तक	29.85
33	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14
34	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
35	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92
36	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
37	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41
38	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौर मार्ग	117.64
39	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड	17.97
40	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
41	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	30.45
42	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड	23.36
43	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97
44	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67
योग			**1377.61**

संक्षेपणों की सूची

संक्षेपणों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
बीबीडी	बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन
बीसी	बिटुमिनस कंक्रीट
बीओक्यु	बिल ऑफ़ क्वांटिटी
सीबीआर	कैलिफ़ोर्निया बिअरिंग रेशिओ
सीडी	निर्माण खण्ड
सीडी (बी)	निर्माण खण्ड (भवन)
सीई	मुख्य अभियंता
सीआरसी	प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाण-पत्र
सीआरएफ	केन्द्रीय सड़क निधि
सीआरआईएफ	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीवीपीडी	प्रति दिन वाणिज्यिक वाहन
डीबीएम	डेंस-ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडम
ईई	अधिशासी अभियंता
ई-इन-सी	प्रमुख अभियंता
एफएचबी	वित्तीय हस्त-पुस्तिका
एफडब्ल्यूडी	फालिंग वेट डेफलेक्टोमीटर
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश शासन
जीएसबी	ग्रैनुलर सब-बेस
जीएसटी	गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर)
आईओसीएल	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
आईआरसी	भारतीय सड़क कांग्रेस
एलसीवी	हल्के वाणिज्यिक वाहन
एमबीडी	मॉडल बिडिंग/बिड डॉक्यूमेंट
एमडीआर	प्रमुख जिला मार्ग
मोर्थ	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमएसए	मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना

संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
ओडीआर	अन्य जिला मार्ग
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीडी	प्रांतीय खण्ड
पीई	प्रारंभिक आगणन
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
क्यूपीसी	गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ
आरआई	अनुसंधान संस्थान
एसबीडी	स्टैण्डर्ड बिडिंग/बिड डॉक्यूमेंट
एसई	अधीक्षण अभियंता
एसएच	राज्य मार्ग
टीएस	प्राविधिक स्वीकृति
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यूपीपीडब्ल्यूडी	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग
यूटी	केंद्र-शासित प्रदेश
वीडीएफ	वेहिकल डैमेज फैक्टर
डब्ल्यूएमएम	वेट मिक्स मैकडम

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh